खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01) / अंक-76

मंगलवार 3 अप्रैल, 2018 / 13 चैत्र 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 से अंक 81 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 / 13 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–76
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–11
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	12–25
4.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	26
5.	विशेष उल्लेख की सूचनाओं के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा	27
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभागों की विभिन्न पेंशन योजनाओं के वितरण में हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में)	27–77
7.	माननीय उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य (भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के संबंध में)	78–109
8.	ध्यानाकर्षण (नियम–54) दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाइयों के संबंध में।	110–140

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 / 13 चैत्र, 1940 (शक) अंक–76

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री संजीव झा
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री अमानतुल्लाह खान
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री ओमप्रकाश शर्मा
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01)   मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 / 13 चैत्र, 1940 (शक)   अंक–76

Lknu vijkgu 2-10 ct: leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन। 280 श्री सोमदत्त जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मैं अभी रुलिंग दे रहा हूँ। मैं 280 शुरु कर चुका हूँ, आप नहीं थे। ऐसा है, सुन लीजिए बात को। चलिए, मैं रुलिंग दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ऐसे नहीं विजेन्द्र जी, कोई नियम के अनुसार ही तो चलूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ रुलिंग दे रहा हूँ मैं। अभी आप सुनेंगे, आप सुनेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये झुग्गियों के बारे में कल भी पानी वहाँ नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्षः मुझे सुश्री राखी बिड़ला, माननीय उपाध्यक्ष तथा विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री संजीव झा से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने चर्चाएँ बहुत दी हैं, खुली छूट दी है चर्चाओं की और बहुत समय दिया है। ये विषय भी उठा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये मेरा अधिकार है। देखिए विजेन्द्र जी, ये मेरा अधिकार है कि कौन–सा विषय महत्वपूर्ण है। मैं पहले पढ़कर सुना रहा हूँ; आज की कार्यसूची में सुश्री राखी बिड़ला...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप अननेसेसरी शोर मचा रहे हैं। नहीं, अननेसेसरी शोर मचा रहे हैं। आप सदस्यों को बात सुनने नहीं दे रहे पूरी। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, मैंने नहीं लिया उसको। नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज की कार्यसूची...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मत चिल्लाइए, चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है, मत चिल्लाइए प्लीज–प्लीज मत चिल्लाइए। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, झुग्गियों के बारे में। बैठिए प्लीज। आज की कार्यसूची में सुश्री राखी बिड़ला से प्राप्त दिल्ली नगर निगमों के

सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाई के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचीबद्ध है। जिसका विषय अत्यधिक लोक महत्व का है। श्री संजीव झा की सूचना की विषय वस्तु भी इसी से संबंधित है। इसलिए मैंने किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने जो स्वीकार कर लिया कर लिया, मैं और कोई स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। नियम– 54 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया मैंने।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा, इस पर भी चर्चा करवाऊँगा। इस पर भी मैं करवाऊँगा, वक्त आने पर मैं करवाऊँगा। चिंता मत करिए। मैं करवाने वाला हूँ चर्चा झुग्गियों की जो मिट्टी खराब की हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ऐसा है, मैंने जो कहा है, नियम–54 पढ़कर सुनाऊँ। आप न नियम से चलेंगे। मुझे कब करना है, मैं करवाऊँगा इस पर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं इस पर करवाऊँगा। अभी आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे पास बिजनेस बहुत ज्यादा है। ऐसा है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये किसने कहा। मैंने कहा है, झुग्गी वालों पर मैं चर्चा करवाऊँगा। झुग्गी की अगर बात करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, सही राम जी। झुग्गी वालों के विषय में अगर किसी के पास समय नहीं है तो मैं... मेम्बर ऑफ पार्लियमैंट के पास समय नहीं है कि वो संसद में बात उठाएं। बैठिए आप, प्लीज बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, बैठ जाइए प्लीज। सोमदत्त जी, जगदीप जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, देखिए मैं आप अगर जबरदस्ती करेंगे मैं चर्चा नहीं करवाऊँगा। आप जितना मर्जी आए चिल्ला लीजिए मैं चर्चा नहीं करवाऊँगा। मुझे कब चर्चा करवानी है। नहीं, मुझे कब करवानी है, मैं देखूंगा। करवाऊँगा मैं ये नहीं कह रहा नहीं करवाऊँगा। हां, मैं करवाऊँगा आप बैठिए अभी। आप बैठिए प्लीज। यहां सफाई कर्मचारी मर रहे हैं एक हफ्ते से भूख–हड़ताल पर बैठे हैं उनका आपको ध्यान नहीं है। किस पर ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, मैं इस पर.... जरनैल जी, मैं इस पर चर्चा करवाऊँगा। इस पर इसी सदन में चर्चा करवाऊँगा। बैठ जाइए, अभी बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं सदन को आश्वासन दे रहा हूँ झुग्गी–झोपड़ियों पर चर्चा... जगदीप जी मैं बोल रहा हूँ ना कुछ। मैं झुग्गी झोपड़ियों पर चर्चा, उनकी स्थिति पर चर्चा इसी सदन में करवाऊँगा। इसी सदन के दौरान करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां मैं करवाऊँगा। रुक जाइए जरा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, न, मैंने कल ये नहीं कहा कि मैं आज करवाऊँगा, न बिल्कुल नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं इसको... कल भी सदन है, इसीलिए सदन बढ़ाया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं इस पर चर्चा करवाऊँगा, कल नहीं। ऐसा है अभी 5 बजे तक रुकिए आप। मैं इसकी घोषणा कर दूँगा, कब चर्चा होगी, सदन कब तक चलेगा। बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अभी सदन की समय बढ़ने जा रहा है, हो सकता है। अगर ऐसा करिए। सुन लीजिए अभी। आपने आपने... कल पहली बार नोटिस आया है। पहली बार नोटिस आया है आपका झुग्गी झोपड़ी... आप 12 दिन की बात कैसे कर रहे हैं? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, कह

रहे हैं 12 दिन से चर्चा नहीं करवा रहा। आपको होश अब आया है, जब आपकी पिटाई हो रही है, सदन में तब होश आया है। आप बेकार में कैसे 12 दिन की बात कर रहे हैं। कल आपने पहली बार नोटिस दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं घोषणा कर रहा हूँ।

श्री जगदीप सिंहः सर रेलवे पुलिस झुग्गियाँ तुड़वा रही है। 2016 में.

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज।

श्री जगदीप सिंहः 2016 में लिखा हुआ है कि झुग्गियाँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, जगदीप जी, बैठिए। बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठिए प्लीज। प्लीज। प्रवीण जी, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, अब बोलने देंगे मुझे? नहीं। नहीं, मुझे बोलने देंगे? नहीं देंगे। नहीं, मुझे बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। बोलने नहीं देंगे आप? मैं सुरेन्द्र जी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे खड़े रहने दो, आपको क्या परेशानी हो रही है?

आप बैठिए प्लीज। जगदीप जी, आप बैठिए। बैठिए सुरेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं जगदीप जी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी, आप बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी। जगदीप जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए। अजय दत्त जी, आप बैठ जाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं अजय दत्त जी, बाहर जाने की क्या जरुरत पड़ गई? अभी पाँच मिनट हुए हैं, क्या जरुरत पड़ गई बाहर जाने की! नहीं, बैठिए आप।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं विजेन्द्र गुप्ता जी का... विजेन्द्र गुप्ता जी का नियम–54 में कल मुझे पहली बार नोटिस मिला था। अब वो 12 दिन कह रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। एक सैकेण्ड, रुक जाइए राखी जी आप। मैं छोड़ दूँ यहां से? दूसरा, बार बार वो गरीबों की चिंता कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बताइए।

माननीय अध्यक्षः मैं बता रहा हूँ, आप रुकिए दो मिनट। आपको... आपको परेशानी हो रही है। आपको अननेसेसरी परेशानी हो रही है। मैं बता रहा हूँ। मैं बात रहा हूँ दो मिनट शांत। दो मिनट शांति से रुकिए, आप बोलिएगा मत बीच में। आज बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए। झुग्गी–बस्तियों की स्थिति पर चर्चा कब करवानी है, कैसे करवानी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कल, मैं बता रहा हूँ। अब क्या मुँह में थोपेंगे मेरे? मुझे बोलने नहीं दे रहे आप एक शब्द भी। एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं आप। एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप पहले बैठिए, मैं तब बताऊँगा ना। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप बैठिए या तो पहले बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं बता रहा हूँ। आप बैठिए पहले। आप बैठेंगे तब मैं बताऊँगा। आप पहले बैठिए। आप बैठिए पहले।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, तो आप खड़े रहिए विरोध... आप बैठिए मैं तब बताऊँगा। आप बैठिए तब बताऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः असली बात ये है, असली बात ये है 280 में मैंने अभी देखा है, इनका किसी का एक का नम्बर नहीं आया। इसलिए ये समय बर्बाद कर रहे हैं। एक का नम्बर नहीं आया, मैंने अभी देखा है। मैंने कहा, आज क्यों इतना चिल्ला रहे हैं! 280 में कोई नम्बर नहीं आया, इनके सदस्य का। चारों में से किसी का नम्बर नहीं है। इसलिए सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, वास्तविकता ये है। झुग्गियों पे चर्चा में कल करवाऊँगा। अगर सदन बढ़ा, समय तो परसों नहीं कल करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैंने कहा है ना। मैंने विजेन्द्र जी, आप बेकार की बात मत करिए। मैं फिर घोषणा कर रहा हूँ। मैं फिर घोषणा कर रहा हूँ, झुग्गियों पर चर्चा कल करवाऊँगा। अगर सदन का समय नहीं बढ़ा और नहीं तो परसों करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठ जाइए अब, बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, आप मजबूर कर रहे हैं। अब मैंने घोषणा कर दी। मैंने घोषणा कर दी। ये जिस निमय में करवाऊँगा, मैं देखूँगा। नहीं, नहीं, आपका जिसमें मर्जी आए मन करे। वो देखके करवाऊँगा, जिसमें करवाता हूँ। हाँ, मैं जिसमें...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आप... मैंने आपसे कहा है, अब आपका 280 में नम्बर नहीं आया, आपको बाहर जाना है, जाइए। जाइए, जाइए। मुझे मालूम था आज वो 280 में नम्बर नहीं आया इसलिए चिल्ला रहे हैं। 280 में नम्बर नहीं आया किसी भी सदस्य का। आज इसलिए चिल्ला रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः 280 में आप किसी का भी लॉटरी में नम्बर नहीं आया, इसलिए चिल्ला रहे हैं। इसलिए सदन का समय खराब किया आधा घण्टा। चलिए। बैठ जाइए। श्री सोम दत्त जी। अब कोई नहीं बोलेगा प्लीज। श्री सोमदत्त जी। मैं हैरान था, क्यों चिल्ला रहे हैं! मैंने तो अब देखा 280 में नम्बर नहीं आया। इसलिए चिल्ला रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, श्री सोम दत्त जी। बैठिए प्लीज।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री सोम दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मेरे एरिया के अन्दर कई सारी राशन की दुकानें हैं जिनपे अभी कंज्यूमर्स को राशन नहीं मिल पा रहा। इसके लिए मैं पर्सनली उन दुकानों पे विजिट करने गया, उन लोगों के साथ में और मैं समझना चाह रहा था कि इन्हें राशन क्यों नहीं मिल पा रहा। मुख्य रूप से वहाँ दो बातें ऐसी समझ में आई जिनकी वजह से राशन दुकानदार राशन नहीं बाँट पा रहे। जैसे प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस हैं; वहाँ पे ईपोज मशीन, वो खराब पड़ी है। बहुत सारी दुकानों में और उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत इलैक्ट्रीकल्स लिमिटिड बीईएल कम्पनी की है। सिर्फ दो ही कर्मचारी वहाँ पे हैं जो इन मशीनों को ठीक कर सकते हैं। वो भी कमिश्नर ऑफिस में, आईटीओ पे बैठते हैं। ऐसे में राशन दुकानदार मशीन ले के वहाँ पे जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है और बहुत बार उसका नम्बर भी नहीं आता। इसलिए पूरा पूरा दिन राशन नहीं बाँट पाता, वो मिल नहीं पाती। दूसरा ये है कि बहुत सारी दुकानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा समस्या

है। इन दो वजहों से खासतौर पे राशन नहीं बंट पा रहा और उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा।

आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर फूड एण्ड सप्लाई को यहाँ से निर्देश जारी किए जाएं कि वो बीईएल कम्पनी को निर्देश दें कि वो अपनी सर्विस सुधारे जिसने ये मशीनें ठीक करनी है रिस्पोंसिबल है, सर्विसिज देने के लिए। उसकी वहज से राशन नहीं बंट पा रहा। अगर वो सर्विसिज ठीक से देगी तो मशीनें ठीक से काम करेंगी और हर एक कंज्यूमर को राशन मिल पाएगा तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यहां ये निर्देश जारी कराएं, कमिश्नर उस कम्पनी को जो सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी है बीईएल, उसको बुलाके निर्देश जारी करें कि वो अपनी सर्विसिज इम्प्रूव करें। जल्दी से जल्दी सारी मशीनों को ठीक कराया जाए और नेटर्वक कनेक्टिविटी एवेलेब्ल कराई जाए फुल टाइम ताकि लोगों को राशन मिल सके। बस, इतना ही कहूँगा, धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद धन्यवाद। श्री पवन कुमार शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा आदर्श नगर में मुकरबा चौक से ले के ओर आजाद पुर टर्मिनल तक जीटी करनाल रोड बोलते हैं जिसको, पीडब्ल्यूडी के नाले बुरी तरह से भरे हुए हैं। इस गर्मी में भी जो है रोड पे पानी खड़ा रहता है 24 घण्टे और जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे तो इतना बुरा हाल है कि वो सारी दीवारें पीली हो गई हैं और डिपार्टमेंट को बार बार बोलने के बाद डिपार्टमेंट बोलता है कि वहाँ पे राजस्थान उद्योग नगर इंडस्ट्रियल

एरिया है कि ये पॉल्यूटिड वाटर जो है; एसिड का पानी वगैरह है तो उसके लिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि भई, अगर वहाँ पे, मान लिया, ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हैं, सब कुछ लगे हैं और उसके बावजूद भी, मान लिया, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी अगर आता है तो उसपे वो संज्ञान में लाया जाए। ऐसा ही हाल गाँधी विहार में है। निरंकारी कैंटीन के सामने वाला रोड है जो पूरा का पूरा जो है, ब्लॉक रहते हैं नाले। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आगे बारिशों में क्या हाल होगा जब इस गर्मी में भी पूरे रोड पे पानी भरा रहता है। हर रोज लोगों की शिकायतें आती हैं। मैं कई बार जो है एक्सईएन को ऊपर डिपार्टमेंट को सबको लिख चुका हूँ। मौखिक रुप से बोल चुका हूँ, मीटिंग कर चुका हूँ। लेकिन इसपे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया जो है, मेरा ये समस्या का समाधान करवाया जाए।

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय मेरी विधान सभा कस्तूरबा नगर में बीआरटी रोड पर एक स्कूल है; इंडियन स्कूल। चूँकि वो मैन रोड पर है और बस खड़ी करने की अपोर्च्युनिटी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को है, लिहाजा वो अपने स्कूल के प्राँगण में अपनी बसें न खड़ी कर के, मैन रोड पे खड़ी करते हैं। इस मेन रोड के अलावा चूँकि ये स्कूल सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पालाइज जो एंड्रूजगंज में रहते हैं और सादिक नगर में, उनसे भी सटा हुआ है। लिहाजा ये बस पूरी की पूरी कालोनी में उन लोगों के घरों के आस पास जो बहुत छोटी सड़क है, उन पर खड़ी रखते हैं जिस से केवल न्यूसेंस पैदा होती है, लोगों के आने जाने में दिक्कत होती है और बल्कि एक खतरनाक भी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि स्कूल के पास एम्पल स्पेस है परन्तु वो जान–बूझकर बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान न रखते हुए, स्कूल के बच्चों को बाहर मेन रोड पर लाद के उनको वहाँ से चढ़ाते हैं बस में। और बाकी बसेज, उनकी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो कालोनी है सादिक नगर, उसमें खड़ी होती हैं। तो मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी इसपे संज्ञान भी लें और अगर उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कोई आदेश दिए हों तो उन आदेशों का भी पालन हो, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अम्बेडकर नगर में करीबन 32 राशन की दुकानें हैं और मैं लगातार ये बार बार कहता आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में राशन की समस्या काफी समय से चल रही है और अभी कल भी सुबह और आज भी सुबह जब मैं आफिस गया तो वहाँ पर काफी सारे लोगों ने आकर मुझे शिकायत की कि उनको राशन नहीं मिल रहा है और एक बड़ा इश्यू ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जिनके अंगूठे घिस चुके हैं, वो मशीन में लगाते हैं, तो होते नहीं हैं और उनको इंट्री कराने के लिए उनको बार बार दौड़ाया जाता है कि भई, अब कल देंगे हम राशन, परसों देंगे या आज नहीं इंट्री करेंगे और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइन है। राशन की दुकानें टाइम से खुल नहीं रही हैं। लोगों में बड़ा रोष बढ़ता जा रहा है और राशन की क्वालिटी भी, मुझे लग रहा है, कहीं न कहीं पर उसमें भी कुछ गोलमाल दिखाई दे रहा है और... तो इससे लोग बड़े परेशान हैं और इसी विषय में मैंने जब राशन पर चर्चा हो, उसमें भी भाग लिया था और कहा था,

तो मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक तो राशन से संबंधित जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनको हिदायत दी जायें और मैंने अभी पिछले हफ्ते हमारे राशन के जो एसी हैं, उनसे बात की। मैंने कहा, आप आइये, आपसे मुझे चर्चा करनी है, राशन की कुछ दुकानें जो सुचारु रुप से नहीं चल रही हैं, आप उनका स्टेटस मुझे बताइये। आखिर घूमे तो उन्होंने मुझे एक शब्द में कहा, मैं नहीं आ सकता और मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मेरे पास दो तीन चार्ज हैं, तो आज मेरे क्षेत्र की जनता हमसे उम्मीद कर रही है और कह रही है भाई साहब आप राशन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके राशन के कार्ड बनने हैं, जिनके फार्म लेके रखे हुए हैं डिपार्टमेंट ने, काफी महीनों से वो नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों के नये नाम चढ़ने हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी समस्या पैदा हो गयी, जिसका हमारे पास कोई आन्सर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, ये कहना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को हिदायत दी जायें। मेरे क्षेत्र में जो दुकानें सुचारु रुप से नहीं चल रहीं हैं, तो उनको सुचारु रुप से चलाने की व्यवस्था की जाये। एसी का ये कर्तव्य है कि हमारी विधान सभाओं में आके देखें और वहाँ पर जो राशन की दुकानें नहीं चल रही हैं, जो गडबड़ कर रहे हैं, जो राशन टाइम पे नहीं दे रहे हैं, उनको या तो सजा दिये जाये, चालान काटा जाये, सस्पेंड किया जाये। जो भी किया जाये, लेकिन काम हो। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक तो ये जो हमारे यहाँ के एसी हैं, वो आके हमसे मिलें और राशन ठीक से बंटे जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को राशन मिल सके और लोग अपना खाना–पीना बनायें और इस बड़ी गर्मी में लाइनों में न खड़ें हों और उनको सहूलियत मिल सके, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 280 के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समस्या के बारे में लगभग जब भी विधान सभा लगी हैं और मेरे को जब भी मौका मिला है, तभी मैं इसमें बार बार बोला हूँ, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। मेरी विधान सभा में डिस्पेंसरी थी। 30–35 साल से वो करती रही। सात–आठ साल पहले उसकी जर्जर हालत होने के कारण उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक वो दोबारा नहीं बनी है। वहाँ लोग–बाग इतने परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपनी जगह होते हुए भी और तीन साल से मैं लगातार विधान सभा में बोल रहा हूँ। मंत्री जी से भी मिला हूँ, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि किस अधिकारी की लापरवाही से, किस कारण से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसका जल्दी से जल्दी निर्माण करवाने की कृपा करें। बार बार मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगले जब भी विधान सभा का सत्र लगे, उसमें मेरे को यह समस्या न उठानी पड़े, उससे पहले पहले इसका निर्माण शुरु हो जाये।

यही समस्या मेरे यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी, स्कूल के बारे में हैं। वहाँ भी स्कूल की जगह होते हुए अपनी बच्चे टीन शेड में बैठे हुए हैं, गर्मी आ ली हैं। तीन चार साल से भी पहले भी वो तपते रहे और फिर वही स्थिति है। वहाँ की बिल्डिंग का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है तो इसमें भी ध्यान दिया जाये, मैं धन्यवाद करता हूँ, इसी चीज के लिए।

माननीय अध्यक्षः नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका, 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा के अंदर एक टंकी वाला रोड है। करीबन दो–एक किलोमीटर का एरिया है। आज से 18 महीने पहले वहाँ काम स्टार्ट किया था, उद्घाटन किया था और 18 महीने से उस रोड पे नाले बनने हैं। नालों को तोड़ दिया है, जेसीबी से और काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उस रोड के ऊपर बहुत सारी दुकानें। अगर उसमें पानी भरा रहता है तो उनका रोजगार खत्म होता है। उसमें बहुत सारी स्कूली बच्चे पानी में घर निकल के जाते हैं। 50 हजार आबादी पर डे उस रोड से रोड से निकलती है। किसी को नौकरी के लिए जाना है, किसी को स्कूल के लिए जाना है, तो 18 महीने से एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, फ्लड डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर चुका हूँ, मंत्री साहब के साथ मीटिंग कर चुका हूँ, उसके बाद भी वो काम बंद पड़ा है। जनता आ के विधायक के पास कहती है, विधायक अधिकारियों को बोलता है, उसके बाद भी नतीजा बिल्कुल वही ढाक के तीन पात है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उद्घाटन हुआ है; 18 महीने पहले, नौ महीने पहले काम का उसका खत्म हो चुका है कि नौ महीने के अंदर वो काम खत्म करना था। आज बारह–तेरह महीने हो गये और उसके बाद भी काम का कोई हिसाब–किताब नहीं है। मंत्री जी से एक–दो बार मीटिंग करी है, सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करी, अधिकारियों से मीटिंग कर चुका हूँ, तो मेरा निवेदन है... दूसरी चीज, अगर ऐसी पानी भरा रहेगा, विधान सभा में आगे आने वाले टाइम में दिल्ली में बरसात भी आयेगी, नाले भरे पड़े हैं, नालों की पानी की निकासी नहीं हैं तो निवेदन है आपके द्वारा, सदन के द्वारा कि उसकी जितनी जल्दी हो सके उस रोड को, उन नालों को कंप्लीट कराया जाये और क्षेत्र के जितनी भी नाले हैं, उनका भी सफाई कराई जाये, जय हिन्द, धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः श्री आदर्श शास्त्री जी, अनुपस्थित, अनिल कुमार बाजपेयी जी अनुपस्थित। श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आज आपका ध्यान सरकार की बनी बिल्डिंगें जो रेजीडेंशियल बने हुए कॉम्पलेक्स हैं, उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर एक 980 एकड़ में बनी हुई डेसू कॉलोनी हैं। ये डेसू कॉलोनी पूरे दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसके अंदर 904 फ्लैट बने थे, जिसमें से लगभग साढ़े चार सौ फ्लैट्स बिल्कुल खंडहर बन चुके हैं। बाकी फ्लैटों की भी हालत इतनी बुरी हालत में हैं कि अब जाकर कुछ रिपेयरिंग शुरु हुई है, वहाँ पर। हम जब अरविंद जी को एक बार पहले यहाँ लेके गये तो इसकी सड़कों की हालत बहुत बुरी हालत में थी। उनके जाने के बाद वो सड़के बनने लगी। दूसरी बार अरविंद जी को हम इस कॉलोनी में लेके गये थे, तो उसकी रिपेयरिंग शुरु हुई, लेकिन रिपेयरिंग का काम इतना स्लो चल रहा है कि जितने लोग भी वहाँ रह रहे हैं, उनका रहना बड़ा मुश्किल है। वहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है, सीवर लाइनें बहुत पुरानी है, सीवर जाम रहते हैं, वहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब है। ये सारा काम डेसू खुद देखता है। इसमें न जल बोर्ड हस्तक्षेप करता है, न ही पीडब्ल्युडी वहाँ पे आपके जल बोर्ड के दोनों डिपार्टमेंट. .. सर, इसके अंदर बहुत बड़ा खेल का एक मैदान है, इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते। लगभग वहाँ पर चार सौ से पाँच सौ फैमिलियाँ रह रहीं हैं अभी भी, लेकिन उनकी स्थित... मतलब एक जंगल में रहने जैसी स्थिति बन चुकी है। झाड़ियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, सबसे बड़ा वहाँ पर

जो है, वहाँ पर सूअर बहुत हैं। लगभग एक हजार से ज्यादा सूअर... वहाँ पर सुअर पालन चल रहा है। वहाँ पे गायें बहुत हैं, लेकिन एमसीडी को कई बार कम्प्लेंट की, तो वो बोलते हैं, डेसू का मेटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ऐसा न हों कि सूअर की बीमारी वहाँ शुरु हो जाये और लोग बीमार पड़ने लग जायें। इस डेसू कॉलोनी की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि स्मेकिया बहुत पहुंचते हैं, लोग अंदर ड्रग्स पी रहे हैं, पुलिस वहाँ जाती नहीं देखने के लिए।

इस कॉलोनी के अंदर एक मर्डर हुआ, जिसकी पता नहीं कहां से बॉडी लाये, मारा गया जिसको, उसको कुत्ते खा रहे थे, सूअर खा रहे थे, लोगों ने सोचा कि कोई सूअर मर गया होगा, बदबू है, जब देखा तो किसी इंसान की बॉडी पड़ी थी, जिसको जानवर खा चुके थे। ये बहुत पुरानी कहानी है। उसके बाद जब हमने दबाब बनाया डेसू कॉलोनी के अधिकारियों पर तब उन्होंने इनके गेट बनाकर उनपे चौकीदार बैठाये, लेकिन चौकीदार भी इतने निकम्मे हैं कि कुछ नहीं करते। सूअर वाला सूअर लाता है, सूअर ले जाता है, जानवर लाता है, ले जाता है वो कुछ नहीं कहते उनको। उनसे कहो तो बोलते हैं कि हम दो आदमी हैं, हम क्या करें? हमसे तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पुलिस उनकी कोई हैल्प नहीं करती। कॉलोनी की स्थिति बदतर होती चली जा रही है।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये डेसू कॉलोनी, ये दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, ऐसी ही हमारे यहाँ पर केन्द्र सरकार के अंडर में आती है पी एंड टी कॉलोनी। पी एंड टी की भी दो कॉलोनियाँ हैं, हमारे यहां पर हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो केन्द्र का मैटर है, इसलिए हम उसपे बोल नहीं रहे। ये हमारी सरकार का मैटर

है। हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई शुरु हो। मकान शुरु हो रहे हैं, तेजी से रिपेयर हों और जो खण्डहर पड़ी हालत है उनकी, उनको दुबारा तोड़के बनाया जाये। यहाँ पर एक हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल की जगह भी है।

माननीय अध्यक्षः भाई इसमें स्कूल की चर्चा कहीं नहीं है।

श्री राजेश ऋषिः नहीं इसी डेसू कालोनी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इस स्कूल का निर्माण जल्दी करायें क्योंकि हम लोगों ने इसमें बाउन्ड्री वॉल वगैरह कराके कम्प्लीट की हुई है और स्थिति सुधर जाएगी उसके खुलने के बाद। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामचन्द्रः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत स्वागत। आपने रामचन्द्र को बोलने का मौका दिया। इसके लिए प्रभु से दुआ करता हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा आयु रहे जिससे हम लोगों का दिल्ली का भला हो सके।

अध्यक्ष जी, हमारे बवाना विधान सभा में कुछ जगहों पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। उसके लिए एक यूजीआर बनाने की कृपा की जाए। जो जगह है वो शाहबाद दौलतपुर, 26 सेक्टर, शाहबाद डेयरी, जैन कालोनी, पप्पू कालोनी, शर्मा कालोनी, प्रहलाद विहार, प्रकाश विहार, श्री इन्क्लेव, पंसाली दीप विहार इस तरह से जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर पानी नहीं है। पाईप लाइन डली हुई है सर, पर पानी नहीं है। बहुत परेशानी में यहाँ के लोग हैं। सदन में जो भी हमारे मंत्री या सदस्य बैठे हुए हैं, सबको पता है इस चीज का कि जब भी हम विधान सभा में हम जाते हैं तो वहाँ के लोग जब

भी... डेली जाता हूँ सर, पाँच बजे उठता हूँ, शाम को बारह बजे घर जाता हूँ। कल भी रात को एक बजे शाहबाद डेयरी में भगवान महावीर जी की जयन्ती थी तो वहाँ पर तीन बजे तक लोगों ने मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया। डेली इसी तरह से सुबह, शाम घूम रहे हैं सर। पानी की ये समस्या है। इसके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है मुख्यमंत्री साहब से, जल मंत्री साहब से कि इस पर जितनी जल्दी हो सके ये पानी की व्यवस्था कराई जाये, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः सुश्री अलका लाम्बा।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, नियम 280 में आपने मुझे क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ बहुत बड़ा मुद्दा है। सन्त परमानन्द अस्पताल। ये बिल्कुल यमुना बाजार कश्मीरी गेट में रातोरात एक इमारत बनके खड़ी हो जाती है। रातोरात मतलब उस इमारत को अगर आप देखेंगे, लगता है कि कम से कम नहीं सालों लग जाएंगे इस इमारत को खड़ा करने में। पर रातों रात... मतलब बहुत कम समय में बनाके खड़ा कर दिया गया और हकीकत ये है कि वो यमुना बेल्ट पर कोई किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये नियम कानून कायदे कहते हैं लेकिन उसके बाबजूद भी हर नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए नगर निगम ने किस तरीके से इजाजत दी। मैं लगातार डीसी जो हमारे सिटी जोन हैं, रुचिका कात्याल जी को फोन कर रही हूँ क्योंकि लोग चिन्तित हैं। जो यमुना के वहाँ पर हमारा निगम बोध घाट से लेकर एक से 32 घाट पर लोग रहते हैं वर्षों से या वहाँ पर हमारे मन्दिर और जो आश्रम चल रहे हैं वो सभी लोग चिन्तित हैं। मैं खुद भी देखकर आई हूँ। उनका ये कहना है कि जितनी उसकी

गहराई की इजाजत नगर निगम ने दी थी, उससे भी ज्यादा गहराई खोद दी गई है। जितनी ऊँचाई की इजाजत थी, उससे भी ज्यादा ऊँची तो इमारतें बना दी गयी हैं। जितने एरिया की इजाजत थी, उससे भी बड़ा इलाका जो है, उन्होंने वहाँ पर कवर करके अवैध रुप से निर्माण कर लिया है। मेरे चाँदनी चौक विधान सभा में भागीरथ पैलेस में पूरी इलेक्ट्रिकल मार्केट की दो, तीन के बाद सातवीं मंजिल बन रही है। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में कमर्शियल–रेजीडेंसियल कितनी इमारत कितने फुट तक आप बना सकते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे इसमें चाहूँगी अगर आप कल खास मौका देंगे तो आरटीआई में जो जवाब आये है... क्योंकि हमारे लोग जो वहाँ पर हैं, उन्होंने आरटीआई डालकर इन सभी अवैध निर्माणों की जानकारी एकत्रित की है। अगर आप कल मौका देंगे तो मैं कल जरुर चाहूँगी कि नगर निगम नियम कायदों में जो है बिल्कुल नजर अन्दाज करके खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरे पास ऑडियो और वीडियो है। काँग्रेस के पूर्व विधायकों के नाम लिये जा रहे हैं। इस बार के जो भाजपा के पार्षद हैं, उनके नाम के ऑडियो हैं कि बकायदा भाजपा के अभी के सीटिंग पार्षद और कांग्रेस के पूर्व विधायक वहाँ से दस–दस लाख रुपया एक–एक बिल्डर से, एक–एक इमारत का ले रहे हैं और नगर निगम में उनकी पूरी सांठ–गांठ है। इसलिए हमारी शिकायतों के बाद भी इन अवैध इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहूँगी नगर निगम कमिश्नर हो या डीसी से इस पर जवाब माँगा जाए। खासतौर से सन्त परमानन्द का जो हॉस्पिटल बन रहा है, सबसे बड़ा बिल्कुल मेन रोड पर। साफ दिखता है कोई अन्दर बने तो समझ में आ जाता है, नहीं दिखा लेकिन सड़क पर बनकर यमुना बेल्ट पर कैसे तैयार हो गया! जहाँ पर नियम कहते हैं कि नहीं बन सकता है।

अध्यक्ष जी, उम्मीद करते हैं, नगर निगम इस पर जरुर जवाब देगी क्योंकि बहुत लोगों की जिन्दगियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जय हिन्द। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अलका जी ने माननीय उपमुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। अलका जी ने जो विषय उठाया है; यमुना रिवर बैंक पर। बिल्कुल बैंक के किनारे जो बाधित क्षेत्र है, वहाँ बिल्डिंग बन गयी बहुत बड़ी। कई लोंगों ने... मैं जब निगम बोध घाट किसी उसमें जाता हूँ तो कई लोगों ने मुझे वहाँ भी जिक्र किया। मैं चाहता हूँ कि इसकी कल अगर रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट अगर सदन पटल पर आ जाये कि कैसे बिल्डिंग बन रही है; अनऑथोराइज बन रही है, कैसे हो रही ये बिल्डिंग, क्या इसकी परमीशन दी है, नक्शे पास किये हैं कारपोरेशन ने। ये एक बड़ा... और ये रिवर बैंक में जहाँ बिल्डिंगें बन नहीं सकती।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, बिल्कुल आपके माध्यम से मंत्री जी को एक बात सिर्फ बता देना चाहती हूँ। जब मैंने प्रयास किया नगर निगम से जानने के। मंत्री जी जवाब ये मिलता है कि इसकी फाउन्डेशन पूर्व एलजी नजीब जंग साहब ने रखी है। इसलिए कोई इस इमारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए सारे नियम कानून तोड़कर पूरा जो है, इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है क्योंकि नजीब जंग जी ने इसकी फाउण्डेशन रखी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, प्लीज। अब हो गया। नहीं, ये बहुत महत्वूपर्ण विषय है प्लीज।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं

सम्बन्धित विभागों से इसकी जानकारी लेके सदन को भी इसके बारे में अवगत कराऊँगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः जगदीप जी केवल... इस पर चर्चा नहीं। आप अपनी बात रख दीजिए।

श्री जगदीप सिंहः दो लाइनें सर। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये बहुत इम्पार्टेन्ट इश्यू है। ये मेरा नहीं पूरे विधायकगण जितने बैठें हैं, सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। डूडा खत्म होने के बाद हम सब लोगों ने अपने प्रपोजल बनाके यूडी में भेजे हुए हैं। एक महीने से सब विधायक लोग यूडी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई भी एक भी प्रपोजल अप्रूव नहीं किया जा रहा है। लोग आके अपने कामों के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारे काम कब होंगे। वो एक बार अगर उप मुख्मंत्री जी संज्ञान में लें लेंगे कि वो क्यों नहीं इस काम को कर रहें हैं। आज भी सुबह मैंने सेक्रेटरी यूडी से मैंने बात की है तो एक बड़ा ही ऑन्सर जो है, लथार्जिक सा ऑन्सर मिला उनसे। तो ये जो काम न करने का वो है, वो वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे पास डूडा से स्टेटमेन्ट नहीं आई है आपके बैलेन्स की। हम लोगों ने जा–जाके डिवीजनल कमिश्नर के ऑफिस से बाई हैन्ड लेके उनके हाथ में दी है फिर भी अभी तक एक महीने से कोई भी फण्ड अप्रूव नहीं किया गया। काइंडली इस पर संज्ञान लें, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं बन्दना जी, प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज रह जाएंगे। अब नहीं। प्लीज। दे रखा हूँ जो नम्बर आये, मैंने कर दिया। अब माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्य मंत्री कार्य सूची में दर्शाए गये अपने विभाग से सम्बन्धित दस्तावेजों को हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दू क्रमाँक–तीन में दर्शाए गए वर्ष 2016–17 हेतु विनियोजन लेखें, वित्त लेखे और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की अंग्रेजी, हिन्दी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[1] मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ। आपकी इजाजत हो तो?

माननीय अध्यक्षः अभी एक बार रख दें फिर दस मिनट बाद। सदन पटल पर ये चला जाए। माननीय उप मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव आया है; दो दिन और सदन का समय बढ़ाया जाये। अर्थात वीरवार और शुक्रवार।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

---

1. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर 20442–44 और 20489–90 पर उपलब्ध

तदनुसार विधान सभा के सातवें सत्र की बैठक दिनांक 4 अप्रैल, 2018 तथा 5 अप्रैल, 2018 को भी होगी। अभी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूँ। शाम को भी सूचित करुंगा कि 280 के...

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इसमें करेक्शन करने की जरुरत है। मेरा जो प्रस्ताव है, वो क्योंकि आज मंगलवार है सदन आज तक था। तो वो शायद आपसे भी पढ़ने में गलती हुई है। बुधवार और बृहस्पतिवार।

माननीय अध्यक्षः हाँ 4 अप्रैल, बुधवार और वीरवार। हाँ, मेरे से समय गलत हो गया। दिन गलत हो गया, ठीक है। ये करेक्ट कर लें। ये बुधवार और वीरवार यानी 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, 2018 को। मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूँ कि वे कल दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख नियम–280 के मामलों के नोटिस कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय की नोटिस ब्रान्च में दे सकते हैं। ये ध्यान रखें।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

अब मुझे विशेष रवि जी, गुलाब सिंह जी, ऋतुराज गोविन्द जी से जिसका सभी माननीय सदस्य चाह रहे थे, पेन्शन से रिलेटेड विषयों को चर्चा में लाया जाए। यह विषय मेरे पास आया है। इसके लिए मैं गुलाब सिंह जी को समय दे रहा हूँ कि अपनी बात रखें।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। पिछले साल मार्च–अप्रैल में करीबन एक लाख पेन्शन, जो बुजुर्गों की पेन्शन थी, वो दिल्ली के अलग–अलग विधान सभा क्षेत्रों में सभी सदस्यों को अलग–अलग से, किसी को ढ़ाई हजार पेन्शन, किसी को तीन हजार, किसी को दो हजार पेन्शन

इस तरह से हमें मिली थी और हमने अपने कार्यालयों में सभी बुजुर्गों को बुला कर उन सब की पेन्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे लेकिन आज की स्थिति यह है कि मेरे यहाँ पर जैसे ढ़ाई हजार पेन्शन हमें मिली थी और ढ़ाई हजार पेन्शन में से आज का जो मेरे पास डेटा है; करीबन 900 के आस–पास पेन्शन रिलीज हुई है सिर्फ। यानी कि अभी भी 1600 के आस–पास जो रजिस्ट्रेशन थे उनके बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। आधार लिंक होने के बावजूद लोग धक्के खा रहे हैं। कार्यालय के अंदर अधिकारी ठीक से बुजुर्गों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको कोई संतुष्टि वाला जवाब दे नहीं रहे हैं। कई जगह तो ऐसा है, मैं स्पेसिफिक दो–तीन केस भी लेकर आया हूँ और पीजीएमएस का पूरा बंडल लेकर आया हूँ, जो हमने खुद पीजीएमएस में ऑफिस में बैठ कर की है इनके जवाब तक नहीं दिए जा रहे हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए एक केस बताना चाह रहा हूँ कि अप्रूव्ड होने के बाद इशू डिलीवर्ड दिखाने के बाद कि आपकी पेन्शन जा चुकी है, एकांउट में पेन्शन आई नहीं है। यह ओल्ड ऐज पेन्शन है। मदन लाल जी है, मदर्स नेम देवकी और फादर नेम रतनमणी और इनकी पेन्शन 27/3/2017 को ऐप्लिकेशन डाली गई थी और सैंक्शन दिखा दी गई है, अप्रूव्ड दिखा दी गई है, डिलिवर्ड भी दिखा दी गई है लेकिन उनके एकाउंट में नहीं पहुँची है। सारे एकाउंट्स चैक कर लिए, किसी भी एकाउंट में वो पेन्शन नहीं पहुँची है। बैंक में भी आधार कार्ड लिंक कर दिया है और सोशल वैल्फेयर डिपार्टमेंट, नजफगढ़, वहाँ पर जाकर भी सारे जो डॉक्यमेंट्स हैं, वो दे दिए हैं। ये खाली बुढ़ापा पेन्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विकलांग पेन्शन, विधवा पेन्शन, इन सभी पेन्शन के अंदर डेली तीसरे दिन बुजुर्गों को पता ही नहीं कि कहाँ जाएं, क्या करें हमारे ऑफिस में आते हैं। हम उनको चैक करके बता देते हैं, उनके बैंक में भी लिंक है और वहाँ भी लिंक है, उसके बावजूद भी

दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। तो आप यह सोचियेगा कि करीबन एक साल हो गया है, एक साल के अंदर अगर मेरे यहाँ पर 1600 पेन्शन का अभी तक नहीं पता चल रहा है कि इनमें क्या–क्या प्रॉब्लम हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। आज से करीबन चार महीने पहले, पाँच महीने पहले मुख्य मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने मीटिंग ली थी सैक्रेटरिएट के अंदर और उसमें यह तय हुआ था हम सभी विधायकों के ऑफिस में पेन्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिकारी को वहाँ भेजा जाएगा। वीक में तीन–चार बार वो वहीं रहेगा लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्य नहीं हुआ। पेन्शन अधिकारी कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जो बढ़कर पेन्शन आनी चाहिए थी, जिसकी 1500 रुपये थी, 2500 रुपये होनी चाहिए थी, जिसकी हजार थी, उसकी दो हजार होनी चाहिए थी। सारे डाक्युमेंट लेकर वो घूम रहे हैं और सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि जब पेन्शन डिपार्टमेंट के ऑफिस में वहाँ जाते हैं तो उनको आधार कार्ड या कोई भी कागज देते हैं तो कोई रिसिविंग नहीं देते हैं। मान लीजिए, जिसने आज से आठ महीने पहले वहाँ जाकर अपने सारे डाक्युमेंट दे दिए, आज पता चल रहा है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। यानी कि वहाँ पर उन्होंने कूड़ादान रखा हुआ है, सारे डाक्युमेंट उठाकर उसमें पटक देते हैं। बड़े बुजुर्ग, बेचारे धक्के खाते हैं... कुछ तो रिसिविंग हो, कुछ तो जवाबदेही तय हो कि आज से आठ महीने पहले आपने कागज लिए थे, आज तक वो काम क्यों नहीं हुआ। ऐसे–ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि पिछले आठ–नौ महीने पहले पेन्शन के फार्म भरे, अपना आधार कार्ड लिंक करा दिया, जिसकी पेन्शन बढ़कर नहीं आई, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। नौ महीने पहले उन्होंने अपना आधार कार्ड लिंक करा दिया, बैंक में भी करा दिया, वहाँ भी करा दिया। अभी बेचारे 20 दिन भी नहीं हुए, 20 दिन पहले गए वहाँ पर, हम तो आपके यहाँ पर देकर गए थे, सब कुछ दे दिया। बोले जी,

आपका तो आधार कार्ड लिंक ही नहीं हुआ है। दोबारा दीजिए, उन्होंने वहाँ पर बैठ कर उनके साथ झगड़ा किया, तब जाकर उन्होंने लिंक किया, तो उनकी पेन्शन बढ़ कर आ गई। यानी कि पिछले आठ महीने उनकी पेन्शन 1500 रुपये आती रही। अब जब वहाँ पर बैठ कर, धरना देकर... तब वो लिंक किया गया तो 2500 हजार... यानी कि आठ महीने का खामियाजा कौन भुगतेगा? यह डिपार्टमेंट भुगतेगा, कौन भुगतेगा? कोई जवाबदेही नहीं है, कोई डाक्युमेंट की रिसिविंग नहीं है, उन ऑफिस के अंदर। कोई व्यवहार ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इसको लेकर मंत्री जी तुरंत इसमें संज्ञान लें और सभी अधिकारियों को बुलायें और विशेष तौर पर मेरा एक अनुरोध यह है कि जो फैसला हुआ था कि सभी विधायकों के कार्यालय में पेन्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक–एक व्यक्ति को वहाँ पर बैठाया जाये। कितनी ज्यादा समस्या हमारे पास आ रही है, क्या जवाब दें उनको? कोई जवाब न डिपार्टमेंट की तरफ से मिल पा रहा है... तो आपसे अनुरोध है और आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि एक–एक व्यक्ति को अगले कुछ दिनों के लिए कम से कम हमारे ऑफिस में बैठाया जाये जिससे कि हम इन समस्याओं का उचित समाधान निकाल सकें, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, लगातार हम सब के ऑफिस में सबसे ज्यादा जो परेशानी है, अभी पेन्शन की है। सुबह से रात तक, रात–रात में... अभी आप फ्री होंगे, इसीलिए आपके घर पर आ गई हूँ। आप ही मेरा यह काम करा दो। आठ बार मैं दफ्तर के चक्कर काट चुकी हूँ। ऐसी–ऐसी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं और आकर दरवाजे पर बैठ जाती हैं। बेटा, मैं आठ महीने से चक्कर काट रही हूँ और

लगातार दफ्तर के और वहाँ पर दफ्तर में तो एकदम रिस्पोंस लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। उनको कह दिया हाँ, हाँ जाओ, जाओ, तुम्हारा आ जाएगा। जाओ, जाओ हो जाएगा। इस तरीके से मेरे ब्लॉक की दो महिलाएं ऐसी हैं जिनके लिए मैं खुद उठ कर गई थी और वहाँ राव साहब थे, उनको बता कर, लिखवा कर सारे उनके डॉक्युमेंट जमा करवा कर आज आठ महीने हो गए, उनकी पेन्शन शुरु नहीं हुई। वो रोज, जब भी मैं घर से निकलती हूँ वो रोते हुए मेरी गाड़ी के पास आती हैं। डेली की रुटीन में, इसी तरह से आज हमारी सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम बनाई। 2500 रुपये पेन्शन देने की बात करी, हजार के दो हजार करे लोगों ने खूब वाह–वाही की, लोग खूब खुश हुए जो कि लोगों की पेन्शन अब अच्छे से मिलनी शुरु होगी, उनकी दवा का खर्च कुछ, उनके घर का रोजमर्रा का सामान उनको मिल जाएगा। लेकिन आज वो दर–दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं और मैंने पूरा आपके नाम से एक लैटर भी बनाया है। मुझे लग रहा था कि मौका मिलेगा कि नहीं और मैं सारी लिस्ट लेकर आई हूँ इतने लोगों की लिस्ट और यह मैं लगातार, यह जो लिस्ट है, यह मंत्री जी को भी दे रखी हूँ। लेकिन आज तक किसी की पेन्शन नहीं है और कई बार ऑफिसर तो एकदम सुनने को तैयार नहीं हैं। ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। हमारे मंत्रालय को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मैं आज सारे पेन्शन की अंतिम दरवाजे पर आई हूँ, यह विधान सभा के मंदिर में और यहां से मैं उम्मीद करती हूँ कि इन पेंशनधारी को आज कोई रास्ता मिलेगा और इन सभी की पेन्शन महीने दो महीने में, अध्यक्ष जी, इस पर बहुत ही गम्भीरता से हम सब को निर्णय लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द इन सभी पेंशनधारियों को, किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं, मेरे वालेंटियर सारे के पेपर

इकट्ठे कर कर के वालंटियर दफ्तर में एक–एक पेपर पहुँचा चुके हैं लेकिन कभी किसी की कोई कमी, कभी किसी की कोई कमी और अभी गुलाब भाई ने कहा कि जो अंगूठा, सच में बहुत सारों की प्रॉब्लम आ रही है, बुजुर्ग हो गए हैं उनका अंगूठा... नहीं होती है एंट्री। फिर भी उनको बार–बार दौड़ाया जा रहा है। मैं अभी आज आपके माध्यम से सदन के सामने ये सारे पेपर रख रही हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ जो कि एक महीने के अंदर ये सारे लोगों को जो जरुरतमंद लोग हैं जो मजबूर हैं, उनकी पेन्शन उनके घर तक, उनके बैंकों में पहुंच जाएगा, यह आपसे विनती कर रही हूँ, जय हिंद, जयभारत।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी द्वारा सूची जो है, लिस्ट यह सदन के रिकार्ड में ले ली जाए।

श्री गुलाब सिंहः सर, ये भी है।

माननीय अध्यक्षः जिनके पास हैं, वो दे दें। आपके पास फोटो कॉपियाँ हैं इसकी?

श्री गुलाब सिंहः हाँ सर।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी, यहाँ आ गए हैं। श्री विशेष रवि जी।

श्री अजेश यादवः सर, एक मिनट के लिएकृ

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजेश जी, मैं समय दूँगा। मैंने आपका नोट कर लिया है।

श्री अजेश यादवः इससे जुड़ा हुआ है बस...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अभी दूँगा समय। मैंने नोट कर लिया है। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा कराई आज इस विषय पर।

अध्यक्ष जी, 28 तारीख को मैंने प्रश्न काल के अंदर कुछ प्रश्न लगाए थे पेन्शन से जुड़े हुए। मैं

उसी से शुरु कर रहा हूँ अपनी बात को। सर, सबसे पहले मैंने प्रश्न लगाया था, अपनी विधान सभा को लेकर लगाया था लेकिन वो सभी विधान सभाओं पर अपने आप लागू हो रहा है कि करोलबाग विधान सभा में वर्ष 2017 से अब तक कितने पेंशनधारकों की पेन्शन किसी भी कारण से रुकी और फिर कुछ समय बाद वो चालू हो गई, उस अवधि का, जब से वह पेन्शन बंद हुई और वो फिर से शुरु हुई उसके कारण सहित पूर्ण विवरण क्या है। सर, विभाग ने जो बताया है कि क्या–क्या कारण जो हैं इसमें रहे लोगों की पेन्शन बंद होने में। उन्होंने बताया है पहला कि बैंक खाता चेंज होने पर।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः नहीं नहीं...

पहला, उन्होंने बताया है कि बैंक खाता अगर चेंज हो गया है पेन्शन धारक का तो पेन्शन रुकी।

दूसरा, उन्होंने बताया है कि बैंक खाता उपलब्ध न होने पर यानी बैंक खाता ही नहीं है उसका। ये हमने पूछा है कि किसकी रुकी थी और फिर चालू हुई है।

तीसरा, उन्होंने बताया है कि बैंक खाते का मिलान न होने पर यानी कि जो पहले ले रहा था, तो उस समय मिलान था अचानक मिलान जो है, बंद हो गया और फिर से वो मिलान हो गया अपने आप ही या हुआ ही नहीं।

चौथा, उन्होंने बताया है कि आधार निष्क्रिय होने पर जिसकी पेन्शन आलरेडी आ रही थी, अचानक उसका आधार निष्क्रिय हो गया और उसकी पेन्शन बंद हो गई।

पाँचवा उन्होंने बताया कि आधार डाटाबेस में उपलब्ध न होने के कारण। आधार कार्ड उनके डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है इसलिए बंद हो गई।

आगे उन्होंने बताया है कि आधार अवैध होने के कारण और उन्होंने फिर बताया है कि हमारे क्षेत्र में वृद्धा पेन्शन 270 वृद्धा पेन्शन जो हैं, कुल रुकी थी। विकलाँग पेन्शन 18 रुकी थी और जो चल रही है, उसकी सीडी संलग्न है तो सर मैं पहले... और भी बिन्दु हैं। तो पहले इसी को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, सदन के सामने बातचीत कि ये जवाब कि बैंक खाता बदल जाना, ये समझ में आता है कि किसी एप्लीकेंट ने पहले बैंक खाता कारपोरेशन बैंक में था, उसने स्टेट बैंक में कर लिया और वो लिंक नहीं हो पाया तो पेन्शन बंद हो गई लेकिन बैंक खाता उपलब्ध न होना, मैं चाहूँगा कि अगर मंत्री जी, अगर इन सवालों को नोट कर लेंगे और वो जवाब आखिरी में दे देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी।

तीसरा, की बैंक खाते का मिलान न होना। सर ये बैंक खाते का मिलान न होना, आधार कार्ड निष्क्रिय होना, आधार कार्ड डेटा बेस में न होना या आधार कार्ड का अवैध होना, ये जो चार बिन्दु बताए हैं न सर, इनका असली अर्थ क्या है, वो हमारी समझ से बाहर है। जब ये कहा जाता है कि आधार

का निष्क्रिय हो जाना... जिस आदमी की पेन्शन आ रही थी, नई पेन्शन की बात नहीं कर रहे हम, पेन्शन जिसकी आ रही थी, उसको ये कहना कि उसका आधार ही निष्क्रिय हो गया। उसको ये कहना कि उसका आधार जो है वो डाटाबेस में नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। उसका ये कहना कि उसका आधार कार्ड ही अवैध है। इन तीनों कारणों के समय एक तो ये कारण ही सारे जो हैं, वो समझ से बाहर हैं। दूसरा इन तीनों कारणों में अगर पेन्शन धारक की पेन्शन बंद हो रही है तो उसको बताया नहीं जाता है। वो या तो हमारे आफिस में धक्के खाता है या फिर वो डिपार्टमेंट के आफिस में धक्के खाता है। जहाँ पर कभी भी कभी 99 परसेंट उसको सही जवाब या सही रास्ता नहीं दिखाया जाता कि उसकी पेन्शन क्यों बंद हो गई है।

सर, दूसरा सवाल मैंने यह किया था कि क्या यह सत्य है कि विधवा पेन्शन, का फार्म जमा होने के उपरांत विभाग एनएफबीएस फार्म आवेदन नहीं लेता है। यानी विधवा पेन्शन... अगर कोई महिला विधवा हुई है तो उसको दो तरह की सुविधाएं डिपार्टमेंट की तरफ से; एक तो विधवा पेन्शन है, एक एनएफबीएस है जिसको नेशनल फाईनेंस बेनिफिट स्कीम बोलते हैं, उसमें उसको 20 हजार रुपये मिलते हैं सर, और एक साल के कार्यकाल के अंदर और विधवा पेन्शन हम सब जानते हैं तो डिपार्टमेंट में बैठे हुए कर्मचारी... पता नहीं बाकी जगहों में क्या हाल है। अगर किसी महिला ने विधवा का फार्म पहले भर दिया और उसने एनएफबीएस का फार्म बाद में भरके, वो जाके जमा करने की कोशिश करती है तो उसको सीधा मना कर दिया जाता है कि तुम्हारा फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लेकिन जब कि यहाँ पर बताया गया है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। और कार्यालयों में ये हो रहा है कि एनएफबीएस का फार्म मैं फार्म लेकर आया हूँ सर, उसको

साफ मना कर दिया जाता है कि तुम्हारा एनएफबीएस का फार्म स्वीकार नहीं होगा क्योंकि तुमने विधवा का फार्म जमा कर दिया है। सर, तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि पेन्शन धारकों की बढ़ी हुई पेन्शन न मिलने के क्या कारण हैं तो विभाग ने इसका जवाब दिया है कि विभाग द्वारा बढ़ी हुई पेन्शन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है। अतः जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक है, उन सभी को बढ़ी हुई पेन्शन मिल रही है। बाकी सभी लाभार्थियों को अपना आधार नंबर को बैंक खाते से सब्सिडी पाने हेतु एनपीसीआई पोर्टल पर लिंक कराने की सलाह दी जाती है। सर एक पेन्शन धारक की जिसकी आलरेडी पेन्शन आ रही है, अगर पेन्शन उसकी आ रही है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि उसका आधार कार्ड लिंक्ड है तभी तो उसकी पेन्शन आ रही है। जैसा विभाग ने बताया है कि इन चार पांच बिन्दुओं में पेन्शन जिसकी रुकती है, वो ये चार पाँच बिन्दु हैं; उसमें ये बताया है कि आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है या आधार में कोई गड़बड़ी है तो पेन्शन उसकी नहीं आ रही है लेकिन यहाँ विभाग कह रहा है कि आपकी बढ़ी हुई पेन्शन तभी आएगी, जब उसको आप आधार से लिंक करवाओगे और उसमें एक अलग से जो है, शब्द दे दिया है ये एनपीसीआई... अब एनपीसीआई का सर, फुल फार्म इसकी है; नेशनल पेन्शन कार्पोरेशन आफ इंडिया। ये कहा जाता है कि अगर आप इससे लिंक कराएंगे अपने आधार को तभी आपकी पेन्शन सर, चालू होगी। अब सर, लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं सर ,ये क्या है, एनपीसीआई क्या है? पहले तो पता ही नहीं, उनकी पेन्शन क्यों रुकी हुई है। हम जो है, छानबीन करते हैं तो पता लगता है कि जी, आधार लिंक नहीं है। अच्छा, आधार लिंक नहीं है तो उसमें भी दो चीजें हैं कि पहले केवाईसी से लिंक नहीं है, उसके बाद अब ये नया सिस्टम आ गया है कि एनपीसीआई से लिंक नहीं है। सर, हालात ये हैं कि बैंक के मैनेजर...

कर्मचारी छोड़ दीजिए, बैंक के मैनेजर तक को पता नहीं है कि ये एनपीसीआई क्या बला है, ये किस बला का नाम है! तो वो क्या तो वो लिंक करेंगे सर, और क्या वो पेन्शन जिनकी रुकी हुई है, उनकी पेन्शन चालू करेंगे। तो मंत्री जी बताएं इसमे कि जब ये सिस्टम चालू किया गया था, एक तो तब चालू हुआ है और जब ये चालू हुआ था तो क्या बैंक वालों से मीटिंग हुई थी, क्या उनको कोई सर्कुलर जारी किया गया था? अगर वो जारी किया गया था तो हमें क्यों नहीं बताया गया और अगर वो सर्कुलर जारी हो गया तो इनको क्यों नहीं पता है और क्यों भगा रहे हैं लोगों को, क्यों इधर उधर भेज रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए अब, कन्क्लूड करिए।

श्री विशेष रविः सर, एक मिनट, कन्क्लूड मत कराइए, अभी बाकी है सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं, फिर सब सदस्य रह जाएंगे, सब अपनी बात रखेंगे।

श्री विशेष रविः सर, सारे विषय इसमे लगभग–लगभग आ जाएंगे सर।

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी ने सारा विषय रख लिया है और बाकी विस्तारपूर्वक सदन का समय बच सकता है तो बचाएं और जो अपनी लिस्ट लाए हैं, वो सदन के पटल पर रख दें जो जो अपनी लिस्ट लाए हैं, रख सकते हैं, बिना बोले रख सकते हैं।

श्री विशेष रविः सर, इसके आगे तीसरा क्वेश्चन पूछा था, प्रश्नकाल के अंदर जो आया नहीं था कि क्या ये भी सत्य है कि किसी पेन्शन धारक की पेन्शन दो महीने तक न आने के उपरांत पेन्शन दोबारा से शुरु होने पर विभाग पिछले दो महीने की रुकी हुई पेन्शन नहीं देता है। तो विभाग

ने कहा कि जी नहीं, यदि किसी कारणवश लाभार्थी की पेन्शन रुक जाती है तो उस समस्या का निवारण करके बकाया राशि भी उस पेन्शन धारक को दी जाती है। सर, ये पूरी तरह से झूठ है! पूरी तरह से झूठ है! ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक दो तो मैं लेकर आया हूँ सर, और बहुत सारे लोगों के पास होंगे। जब पेन्शन रुकती है और दोबारा चालू होती है तो उसके बीच का जो पोर्शन है, उसकी पेन्शन दोबारा सर, आती नहीं है उसके पास। उसको कुछ न कुछ बोल के भेज दिया जाता है कि आ जाएगी, अब आ जाएगी और जो पेन्शन धारक है, उसको इस बात पर तसल्ली हो जाती है कि मेरी पेन्शन आ गई है न इस महीने की, तो सर वो पिछला छोड़ देता है, दोबारा जाता ही नहीं है। तो सर, मेरी ये डिमांड है कि पिछले सिर्फ दो साल की दोनों ओल्ड ऐज पेन्शन में भी और विडो पेन्शन के अंदर भी, इन दोनों इनकी ऑडिट किये जाएं, सभी तरह की पेंशन्स के अंदर पिछले दो साल की ऑडिट की जाए और इसकी जाँच की जाए कि कितने लोगों की पेन्शन रुकी, किस महीने की रुकी और क्या वो दोबारा उनको मिली। और नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली, इसकी जानकारी सर, वो यहाँ सदन में दी जाए या फिर आप इस मैटर को क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को आप भेज दें। वहाँ पर कमेटी के लोग जो हैं, उसको जो है, बातचीत कर लेंगे लेकिन इसका ऑडिट होना सर, बहुत जरुरी है। क्योंकि ये सामने आया है कि कुछ कर्मचारी... कुछ अधिकारी जो विभाग के हैं, उनकी मिलीभगत से उन्होंने फेक अकाउंट खोले हुए हैं या फेक लोगों की पेन्शन लगवाई हुई है और जो बीच का जो पोर्शन छूटता है सर, पेन्शन का, वो उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं और फिर वहाँ से पेन्शन के पैसे निकलवाकर आपस में बाँट लेते हैं। तो सर, ये इसका ऑडिट होना बहुत जरुरी है ताकि ये सामने आए कि जिन लोगों की पेन्शन रुकती है

और वो दोबारा नहीं आती है तो वो कहाँ जाती है। सर, आखिरी एक चीज और है बस, मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा प्रश्न था कि सर, मैंने ये पूछा था कि दिल्ली गेट पर हमारे डिस्ट्रिक्ट का आफिस है... डिस्ट्रिक्ट आफिस है।

सर, वहाँ पर मैं एक साल पहले गया था और वहाँ जब मैंने देखा कि जो विधवा पेन्शन का जो काउंटर है, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट का डीओ आफिस है, जो काउंटर है, वो बाहर है ओपन स्पेस में। डिपार्टमेंट के आफिस के एसी ब्लोअर वहाँ लगे हुए थे, जहाँ पर विडो पेन्शन के लिए महिलाएं आकर बैठती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, अपनी पेन्शन की जानकारी के लिए वहाँ पर डिपार्टमेंट में अंदर लगे हुए एसी के ब्लोअर वहाँ लगे हुए थे जिसकी गर्म हवा सीधा उन लोगों पर जा रही थी। ये गर्मियों की बता रहे हैं सर, पिछले साल की हम। हमने विभाग को जाकर बताया, डायरेक्टर को बताया, मंत्री जी की, एक बैठक में जानकारी में लाए। मैंने इस प्रश्न को लगाया कि क्या वो ठीक हो गया है, यहाँ विभाग ने बताया कि हाँ जी, वो ठीक हो गया है। सर, ये भी सरासर झूठ है। आज भी वहाँ पर वो ब्लोअर लगे हुए हैं और आज भी वहाँ बुजुर्गों पर वो गर्म हवा जो है, उन पर जा रही है। सर, इसकी अभी भी शायद ये अधिकारी ये कहेंगे, नहीं जी, सर, ठीक हो गया है। लेकिन मेरे पास फोटोज हैं। मैने फोटो मंगा लिये है वहाँ पर। मेरे पास फोटोज हैं कि आज भी वहाँ पर वो ब्लोअर लगे हुए हैं। सर, देखिए कि विभाग ने अपने लिए तो अंदर एसी लगा रखे हैं, लेकिन जो वेटिंग रुम है, वहाँ कोई एसी नहीं है। मैने डॉयरेक्टर महोदय से पिछली मिटिंग में कहा था सर, आप ने अपने यहाँ लगा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेटिंग रूम क्यों छोड़ रखा है। वहाँ पर भी एसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगाऊँगा मैं। लेकिन सर, एक साल हो गया है, वहाँ पर

एसी नहीं लगा हैं। अन्दर ही एसी लगे हुए हैं। उनके ब्लोअर बाहर लगे हुए हैं। सर, बहुत–बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया बोलने के लिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी। देखिए, मेरे पास अलका जी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं देखिए, इस पर समय... नहीं, भई ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज बैठिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो सारा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरे पास क्रमबद्ध नाम हैं। मुझे पूरा करने तो दीजिए। ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी विधान सभा को रिप्रजेंट करता हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा जरुरतमंद लोग रहते हैं। पेन्शन को ले करके मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पेन्शन किसी राज्य में मिलता है तो वो दिल्ली में है। और सबसे अधिक बात जो

हम देख रहे हैं कि एक साल पहले जो सरकार ने एक लाख पेन्शन लगाने का जो हम लोगों को ये ऑप्शन मिला था, एक साल पहले जिन पैंशन्स को रजिस्टर्ड कराया था। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी है। हसीना बेगम जिनके डाक्यूमेंटस मान लीजिए कम्पलीट नहीं हैं, इनकम्पलीट हैं, उसको लेकर जिन पेशन्स में डिले हुआ है, वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो ऐसे–ऐसे ऑप्शन्स हैं, सैंकड़ों की संख्या में ऐसे पेन्शन हैं अध्यक्ष महोदय, जिनका सैंक्शन हो चुका है। पेन्शन सैंक्शन है डिपार्टमेंट के द्वारा। हसीना बेगम जी का पेन्शन 13/07/2017 को सैक्शन हो गया था। अभी सात–आठ महीने के बाद भी उनको अधिकारी बोलते हैं कि कभी जाइए आप बस अड्डा पर, इनका कोई ऑफिस है, दिल्ली गेट पर। कभी बोलते हैं कि जिला के ऑफिस में जाइए। कभी बोलते हैं, यहाँ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस सैगमेंट को हम टेंशन दे रहे हैं, वो समाज का सबसे जरुरतमंद लोग हैं। या तो वो बुजुर्ग हैं या विधवा हैं या विकलांग है। डिप्राईव्ड ग्रुप है। अगर हम उस क्लास को ये कहते हैं कि आप इस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, दिल्ली गेट जाइए, जिला कार्यालय जाइए, एमएलए ऑफिस जाइए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। 13/07/2017 को जो पेन्शन सैंक्शन किया है डिपार्टमेंट ने, उसका पूरा डिटेल लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर और सात–आठ महीने के बाद भी उनके एकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक केस नहीं, ऐसे दर्जनों केस हैं, सैंकड़ों केस हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। और सबसे बड़ी बात है कि उनको परेशान किया जाता है। कभी आधार के नाम पर बैंक में जाओ। सबसे आधा परेशानी इस आधार कार्ड ने डाला हुआ है।

कभी ये कराओ, वो कराओ, ऐसा कराओ, वैसा कराओ। वो बार–बार बैंक में जाते हैं। बैंक वाला बोलता है कि भाई साहब, आपको सब बेवकूफ बना रहे हैं। आप जाकर पेन्शन डिपार्टमेंट से बात करो। पेन्शन डिपार्टमेंट कहता है, फिर बैंक में जाओ। अननेसेसरी हम परेशान कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं बुजुर्गो को, विकलांगों को, विधवाओं को।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, ऋतुराज जी। कन्क्लूड करिए।

श्री ऋतुराज गोविन्दः मैं यही बात कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि बहुत सीरियस ईश्यू है। एक लाख पेन्शन जो एक साल पहले हम लोगों ने लगाने का काम किया, सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर के, वो अभी तक केवल और केवल इसीलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी पुअर इम्पलीमेंटेशन है। ये अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जाँच होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री अजेश यादव जी। बहुत ही संक्षेप में रखेंगे। साढ़े तीन बजे तक का समय है मेरे पास।

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय, सारी बात तो ऋतु भाई ने और विशेष जी ने बता दी लेकिन हम जब सेवा कर रहे हैं जनता की। मैं 25 हजार रुपये महीने एक लड़के को इस चीज की तनख्वाह देता हूँ कि आप इनके साथ जाएंगे, अगर किसी को दिक्कत हो तो। उसको लोहानी नाम का ऑफिसर ये कहते हैं कि आप फ्री में तो सेवा कर नही सकते। आप जो हर रोज आ रहे हो ऑफिस में इनको साथ लेकर, तो फ्री में तो नहीं कर सकते। तो शीला दीक्षित के टाइम पर आप भी सुखी थे और हम भी

सुखी थे। तो आप बताओ, आप किसी तरीके से हर रोज आते हो जो हमारा भी ठीक ठाक चलता रहे, तुम्हारा भी ठीक काम होगा। और हमारा भी ठीक काम होगा। और ये लोहानी नाम की ऑफिसर हैं। ये बहुत गम्भीर विषय है। मैं बाई नेम अपनी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ और मेरे पास वो लड़का लिखकर देने को तैयार है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। देखिए, मेरे पास जो नाम हैं प्लीज, सब अगर ये बात रखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मेरा मानना ये है कि राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको सर्वमान्य सदस्य उन पर चर्चा करना चाहते हैं और कई बार होता ये है कि हम लोग भी उस पर सहयोग या अपनी विचार या प्रस्ताव रखना चाहते हैं लेकिन ये जो धक्का मुक्की में हमारा उसमें कहीं न कहीं हमारा जो मत है, वह नहीं रखा जाता। तो आपने मुझे इसके लिए मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

एक बहुत ही संवदेशील मुद्दा है पेन्शन का। तो पेन्शन का अभी तक हर सरकार की कोई न कोई विशेषता होती है। तो ये आम पार्टी की सरकार, आप सरकार है। ये गरीब लोगों के लिए काम करने की जब बातें करती है तो मैं यह समझता हूँ कि कम से कम कोई न कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सरकार ये कह सके कि हमारे कार्यकाल में इस चीज का बंदोबस्त इन लोगों के लिए विशेष रुप से किया गया है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेन्शन का मुद्दा है, इससे अच्छा कोई मुद्दा दिल्ली शहर में हो नहीं सकता। मुझे लगता है 70 के 70... और आप भी इससे परेशान होंगे। अभी बीच में तरह–तरह के अजीब तुगलकी

फरमान आते हैं कि एक कोई कार्यकर्ता जो तीन से चार रहेगी। अमूमनन सभी जितने चुने हुए व्यक्ति हैं, उनके ऑफिस सुबह होते हैं। अब तीन से चार वहाँ पेन्शन से कौन आएगा, उसको कौन रखेगा, किस से मिलवाएगा? एक दो बार आने जाने का हुआ। लेकिन किसी प्रकार का कोई मामला बना नहीं। अब इसमें जो समस्याएं आ रही है; नम्बर एक, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। निश्चित रुप से ये जो सबसे गरीब आदमी के लिए यदि हम कर रहे हैं तो उसमें एक समय सीमा होनी चाहिए और एक जो क्लैरीकल टाइप का एक आदमी है, वो उसके लिए भगवान बन जाता है। बार–बार उसको दौड़ाता है। उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके प्रति वो संवेदनशील नहीं है। एक गरीब व्यक्ति, एक 70 साल की, 60 साल की महिला कुछ पैसों के लिए जब बार–बार भटकती है तो वो बड़ा दिल को दुखाने वाला एक दृश्य होता है। एक बेसिक चीज इसमें आ रही है; जो रीडर है, वह अगूंठे को रीड नहीं कर पाता। उसके लिए आंखे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि सरकार में जो आपके दफ्तरों में जो लोग बैठे हैं, ये ये काम करते हैं तनख्वाह लेने के बाद। ऐसा लगता है कि वो नालायक लोग कोई उन बुजुर्ग लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अहसान कर रहे हैं। उनकी भाषा गलत है। उनका उनके प्रति कोई किसी प्रकार का कोई मान सम्मान का भाव नहीं है। तो ये एक बड़ी अपमानजनक जो स्थिति जो है, इस मामले में बन गई है। ये सीनियर सिटीजन का जो अपमान है, मैं समझता हूँ पूरे देश का अपमान है और हर आदमी इससे व्यथित होता है। एक नई चीज जो इसमें चालू हो गई है, कोई भी व्यक्ति आता है, सब चीजें करने के बाद पता लगता है उसकी पेन्शन तो आ रही है। अब पेन्शन आ रही है तो कहाँ आ रही है। वो ढूंढता हुआ जाता है तो पता लगता है एक बैंक में उसके नाम का एक खाता खुला हुआ है और उसमें पेन्शन आ रही है। अब ये कोई फ्रॉड है,

ये कोई गलती है, ये क्या है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है!

तो मेरा कहना केवल इतना है कि ये समाज जिसने पूरा जीवन जिस देश के लिए लगाया, आज वो किसी वजह से चाहे वो विडो है, चाहे वो ओल्ड ऐज है, चाहे वो विकलाँग है, ये हमारा जो पूरा समाज है, उस समाज का उसके प्रति एक जो सद्भावना है, उस सद्भावना को जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से उन लोगों को ट्रीट करते हैं, उसमें सद्भावना नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती। इस विषय में आपसे ये पुनः निवेदन है कि इस को समय सीमा में बद्ध किया जाए। और समाज में कम से कम इस तरह के अफसर लगाएं जाएं जिन लोगों को ये समझ में आए कि ये जो समाज का ऐसा वर्ग है, जिस वर्ग के साथ बहुत ही तरीके से, ढंग से और उन लोगों से संवाद किया जाना चाहिए। आप ने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र सिंह कमांडो।

श्री सुरेन्द्र सिंहः धन्यवाद सर। इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया।

इससे पहले भी मैं मेरी विधान सभा से एक केस पेटीशन कमेटी में लगा चुका हूँ और आपकी विधान सभा का भी एक केस विधान सभा की पैटीशन में आया था। आपने रेफर किया था। पहले मैं उसी केस की बात करुँगा। उसके बाद एक चांदनी नाम की विधवा लड़की जो 20–22 साल की उम्र की थी, उसने पेन्शन के लिए अप्लाइ किया। और जो पैसा मिलता है, उसके लिए भी अप्लाइ किया। जो साउथ वेस्ट के अंदर हमारा ऑफिस है कटवारिया सराय के अंदर वहाँ पे एक महेश नाम का डाटा एंट्री ऑपरेटर

उस महिला को बुरी नजर से देखने लगा और उस महिला को बार बार चक्कर कटवाने लगा। वो महिला मेरे ऑफिस में एक दिन आई और वो रोने लगी। उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा था... कि भईया, मैं इस बच्चे को बेचना चाहती हूँ। दो बच्चे छोटे छोटे और उसके साथ में थी लड़की उसकी, दो बच्चे थे। मैंने उसको पूरी कहानी उसकी सुनी। उसने लिखित में दिया सारी कहानी अपनी कि भाई साहब, मैं कई पहले मैं बाहर बिठाई, दो दिन बैठाई, तीन दिन बैठाई। उसके बाद मेरी चेस्ट के ऊपर उसने फार्म को फेंक के मारा। दूसरी जो महिला थी उसने उसको कहा कि आप ठीक है, पेन्शन बने न बने इस तरह का व्यवहार मत करें। वो केस पेटिशन कमेटी में लगा। पेटिशन कमेटी जब उस केस की यहाँ पे सुनवाई करने लगी और उसकी जाँच डिटेल, उसकी इंक्वायरी करने के लिए पेटिशन कमेटी ने उस केस को अधिकारियों को दिया। उस पेटिशन कमेटी में उस केस का कोई भी इंक्वायरी होके नहीं आया। उसके बाद उस ऑफिस से जो महिला अधिकारी थी, उस लड़की को धमकाने लगी। उस लड़की के पास बार बार उस महिला अधिकारी ने फोन किए और जहाँ वो लड़की काम कर रही थी, उस महेश नाम के व्यक्ति को उस बेटी के वहाँ ऑफिस तक भेजा गया। इतनी हिम्मत है अधिकारियों की और उसने दोबारा से वो कंप्लेंट दी है, दोबारा उस केस को सुनवाई अभी हुई नहीं है और वहाँ जाके उसको धमकी दी और उसने लिखा है मेरे पास कंप्लेंट है, उसकी जो है दोबारा कंप्लेंट दी।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, इस कंप्लेंट को अपने लैटर पैड पे मुझे फॉरवर्ड करिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः ठीक है, ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये समाज है जो विडो, विकलाँग, और बुजुर्ग जो लोग हैं, वे समाज के सबसे कमजोर

लोग हैं। क्योंकि उनको लड़ने झगड़ने की भी ताकत नहीं होती, पैसे धेली से भी ताकत नहीं होती। उसका ये डिपार्टमेंट पूरा फायदा उठा रहा है, उनके साथ दुव्यर्वहार किया जाता है, बुजुर्गों की बेइज्जती की जाती है और जो पेन्शन है, उसमें तीन चार जो चीजें हैं, वो चीजें, आधार कार्ड को उसका बहाना लिया जाता है, बार बार आधार कार्ड जोड़ने का बहाना लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदयः विशेष रवि जी ने ये सारी बात कह दी, इसको दोहराओ मत।

श्री सुरेन्द्र सिंहः इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः हाँ जो रह गयी है, वो बोलो।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जैसे ओल्ड एज पेन्शन का हमें आईडी दी हुई है, इसी तरह से हम को विकलाँग और विडो की भी आईडी दी जाए ताकि हम हमारे ऑफिस से कम से कम उनका फार्म भर सकें, और उसको हम वहाँ से वॉच कर सकें। ये चीज उसमें एक एड की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, क्योंकि काफी सारी इंपोर्टेंट बातें विशेष भाई और बाकी मेरे साथियों ने बोल दी है तो जो बातें नहीं हुई, मैं सिर्फ वही प्वाईंट सदन के सामने रख रहा हूँ। हाँ, एक मीटिंग सीएम साहब ने सचिवालय में बुलाई थी जहाँ पर सीएम साहब बाकी सारे मिनिस्टर और पेन्शन डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ था। वहाँ पर हमें बताया गया था कि 60 साल से ऊपर यदि कोई विडो लेडी या कोई हैंडीकैप्ड

है तो अब इनकी जो पेन्शन है, वो लग सकती है। पहले इनको सीनियर सिटीजन पेन्शन में कन्वर्ट करानी पड़ती थी 60 साल के बाद कि अब इनकी वही पेन्शन सस्टेन रहेगी जो एज इट इज आती है। विडो पेन्शन में दिक्कत नहीं आ रही पर हैंडीकैप पेन्शन में दिक्कत आ रही है यानी कि 60 साल के बाद अगर कोई हैंडीकैप्ड है, तो उसको जाके वो पेन्शन कन्वर्ट करानी पड़ रही है सीनियर सिटीजन पेन्शन में। इस पर क्या रिप्लाई है, ये चाहिए कि मेरे पास काफी सारे फार्म्स भी पड़े हैं जिनको आब्जेक्शन...

अध्यक्ष महोदयः दे दिया था।

श्री जरनैल सिंहः अच्छा, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो जवाब दें।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, अभी और कोई नई बात है तो बताइए।

श्री जरनैल सिंहः दूसरा समय सीमा...

अध्यक्ष महोदयः वो मंत्री जी करेंगे रिप्लाई।

श्री जरनैल सिंहः दूसरा मेरा सवाल है कि पेन्शन लगने की फॉर्म एसेप्ट होने के बाद समय सीमा क्या है? सातवें महीने, 2017 से लेकर अब तक के बेहिसाब फॉर्म पड़े हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। इनकी समय सीमा तय की जाए और डिले होने पर प्रॉपर उसको रिप्लाई किया जाए।

तीसरा सवाल था कि वूमेन एंड चाईल्ड वैल्फेयर डिपार्टमेंट में अगर किसी की पेन्शन कट जाती है, किसी की पेन्शन डिले हो रही है, आधार लिंक न होने की वजह से तो उनकी पेन्शन काट के और बोला जा रहा है कि आप नए सिरे से पेन्शन अप्लाइ करो जब कि सोशल वैल्फेयर डिपार्टमेंट में दिक्कत नहीं आ रही, वहाँ पर उसी को लिंक कर देते हैं,

चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। पर वूमेन एंड चाईल्ड वैल्फेयर डिपार्टमेंट में फॉर्म रिजेक्ट करके और दोबारा अप्लाइ करने के लिए बोला जा रहा है।

उसके बाद चौथा सवाल है कि पेन्शन कहीं भी चली जा रही है। यहाँ तक कि एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, एयरटेल के खाते तक में पेन्शन चली जा रही है। ये क्या सीन है अध्यक्ष जी, ये नहीं समझ आ रहा कि प्राइवेट कंपनी के अकाउंट में पेन्शन कैसे जा रही है! ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये सारे केसिस मैं लाया हूँ। लगभग 300 केसेज की मेरे पास अध्यक्ष जी, स्टडी है। वो भी मैं सारा यहाँ पर सब्मिट कर रहा हूँ; किसी की पुणे पहुँच रही है, किसी की अहमदाबाद पहुँच रही है और प्राइवेट कंपनी एयरटेल तक के अकाउंट में पेन्शन पहुँच जा रही है।

पाँचवां ये जो दिल्ली गेट बार बार भेजा जाता है बुजुर्गों को, इस तरीके से परेशान न किया जाए कि मैक्सिमम काम जो डिस्ट्रिक ऑफिस है, उसके अंदर किए जाएं, दिल्ली गेट और आईटीओ के चक्कर न लगवाए जाएं। इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि मैक्सिमम काम डिस्ट्रिक ऑफिस के अंदर ही हों, बुजुर्गों को इधर–उधर न भेजा जाए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड, एक सेकेण्ड। अभी लेता हूँ। गिरीश सोनी जी। बहुत संक्षेप में, आपने कहा, एक चीज है नई।

श्री गिरीश सोनीः वैसे अध्यक्ष जी, सभी विषयों पर विशेष रवि जी ने इस पेन्शन के विषय पे काफी अच्छा बताया। जो मेरा विषय था, मैंने लिख के दिया वो जरनैल जी ने वैसे बोल दिया लेकिन मैं इसके बारे में फिर भी बताना चाहूँगा। क्योंकि एयरटेल के अंदर मेरा सिर्फ यही विषय था कि

एयरटेल के अंदर कैसे पेन्शन जा सकती है! एयरटेल अकाउंट में बकायदा देखा गया है, एयरटेल का नंबर है, उस अकाउंट में पैसे चले गये कहीं, इसकी जाँच होनी चाहिए। 4–5 मामले मेरे यहाँ आए, मैं बड़ा हैरान हुआ कि एयरटेल कंपनी के अंदर पेन्शन चली गयी। मैंने पूछा, ये मोबाइल नंबर आपका है? तो कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग थी, हो सकता है मोबाइल नंबर किसी और का हो, कहीं और घपलेबाजी हुई हो इसके अंदर। तो इस तरह से इसकी भी विशेष तौर पे जाँच करवाई जाए अध्यक्ष जी, कि एयरटेल के अंदर जो पेमेंट जा रही है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद। सोम दत्त जी, नई चीज, कोई नई चीज।

श्री सोम दत्तः अध्यक्ष जी, ये सीनियर सिटीजन पेन्शन के लिए पिछले दिनों कई बुजुर्ग आए हैं और उनका ये कहना है कि आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ भी माँग रहे हैं वो। और कई बुजुर्ग हैं जो 1950 से 1960 के बीच में भी जन्मे हैं, कोई 65 साल है, 70 है, 75 है, उससे ऊपर के भी हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। अब वो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं कि जी, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एड करा के लाओ पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा 1952 का जन्म है। वो कैसे दिखाएंगे, उनका कैसे प्रूव होगा? वो बार बार हमारे पास आ रहे हैं। डिपार्टमेंट चक्कर लगवा रहा है कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखवा के लाओ आधार कार्ड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कैसे सर्टिफाई हो, बताईये!

और दूसरा ये कि जो सर्कुलर इश्यू किया गया था कि एक व्यक्ति डिपार्टमेंट से बैठेगा, इसका सख्ताई से पालन होना चाहिए। व्यक्ति चक्कर

काट रहे हैं बार बार जो पेन्शन लेने वाले हैं, कभी डिपार्टमेंट में कभी हमारे यहाँ। उस सर्कुलर का सख्ताई से पालन होना चाहिए और ये सर्कुलर एक और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी इश्यू होना चाहिए, वूमन एंड चाईल्ड प्लस सोशल वेल्फेयर, दोनों डिपार्टमेंट के लिए ये सर्कुलर इश्यू होना चाहिए। दोनों डिपार्टमेंट से एक–एक व्यक्ति एमएलए के दफ्तर सप्ताह में कम से कम एक बारी एक घंटे जरुर आए ताकि सारी की सारी रिटन में हमसे कंप्लेंट लिख के लाए और जब आए वापस तो उन सबका जवाब लेकर आए, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हो गया रवि जी, प्लीज। नहीं जो भी कुछ हो, मंत्री जी को बार बार इसी विषय पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं अलका जी, प्लीज, सोमनाथ जी, भई मैंने बहुत... श्री सोम नाथ जी।

श्री विशेष रविः आफिस ऑर्डर आया था एक कि हफ्ते में दो बार अधिकारी आएंगे।

अध्यक्ष महोदयः भई, ये विषय... विशेष रवि जी, आपने विषय रखा था और सबसे ज्यादा समय आपको मिला।

श्री विशेष रविः एक मिनट में खत्म कर दूँगा सर। सर, वो आर्डर आया तो हमें लगा, लोग आएंगे। सर लोग तो आए नहीं लेकिन कुछ दिन बाद जो है एक और मेल आता है कि ये–ये लोग आपके ऑफिस में इस इस दिन आए। लोग आए नहीं, लेकिन ये एक चार्ट बना के हमारे पास मेल आई डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये अखिलेश नाम के अधिकारी हैं हमारे डीओ ऑफिस से कि ये व्यक्ति हमारे ऑफिस में इस दिन आए जब कि

आए नहीं। मंत्री जी की जानकारी में मैंने डाला था, आज फिर आपके सामने रख रहा हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं अलका जी, प्लीज। श्री सोमनाथ जी। आप सदन पटल पे दे दीजिए, सारा विषय आ गया है इसमें। श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेन्शन जैसे सेंसीटिव मुद्दे के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, विशेष भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इस मुद्दे को रखा सदन पटल के ऊपर।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सिस्टम को ऑनलाइन किया। हजार रुपया बढ़ाया और ये पहली बार हुआ है इतिहास के अंदर। और ये भी कहा कि अगर फॉर्म एक बार एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद पेन्शन एक्युमुलेट होकर के आएगा, जब भी रिलीज होगा। तो ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो इस तरह की इसमें मुसीबतें थीं जिसको सरकार ने सॉल्व करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, जो मनीष जी ने अपने भाषण में कहा था कि ट्रिकल अप का एप्रोच... तो मैं उन से गुजारिश करुँगा कि ट्रिकल अप के अप्रोच में एजुकेशन, हैल्थ केयर के साथ साथ पेन्शन को भी ले लें। क्योंकि मुझे याद है, अरविंद जी के भाषण में बहुत पुराने भाषण में देखा था कि भई गरीब आदमी भी इनडॉयरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। गरीब आदमी को जो पेन्शन मिल रहा है; चाहे साठ साल का हो या विधवा को हो या विकलाँग का हो, उसको उसका हिस्सा मिल रहा है, गरीब आदमी भी इनडॉयरेक्ट टैक्स के जरिये इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उस को हम कुछ

मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को गरिमामय बनाया जाये। उस गरीब को उसका हिस्सा मिल रहा है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का उसका हिस्सा भी मिल रहा है, नंबर वन।

नंबर टू, अध्यक्ष महोदय, ये कोई रॉकेट साईंस नहीं है। ऐप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होनाा चाहिए, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिये और डिस्बर्समेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर ये सब कुछ बाकायदा लिखित रुप में दे दिया जाये तो इस सारे जितने लूप होल्स हैं, उसको प्लग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे बैठ कर के मंत्री जी, अगर आप अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर के बड़ा सख्ती से इसमें काम करें तो हो सकता है, जैसा कमांडो भाई ने कहा आफिस के अंदर जो मिसट्रीटमेंट होता है, ऐप्लीकेंटस का, वो बहुत दुःखदायी है; चाहे विधवा हो, चाहे विकलाँग हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनका बहुत मिसट्रीटमेंट होता है जैसे कि कोई वो भीख माँगने आ गया हो, कोई मुफ्त में दे रहा हो। मुझे लगता है डिग्नीफाइड वे में उनके बैठने का प्रबंध किया जाये, उनके लिए वहाँ पर अच्छा प्रबंध किया जाये जिससे कि उनको लगे कि हाँ, व्यवस्था हमको एक सम्मानपूर्वक इसको दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक टर्न अराउंड टाइम बहुत जरुरी है। भई, 20 दिन में देंगे, 30 दिन में देंगे, 40 दिन में देगें और जो मंत्री जी यहीं बैठे हैं, इसलिये मैं कह रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन कर दिया है; बुजुर्ग का, विकलाँग का और जो वन टाइम असिस्टेंट होता है लेकिन अभी विडो का नहीं हुआ है। विडो का भी अगर कर दें, चूँकि विडो का अभी तक हुआ नहीं, विडो के लिये जाना पड़ता है उनको अभी आफिसिज के अंदर, तो विधायक ऑफिसेज के अंदर भी अगर विडो का हो जाये तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये आपसे गुजारिश है। अध्यक्ष महोदय, जो एक साल का रेस्ट्रिक्शन है विडो के लिये, अगर विडो होने के एक साल के भीतर ही

ऐप्लाई कर सकते हैं आप। मुझे लगता है कि जो आपका बीस हजार रुपया देते हो अगर बीस हजार रुपये के लिए जो वन टाइम असिस्टेंस है, उसके लिये भी अगर इस एक साल का जो रेसस्ट्रिक्शन है, उसको रिलेक्स कर दो तो अच्छा रहेगा।

दूसरी बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, एक पाँच साल का जो स्टे का प्रूफ होता है कि भई, कुछ ले के आओ। कई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, न आधार कार्ड है, न राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है लेकिन वो रह रहे हैं काफी बरसों से रह रहे हैं वहाँ पर। अगर विधायक के लैटर हेड के बेसिस पर आप इसका प्रबंध कर सकें कि पाँच साल का जो हम लोग अपने कॉन्ट्रेक्टस के जरिये हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन के जरिये इस बात को सिद्ध कर सकते हैं और उसकी पूरी जवाबदेही हमारी रहेगी। अगर उस पर आप कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा कि भई विधायक के लैटर हेड के बेसिस पर आप पाँच साल का प्रूफ का जो स्टे का प्रूफ है, वो मान लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, ये दूसरी बड़ी मुसीबत क्या आ रही है कि आधार से जो लिंक कर रहे हैं, आधार अपने आप को एकाउण्ट नंबर उसको पिक कर लेता है। आधार जो है वो प्रिडिटरमिन एकाउण्ट को नहीं पिक कर रहा है। कहते हैं कि भई, आधार नंबर डालो तो मालूम पड़ता है कि कितने एकाउंट इससे लिंक हैं और उसमें कहीं ऐसे एकाउंटस ऐसे बने हुए हैं जो कि उनके मर्जी के बगैर बना दिया गया है। अब उस पर हो क्या रहा है कि वो सिस्टम ने उठाया है वो एकाउंट, जो उसको पता ही नहीं है तो अगर ये प्रिडिटरमिन एकाउंट के अंदर ही पैसा जाये, आधार उसी एकाउंट के अंदर लिंक करे जो उसने सब्मिट कर रखा है, आपने सब्मिट किया है। कोई और एकाउंट पैसा कहीं और जा रहा है तो अध्यक्ष महोदय,

मैं इन बातों को रखना चाह रहा था जिससे कि माननीय मंत्री जब जवाब दें तो इसका भी संज्ञान ले लें।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिये, प्लीज। भई देखो दलाल जी, इस पर दस सदस्य बोल चुके हैं। कोई नई चीज है तो बोलिये, बताइये।

श्री सुखवीर सिंह दलालः एक तो मैं कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब मैं बीस तारीख को हमारा नोटिफिकेशन हआ, मैं विधायक नहीं रहा, बीस विधायकों में था। 21 तारीख को जब मैं दफतर में पहुँचा साढ़े ग्यारह बजे, तो मैंने अपने पेन्शन का एकाउंट खोला तो मेरा पासवर्ड उसी दिन विदड्रॉ कर लिया। लेकिन आज मुझे बारह दिन हो गये 23 तारीख के बाद मैंने मंत्री जी से एप्रोच की कि हमें पासवर्ड मिल जाये तो वहाँ से अभी तक कुछ नहीं मिला है हमें। और आज के दिन मेरे पास एक फोन आया है, आज आया फोन, वो तो मैं बता रहा हूँ, आज आया है पर लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया, विदड्रॉ करने में आधा घंटा लगाया।

दूसरी बात, एक और मैं चीज कहना चाह रहा हूँ। मेरे यहाँ सभी लोग मतलब जो हैं, जैसे मान लें एक की डेथ हो गई और वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है तो एक रिवाज होता है कि भई, अपने पैतृक गाँव में उसका... मतलब क्रिया कर्म कर देते हैं और वो क्रिया कर्म देने के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा हरियाणा से लेकिन वो परमानेंट रहते हैं मेरे एरिया में ही हैं लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्शन लग जाता है कि भई, ये तो दिल्ली का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इसको पेन्शन नहीं मिलेगी तो ऐसे कैसे उसका वो किया जाये? मैं उसके दस उदाहरण दे दूँगा।

माननीय अध्यक्षः मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ,प्लीज महेन्द्र जी, अब क्लोज कर रहा हूँ इसको। ये सारा सब माननीय मंत्री जी को... नहीं मैं... अब कुछ नहीं प्लीज, बाजपेयी जी, नहीं, नहीं, प्लीज। देखिये, 12 सदस्य इस पर बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सबके पास कोई न कोई नई बात है। तोमर जी, प्लीज। मैं सब माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी सीमाओं को, मेरी समस्याओं को समझिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिये सदन चलाना। बाजपेयी जी, आपका 280 में आया था, आप समय पर आये नहीं। मैं क्या करुँ, बताइये? हाँ, पेन्शन का था, 280 में मैंने देखा।

श्री महेन्द्र गोयलः अध्यक्ष महोदय, वो आज भी उसी ऐड्रेस पर रह रहे हैं जिन लोगों की वेरिफिकेशन के दौरान पेन्शन काट दी गई और वो आज भी उसी ऐड्रेस पर रह रहे हैं। दो दो साल हो गये, उनको पेन्शन नही मिल रही। वो मोहताज हैं। वो दिल्ली गेट के भी चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। उनका हल होना चाहिये।

माननीय अध्यक्षः ये आ चुका है, ये विषय आ चुका है। नहीं बाजपेयी जी, प्लीज। तोमर जी, एक लाइन में बोलिए, कोई भी बात।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः एक लाइन में बोलूँगा। ये सारी बातें तो सारे साथियों ने बताई हैं यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी एक बजे मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात हुई। मैंने कहा कि जो विधायक के कार्यालय

में हर बुधवार और शुक्रवार को चार से पाँच का एक सर्कुलर आया था, मेरे पास सबके पास आया था, मेल आया था कि भई ये ये लोग इतने बजे से इतने बजे तक, उनका नाम भी कि था आपके आफिस में आयेंगे। दो–तीन–चार बार आये भी, उसके बाद आना बंद कर दिया। आज मैंने बात की जब डिस्ट्रिक्ट आफिसर से तो उन्होंने कहा कि साहब, हमको जो है वर्बल ऑर्डर आ गया है, वहाँ से सेक्रेटरी साहब के दफतर से कि किसी भी विधायक के कार्यालय में कोई भी कर्मचारी नहीं जायेगा। तो मैने उनको कहा कि जैसे एक सर्कुलर आया था, जिसका जो मेल मेरे पास आया था कि एक ऑर्डर निकला था... मंत्री जी ध्यान देंगे उस पर थोड़ा सा कि ये ये व्यक्ति विधायक कार्यालय में बुधवार और शुक्रवार को शाम को चार से पांच के बीच में जाया करेंगे। वहीं क्या आपके पास कोई राइटिंग में कोई ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा कि राइटिंग में कोई ऑर्डर नहीं आया है, वर्बल ऑर्डर आया है कि किसी भी विधायक के यहाँ किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को वहाँ पर नहीं भेजा जायेगा, मैं ये बताना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः चलिये,। अभी आपको बोलने का मौका मिला, बाजपेयी जी, एक लाइन में प्लीज एक लाइन में।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि गाँधी नगर जो गीता कालोनी में जो हमारा पेन्शन का जो कार्यालय है समाज कल्याण बोर्ड का, उसके अंदर पाँच विधानसभा सर, आती हैं ये और इसलिये बड़ी भीड़ होती है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आप का भी है, विधानसभा त्रिलोकपुरी का भी है, विश्वास नगर का भी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम अगर पाँच छह विधान सभा वहाँ आती हैं तो दो विधान सभा का एक कार्यालय बना दिया जाये। बाकी सर, कहीं और

करा दिया जाये, इसलिए कि वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, ये मेरा सुझाव है सर।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, यहाँ पर सभी ने बहुत ही शिद्दत से इस चर्चा में भाग लिया है और ये बहुत ही नेक कार्य है कि बुजुर्गो को हमारी बहनें जो विडो पेन्शन लेती हैं या दिव्याँग जिनको सख्त जरुरत है सहयोग की, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और लगभग पाँच छह लाख मुझे एग्जेट नंबर राजेन्द्र गौतम जी बतायेंगे मंत्री जी, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पेंशन ले रहे हैं और इस पर एक बहुत भारी बजट भी सरकार खर्च कर रही है लेकिन उसको पेन्शन भी दें और उनकी परेशानियाँ भी बढें या हों, दिक्कत भी आये तो मुझे लगता है कि सेवा का ये काम कहीं किसी प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से, कमियों की वजह से अधूरा न रह जाये। इसमें एक तो जो स्टाफ कम कर रहा है, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करता है। उसके मन में... हमें नहीं लगता कि कोई लोगों के प्रति उस तरह का सम्मान है जो होना चाहिए। उनको शपथ दिलाई जाये, उस विभाग के सभी कर्मचारियों को कि सेवा का कार्य है, सेवा की दृष्टि से करिये। उनके कार्यालय में जो लोग आते हैं, जो उनके कार्यालय में आते हैं, उनको दुत्कारें नहीं। यहाँ तक मतलब, चिटिठयाँ विधायक लिख के देते हैं, उसको वो फेंक देते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खिड़की से खिड़की पर घुमाया जाता है। कोई उनको बहुत कई बुजुर्ग होते हैं, बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत बुजुर्ग होते हैं, अपनी बात... सही तरह से चल नहीं पाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनका हाथ पकड़कर उनका सहयोग तो क्या, कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है अगर आउट सोर्स भी करनी पड़े

तो वहाँ पर ये हर जगह एक ग्रीवांस सैन्टर हो, जहाँ जाकर वह व्यक्ति अपनी बात कह सके और उनको बिठा सके, कम से कम उसे बैठने की जगह कोई पानी पीने की जगह कुछ तो वहाँ ऐसी हो जो जाये, तो उसे लगे कि कुछ सुकून है। हमारे दफतरों मे आते हैं और मैं अपना नहीं कहता, मुझे लगता है सभी चुने हुए प्रतिनिधि... क्योंकि हम तो उन सब लोगों से एक आत्मिक रुप से जुड़े हैं। हमें लगता है, हमारे क्षेत्र का मतदाता है और साथ में बुजुर्ग है, सेवा का एक मौका है। हम जब उनसे हँस के मिलते हैं, बिठाते हैं, खुश होते है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई... उनको पेन्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो अलग बात है। एक अजीब तरह की खुशी का भाव उनके मन में आता है कि आज ऐसी जगह पर हम आए है, जहाँ हमारा सम्मान हो रहा है तो तसल्ली होती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि एक तो हमें समय–समय पर डाटा मिलना चाहिए सभी को या हर महीने एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में ये–ये नई पेन्शन शुरु हो गई हैं, ये–ये पेन्शन अब नहीं जाएगी इनके... कोई सर्वे किया गया है या ये लिस्ट है पेंशनर्स की जिनको रैगुलर पेन्शन मिल रही है। बहुत सारे लोग आते हैं; पेन्शन आ रही थी, अब बंद हो गई। बहुत सारे लोग आते हैं, फॉर्म भरा था, आठ महीने हो गए, हमें आपने रसीद भी दे दी थी, हमें आपने बधाई भी दे दी थी, आपकी पेन्शन शुरु हो गई लेकिन आज तक मेरे एकाउंट में एक रुपया नहीं आया है। अब जब रुपया नहीं आता है फिर हम भी कोशिश करते हैं, अपने कम्प्यूटर पर भी कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से भी हल नहीं होता, फिर वहाँ भेजते हैं, फिर वहाँ पर वो ही सारी स्थिति होती है, उनको कोई तसल्ली–बख्श रिप्लाई नहीं मिलता।

मैं एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ जो अध्यक्ष जी, बहुत सकारात्मक रुप से लेनी चाहिए कि घरों पर जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं,

एड्रेस वैरीफिकेशन, वो अध्यक्ष जी, उन बुजुर्गों से 500 रुपये माँगते है। ये रुकना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है कि ये जिस तरह का भ्रष्टाचार वैरीफिकेशन करने वाले उन बुजुर्गों से माँग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे ध्यान में आई है, मेरे क्षेत्र में से मेरे को ध्यान में आई है। तो मैंने आज आपके समक्ष रखी है, मौका लगा... क्योंकि मैं बार–बार इस विषय को सदन के दौरान भी उठाने की कोशिश कर रहा था कि इस बात पर चर्चा हो।

एक व्यवहार विषय है, दूसरा वहाँ पर उनको प्रॉपर अटेंशन मिलनी चाहिए, तीसरा जिनकी छः महीने से ज्यादा फॉर्म भरे हुए हो गए हैं, मैं मंत्री जी को कहूँगा पूरी दिल्ली की आप सूची मंगायें कि जिन लोगों के फॉर्म छः महीने से ज्यादा भरे हुए हो गए और उनके एकाउंट में एक भी रुपया नहीं गया है अभी तक और डिपार्टमेंट भी ऐडमिट कर रहा है, कम से कम उन सबके एकाउंट में पैसा चला जाए। ठीक है, अक्यूमुलेटिड जाए लेकिन चला जाए। मुझे लगता है हम सबकी एक साथ ही बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। हजारों लोग इस तरह की स्थिति में हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनको मालूम नहीं, हमें अक्युमुलेटिड फण्ड मिलेगा, हमें इकट्ठा फण्ड मिलेगा, पूरी पेन्शन छः महीने की मिलेगी। उनके लिए कितनी बड़ी रकम होगी वो कि अगर 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपये उनके एकाउंट में सीधे जाएं, सरकार इसको जरुर ध्यान करे। मुझे उम्मीद है हम सही मायनों में एक आवश्यक लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, इसको दूसरे एंगल में मत लेना, आज राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने सदन में अपनी बात रखी, बहुत–बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने रिकवेस्ट किया था कि दोनों मुद्दों पर डब्लूसीडी और सोशल वैल्फेयर के सारे जितने माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं, उस पर बात रखते, वो रख रहे हैं लेकिन क्योंकि विजेन्द्र जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा, मतलब वैसे पूरी रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स की बात है लेकिन उसमें से भी एक बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बोला है, मैं उसके संदर्भ में कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। किसी भी सदस्य को अगर ये सूचना मिल रही है कि कोई भी कर्मचारी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पेंशन के बेनेफिशरी या वाँछित महिला से किसी तरह की रिश्वत या कोई फेवर माँगने की कोशिश कर रहा है, इसमें मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप, देखिए बाकी सब चीजों में कहीं कोई ठेका लेने जा रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है तो वहाँ तो नीचे के लेवल पर 'क्विड प्रो को' होता है मतलब उसको, हम उससे कहेंगे तू शिकायत कर, वो कहेगा जी, मैं शिकायत करुँगा तो ये मेरा काम करना मुश्किल कर देंगे। एक थोड़ा सा फियर होता है। उसके बावजूद हम उसको भरोसा दिलाते हैं, तू शिकायत कर और हम देखते है; कैसे करेंगे लेकिन पेन्शन तो ऐसा मसला है जहाँ अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और पेन्शन किसी को मिल रही है एक बार या कोई डिजर्व कर रहा है, कोई अधिकारी उसका कोई, किसी 'क्विड प्रो को' में कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इसलिए कोई डरे ना। अगर साथी लोग विशेष रुप से मैं इसलिए उल्लेख करने के लिए खड़ा हुआ हूँ अगर इस तरह की कोई पर्टीकुलर सूचना हमें, मेरे संज्ञान में लाएंगे, मैं व्यक्तिगत रुप से ये सुनिश्चित करुँगा कि उस आदमी की जो भी ये कर रहा है, उसकी नौकरी हराम कर दूँगा मैं, बैठे–बैठे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि...

.... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः नहीं, देखिए विजेन्द्र जी, एक हो गया कि हम प्रॉसिस को कितना सुधार दें और क्या मैक्सिमम कर दें, एक घटना ये है, उस पर निश्चित रुप से करेंगे और भी सारे ऐटेस्टेशन हटाए हैं। सारे बहुत सेल्फ ऐटेस्टेशन किए हैं, काफी कुछ किया है और भी, जो जरुरत होंगी, उसको करेंगे लेकिन ये बहुत गम्भीर इशू है और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो। ये सूचना मेरे को भी मिलती रहती है पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ पर्टीकुलर मिल जाए कि एक्स के घर वाई गया था और इसने यहाँ पैसे माँग की थी, यहाँ तो कोई झंझट है नहीं। किसी का ठेका होता है, किसी का काम होता है। वो कहता है जी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में गड़बड़ कर देगा, मैं कैसे शिकायत कर दूँ, डरता है आदमी। इसमें तो डरने की जरुरत नहीं है, आप उसके पीछे खड़े होइए उस आदमी के, हम पीछे खड़े हुए है, सरकार साथ खड़ी है। दो–चार लोगों से ये शिकायत करवा दीजिए, मतलब शिकायत दे दीजिए, जहाँ ऐसा हुआ है। जो ये कर रहा है, या जो ये करवा रहा है, उसको नौकरी करना मैं मुश्किल कर दूँगा सरकार में।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, उत्तर दें, इससे पहले मैं दो चीज ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। जो रैंट पर रहते है, रैंट 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। उनको बहुत परेशानी होती है, रैंट का कहीं कॉलम नहीं है। जो संज्ञान में आ जाए, फॉर्म भरते वक्त, मैं रैंट पर रहता हूँ। अधिकारी, वो मकान बदल लेता है, इंफोर्मेशन नहीं देता और लिहाजा कोई भी वहाँ जाता है या मकान मालिक कम्पलेंट करता है, अब हमारे यहाँ से नहीं रहा तो उसकी पेन्शन बंद हो जाती है। एक तो इसका कहीं न कहीं हमको लेना चाहिए।

एक दूसरा विषय नहीं उठा हेंडीकैप्स का, ऐसे बहुत हेंडीकैप्स हैं जो

चारपाई से उठकर नहीं जा सकते हैं वैरीफिकेशन के लिए। बहुत केस मेरे पास आते हैं और बड़ी पीड़ा होती है। उसका क्या समाधान निकाल सकती है ये सरकार, उसका भी एक बार थोड़ा सा उत्तर दे सकते है, चिंतन कर सकते हैं कुछ, तो इस पर विचार करें प्लीज।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

पहले तो मैं जो सोशल वैल्फेयर और डब्लूसीडी की डायरेक्टर बैठी हैं और ऑफीसर बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने सारे इशूज नोट किए होंगे, जो–जो कम्पलेंटस आई हैं। निःसंदेह हमारे सम्मानित साथियों ने और नेता–प्रतिपक्ष ने भी जो मुद्दे उठाए हैं, बेहद गम्भीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोशल वैल्फेयर डिपार्टमेंट नाम ही उसका वैल्फेयर से जुड़ा है, जो काम ही वैल्फेयर का करता है, चाहे उसमें बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे उसमें डिसएबिल्टी पेन्शन हो, चाहे जो डिसएबल के जो स्कूल चल रहे हैं, वो हों। सारे सेंसिटिव मुद्दे हमारे इस विभाग के पास हैं। सेंसिटिव इशूज इस डिपार्टमेंट के पास हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि जो काउंटर पर ऑफीसर्स बैठे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, निःसंदेह वो जो लोग काउंटर पर आते हैं, उनके साथ मिसिबिहेव करते होंगे, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः नहीं, मैं इसलिए मैं अपने मुँह से ये नहीं कह सकता कि करते हैं, पर निःसंदेह करते होंगे, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा सम्भव ही नहीं है कि कोई विधायक साथी या कोई एप्लीकेंट हमारे ऑफिस में आकर झूठी खबर देगा। ये हो सकता

है कि हर ऑफिस में एक–दो ऐसे कर्मचारी हों जो ऐसा बिहेव करते है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा विभाग बदनाम हो जाता है और उसमें जो अच्छे ईमानदारी से मेहनत करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो भी उस बदनामी को फिर झेलते हैं।

इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए ऑफीसर्स को सेन्सिटाइज करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर और उससे नीचे सुपरिटेंडेंट लेवल तक के ऑफीसर्स को मैंने बुलाकर काफी सेन्सिटाइज किया कि आप व्यवहार अपना अच्छा कीजिए। जो लोग आते हैं, वो परेशान आते हैं। अगर आप प्यार से उसकी बात को सुन लें और ढंग से समझा दें तो 90 परसेंट शिकायतें तो वैसे खत्म हो जाएंगी तो मैं उस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में इस सत्र के खत्म होने के बाद निचले स्तर तक के भी कर्मचारियों को मैं बुलाकर कहीं हॉल बुक करके उनको भी सेन्सिटाइज करुँगा। चूंकि जो वैल्फेयर की बात नहीं कर सकता, जो बिहेव ठीक नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को इस विभाग में नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है या तो ऐसे लोग नौकरी छोड़ दें और अगर वो सोशल वैल्फेयर या महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, उन्हें अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा।

दूसरा जो हमने नई पेन्शन निकाली हैं एक लाख पेंशन, उसको गति देने में जो समस्या आई, उसके कई सारे कारण रहे हैं जैंसे शायद आज डिप्टी सीएम साहब भी अपने वक्तव्य में उस बारे में बोलेंगे। मेरे पास तीन ऐसे विभाग हैं जिसका डाटा इस वक्त मेरे पास है, सोशल वैल्फेयर डिपार्टमेंट में 1222 सेंग्शन पोस्ट हैं 1222 सेंक्शंड पोस्ट के अगेंस्ट 586 वैकेंट पड़ी हुई हैं पोस्ट। हम लोग 48 परसेंट लोगों से काम चला रहे हैं। रजिस्ट्रार

आफ को–ओपरेटिव सोसाईटी में 362 सेंक्शंड पोस्ट हैं जिसमें से 222 खाली पड़ी हैं। हम लोग केवल 42 परसेंट के आसपास लोगों से विभाग चला रहे हैं। वैल्फेयर आफ एससीएसटी/ओबीसी में 90 सेंक्शंड पोस्ट हैं, केवल 38 लोगों से हम काम चला रहे हैं। जबकि करीब 6 लाख स्कॉलरशिप.. . इधर लगभग 5 लाख पेन्शन, मतलब इतने कम कर्मचारियों से काम चलाना कितना कठिन है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन दुःख इस बात का है कि ये जो पोस्ट भरने के लिए मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी सर्विसिस साहब को, दोनों को पर्सनली लैटर लिखा, महीनों बीत जाने के बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने यहाँ तक निवेदन किया कि जब तक डीएसएसबी के द्वारा परमानेंट भर्ती न हो जाये, कम से कम तब तक कांट्रेक्ट बेस पे भर्ती करके काम तो चलायें। इस पेन्शन को तेज गति से कराने के लिए 55 लोग तो दूसरे विभाग से हमने लिये और इसको गति देने की कोशिश की। दोनों पहलू हैं; अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सुधार आये, अफसरों के व्यवहार में सुधार आये और कुछ ऐसे भी देखो... शिकायत तो आ ही रही हैं और इसलिए आ रही हैं, चूंकि शिकायतें हैं, वास्तव में गड़बड़ी है लेकिन कुछ खुशी की बात भी है वो भी शेयर कर दूँ। उसके बाद जो नेगेटिव है, उसपे भी चर्चा करुँगा।

हमारे बहुत सारे एमएलएज ने मुझे खुद पर्सनली बताया कि बहुते सारे बुजुर्ग उनके ऑफिसों में मिठाई के डिब्बे ले लेके पहुँचे हैं। चूंकि इसमें प्रक्रिया ये है कि अगर आपने आज फार्म भरा तो नेक्सट मंथ से आपकी पेन्शन ड्यू। अगर आपकी पेन्शन दस महीने के बाद आयी तो नौ... हाँ जिस दिन उसने अप्लाइ किया, उससे अगले महीने से पेन्शन ड्यू। तो लोगों के एकांउट में 20–20, 25–25 हजार रुपये आये, कुछ तो ऐसे हज़बैंड वाईफ

हैं जिनके दोनों को मिलाके 50 हजार रुपये उनके एकांउट में आये, तो ये शायद दिल्ली के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ होगा।

कुछ जो बिंदु हमारे रिस्पेक्टिव एमएलएज ने रखे, उनके ऊपर मैं कुछ क्लेरिफिकेशन्स हैं, वो दे देता हूँ लेकिन सुधार की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन मुद्दों पे जाने से पहले मैं बता दूँ, हमारे पास टोटल क्या है; 5 लाख 30 हजार है, 5 लाख 30 हजार में से टोटल बेनिफिशरीज़ एग्जिस्टिंग 4 लाख 32 हजार 970 है। 4 लाख 32 हजार 970।

माननीय अध्यक्षः कौन सी पेन्शन का बता रहे हैं?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः ये सीनियर सिटीज़न पेन्शन, 5 लाख 30 हजार की कैप है जिसमें से 4 लाख 32 हजार 970 एग्जिस्टिंग बैनिफिशरीज़ हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अगर आप धैर्य रखें तो मैं पूरा बताऊँगा। हमने 63 हजार एक्पेक्टिंग एडीशंस सुरक्षित रखे हैं जिसमें 40 हजार तो जो एमसीडी से कोर्ट के ऑर्डर से हमारे पास आई, उसमें बाकायदा एमसीडी ने भी कैंप लगाये, उसके बाद विभाग ने भी कैंप लगाये लेकिन सारे कैंपों के प्रयास के बावजूद 15 हजार के आसपास लोग आ पाये। बाकी न आने का कारण जो मुझे पता लगा, संभवतः एमसीडी के उस वक्त के कांउसलर्स ने फर्जी पेन्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाई। जिसकी वजह से वो लोग वापिस... दे आर नो टर्निंग बैक टू द डिपार्टमेंट। जब हम लगा रहे हैं कैंप तो लोग नहीं आ रहे हैं। पंद्रह हजार के आसपास आये जिनकी पेन्शन लगभग चालू हो गयी है।

माननीय अध्यक्षः ये 15 हजार...

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आठ हजार रिटर्न केसेज हैं।

माननीय अध्यक्षः 15 हजार 4 लाख 32 हजार में ऐड तो नहीं हैं ना?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः नहीं–नहीं ये अलग हैं। ये अलग हैं।

माननीय अध्यक्षः दो मिनट–दो मिनट।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः ये अलग हैं जी, उससे अलग हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पहले एमसीडी से जब उन्होंने बंद ही कर दी स्कीम तो वो फिर एनओसी का चक्कर भी क्यों आये?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अब कोई एनओसी नहीं माँग रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः डारेक्ट ले सकता है ना?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः वो डायरेक्ट जा के अपना, डिपार्टमेंट के पास जायें। अब अगर लोग कैंप लगाने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

माननीय अध्यक्षः चलिये–चलिये।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अभी भी अगर कोई एमसीडी के हैं, अभी भी कोई एमसीडी के हैं...

माननीय अध्यक्षः नहीं, विशेष जी, नहीं प्लीज़। विजेन्द्र जी, आप देर से आयें हैं। चर्चा हो चुकी है। विजेन्द्र जी, बैठिये प्लीज़।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं यह कह रहा हूँ कि अभी भी अगर किसी के यहाँ एमसीडी वाली पेन्शन वाले लोग हैं तो मेरा निवेदन है, वो विभाग के पास भेजिये।

माननीय अध्यक्षः भई विशेष जी, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप बीच–बीच में टोकेंगे, उनकी लय टूटेगी। आपको कुछ पूछना है, नोट कर

लीजिए। वो बीच–बीच में लय टूटे। विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी को पूरा उत्तर देने दीजिए। आपको कुछ पूछना है तो नोट कर लीजिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारे पास ही क्यों नहीं सीधे आते? ये आ रहे हैं वैसे।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः नहीं, उसका विभाग के पास, एक मिनट प्लीज़, आप धैर्य से सुनिये, विभाग के पास बुलाने का उसका कारण है। उनका वेरिफिकेशन जरुरी है करना। अगर वो खुद चलके आयेंगे तो उनकी एज वगैरह सारी चीजें कंफर्म हो जायेंगी मतलब उनकी पेन्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, आप टोकेंगे तो सारा समय इसमें जायेगा। नहीं इंर्पोटेंट इशु आपको पूरा समय मिला, उनको जवाब तो देने दीजिए। एक–एक, एक–एक।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एमसीडी... एक सेंकेंड गुप्ता जी, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः प्लीज, आप बोलिये।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एमसीडी पेन्शन ऑफ लाइन भी लिये जा रहे हैं। केवल ये नहीं कि ऑन लाइन ही करें, ऑफ लाइन भी वो जाके अपना दे सकते हैं। दूसरी, ये भी हो सकता है, कमाने का कारण बहुत सारे एमसीडी वालों ने नई पेन्शन में अप्लाइ किया है जो एक लाख जो पेन्शन हैं, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अप्लाइ किया है और उनकी पेन्शन बनी है। अब पाँच लाख तीस हजार में से चार लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तर तो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी है 63000 हमने रिजर्व रखा है एक्सपैक्टिड एडीशंस जो हो सकते हैं, उनमें कुछ न्यू केसेज कुछ, 40000

एमसीडी के लिए रखा है और आठ हजार रिटर्न के केसेज जो रिटर्न हो गये लेकिन इसके बाद भी लगभग 34–35 हजार पेन्शन हम लोग नई और ऐड करने की स्थिति में हर एमएलए साथियों को देने की स्थिति में हैं, जल्दी करेंगे, हम सोच रहे हैं। पिछला वाला क्लीयर हो जाये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, देखिए, अगर इस सीरियस विषय को हम इस ढंग से टोका–टिप्पणी में खर्च करेंगे तो बड़ा ठीक नहीं है प्लीज।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं एक जानकारी और दे दूँ जो पीछे एक लाख पेन्शन निकाली थी, उसमें से 90 हजार 316 कंपलीट एप्लीकेशंस अब तक हमारे पास आ चुकी हैं। वैसे तो 96 हजार 315 आयी हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं लेकिन हमारे पास जो कंपलीट होके आयी हैं, वो 90 हजार 316 आयी हैं। जिसमें से स्क्रूटनाइज़ हो के प्रोसेस कर दी गई हैं। 87 हजार 85... मैं इसकी कॉपी दे दूँगा आपको और जो सैंक्शन पेन्शन हो चुकी हैं 68 हजार 466 नई वाली में से और अब तक 65 हजार 917 नई पेन्शन लोगों के एकांउट में जा चुकी हैं। आज तक का ये डाटा मैं आपके सामने दे रहा हूँ और मैं साथी एमएलएज के सबके एकांउट सबके और इसका रिकॉर्ड भिजवा देता हूँ। सबके मेल पे मेल करवा देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अगर विधानसभा अनुसार भेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः नहीं, विधानसभा वाइज भेज देंगे।

माननीय अध्यक्षः भई अलका जी, प्लीज। नहीं, अभी मंत्री जी का लय सारा समाप्त हो जायेगा।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः ये 31/3 तक भेजने की बात थी। वो टाइम एक्सपॉयर हो गया। उसको हम दोबारा प्रोसेस कर रहे हैं और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे ऑफिसर्स सप्ताह में कम से कम एक बार हर एमएलए के पास जरुर जायेंगे और आपकी सहूलियत के हिसाब से टाइम फिक्स कर लेंगे। लिस्ट हम आपको भेज देंगे, कौन–कौन ऑफिसर जायेगा, उनके मोबाइल नम्बर सहित भेज देंगे लेकिन जो आपको उपयुक्त समय लगे ऑफिसर से आप बात करके तय कर लेना, वो उसी हिसाब से आपके आफिस में एटलिस्ट सप्ताह में एक बार जरुर आयेंगे और आप अपनी ग्रीवेंस उनको दे देना, उसकी ग्रीवेंस को रिड्रैस करके जब वो सेकेण्ड टाइम वापिस आयेंगे तो आपकी पहले ली हुई ग्रीवेंस को रिड्रैस करके आपको वापिस देंगे। और ये हम केवल सोशल वैल्फेयर नहीं...

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी, इसको एक बार सुनिश्चित कर लीजिए, हर हफते एक दिन आयेंगे।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः सौ परसेंट आयेंगे। और अगर कोई किसी के यहाँ से शिकायत, नहीं आ रहे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैं कह रहा हूँ, अब जो दोबारा से उसको चालू करवा रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप फोन करके बता देना।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, ये कोई बात है! बात तो वो करिये, जो जायज हो। मैंने मंत्री जी से रिपीट करवा दिया, प्लीज।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः चाहे वो सौशल वैल्फेयर का हो, चाहे वो महिला एवं बाल विकास का हो।

माननीय अध्यक्षः चलिये आगे बढ़िये, आगे बढ़िये।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः दूसरा ये काम फास्ट करने के लिए हमने आँगनवाड़ी वर्कस को पर एप्लीकेशंस 30 रुपये देकर वेरिफाई का काम कराया। ये सच है, बहुत सारे एमएलएज के यहाँ से शिकायतें आयीं कि वहाँ वेरिफिकेशन जो करने के लिए आँगनवाड़ी वर्कर गयी, उन्होंने कई जगह पैसे की डिमांड की लेकिन वर्बल कंपलैंट आई, कुछ जो रिटन आई, उसमें कार्रवाई हुई और एक कुछ की नौकरी चली गई है उसमें। उनकी बाद में काफी लोगों की अप्रोच भी आई लेकिन हमने कहा, ऐसे केस में किसी कीमत पर किसी की अप्रोच तो सुनना ही नहीं है जिनकी नौकरी गई, गई और भी कोई शिकायत आएगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, बशर्ते कि मेरा निवेदन है आप केवल वर्बली कहने की बजाय अगर रिटन में अगर दे दें तो उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। फैक्ट्स के साथ रिटन में दे दें, उस पर निस्संदेह सरकार कार्रवाई करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अजय दत्त जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मंत्री जी को डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बैठिए आप। आप पता नहीं क्यों, अपनी आदत को खराब करते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता! मंत्री जी इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आप उनको बार–बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी लय सारी टूट रही है बेमतलब के लिए।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एक जो सवाल आया था, नैशनल फेमिली बैनिफिट स्कीम, उसमें अगर एक बैनिफिट ले लिया तो दूसरे रोक देते थे। तो उसके बारे में मैं जवाब दे दूँ, सिर्फ विधवा पेन्शन जिन महिलाओं को मिल रही होती है जिनको पहले से मिल रही है, उनके एनबीएस के

फॉर्म नहीं लिए जाते। यदि काफी समय से विडो पेन्शन ले रहे है, यानी उसकी एक समय सीमा है। वो अगर जैसे ही कोई विडो होती है ना, तो उसको एक महीना, या दो महीना, तीन महीने, चार महीने बाद उसको अप्लाइ कर देना चाहिए। अगर वो पहले से ही विधवा पेन्शन ले रही है, अगर उसको लंबे समय से ले रही है, उसके बाद एनएफबीएस में अगर वो अप्लाइ करते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप अधीर न हों। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, जब भी मुझे बताएंगे मैं...

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनका विषयये नहीं था। विशेष जी, दो मिनट रुकिए प्लीज। उनका विषय ये है; कोई लेडी आज विडो हुई, उसने पेन्शन का फॉर्म एक महीने के अंदर भर दिया पेन्शन को और उसके बाद उसको जानकारी में आई कि मुझे विधवा सहायता भी मिल सकती है, 20 हजार रुपए। वो फॉर्म दो महीने या तीन महीने बाद भरती है, उसकी पेन्शन विडो चालू हो गई लेकिन विधवा सहायता उसको इसलिए नहीं मिलती कि आपकी पेन्शन चालू हो गई है, अब इसको समझिए, इसको ठीक करिये, ये हमारे साथ भी दिक्कत आई है।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं समझ गया। एक मिनट, एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः वो समझा दिया उनको।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप सुनें तो मैं इसका जवाब दूँ। ये सच है, उसका एक साल का टाइम है और ये भी सच है कि वो दोनों बेनिफिट एक साथ ले सकते हैं लेकिन साथ में ये भी सच है कि अधिकारीगण उनको बरगलाते हैं और उनको अप्लाइ नहीं करने देते ये भी शिकायतें जो मिली हैं, ये सच है। मैं आ रहा हूँ, जो जो समस्याएं मेरे पास आती हैं, मैं पूरी गम्भीरता से लेता हूँ। कभी भी किसी बात को ऐसे

ही नहीं टाल देता, पूरी गम्भीरता से लेता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि उसपे तुरंत कार्रवाई हो। जैसे कई सारे... रवि भाई ने मुझे बताए, बाकी भी पर्सनल, साथी बताते रहते हैं। मैंने खुद भी जो किसी ने नहीं भी कहा, वो भी... ऐसे कोई ऑफिस मुश्किल होगा जहाँ मैंने पर्सनल विजिट ना किया हो; टॉयलेट गंदे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग धूप में खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। लोग 5–5 बजे लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद आठ बजे जैसे ही गेट खुलता है, वो एक दम से भाग के खड़े होते हैं, लाइन में लगते हैं। बहुत सारे लोग जो सुबह पाँच बजे, चार बजे आके लगते हैं, उनका नंबर आता नहीं, दूसरे लोग जो ताकतवर हैं वो आगे आ जाते हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रयास जो किए, वो मैं आपको जानकारी दे दूँ। एक तो हमने बेंच... बैठने की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो टेंडर की प्रक्रिया वगैरह, कई सारी ऐसी दिक्कतें थी लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब हर ऑफिस में, जो भी वहाँ पे आवेदक आते हैं, उनको किसी को खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो खिड़की तक वहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी। जिसका नंबर आएगा केवल वही खिड़की पे खड़ा होगा बाकी अपना बैठें, वो व्यवस्था हो गई है और अगर कुछ कमी बेशी है तो वो आने वाले एक महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

नम्बर दो, खिड़की पे हम लोग उसका वेटिंग का सिस्टम बना रहे हैं ताकि उसको पहले कूपन मिल जाए और जिसका, स्क्रीन पर नम्बर दिखाई दे, वही खिड़की पे खड़ा हो। बाकी को अगर लगता है, किसी का नम्बर 60 है, उसको सुबह से बैठने की जरुरत नहीं है। वो अपना आइडिया लगा ले कब तक नम्बर आएगा, तभी वो अपना ऑफिस आए, उसको भी हम करवा रहे हैं। ऑफिस के अंदर पहले से सीसीटीवी कैमरा है लेकिन हम

बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं वो भी शायद टेंडर प्रक्रिया लगभग कंपलीट है। तो उसे इसलिए लगवा रहे हैं ताकि बाहर कोई दलाल तो नहीं आ रहा है या बाहर जो लोग खड़े हैं, कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही उनके साथ, उसपे भी नजर रखी जा सके। इसको भी सैंसेटाइज हम लोग कर रहे हैं। हमने सिविल डिफेंस वॉलिटियर्स को लगाया इसलिए ताकि जो लोग धक्के देके, ताकतवर आदमी कमजोर को गिरा के आगे लाइन में लग जाते हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें खत्म हों। उनको भी, मतलब काफी सिंसेटाइज किया, इवन मैंने पर्सनली जितने भी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हैं, उन तक भी जा–जा के ऑफिसिज में, उनको भी सैंसेटाइज किया कि आपकी सर्विसिज क्यों ली जा रही है, मतलब पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं; पीने का अच्छा पानी मिले, टॉयलेट एकदम साफ सुथरे हों, इसके लिए मैंने बकायदा सफाई कर्मचारी भर्ती करने तक का भी, शायद वो काम हो चुका है, वो भी काम हो गया, उनको भर्ती करने वाला भी। मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के प्रति हम संवेदनशील न हो। सरकार गम्भीर है और मैं सारे सम्मानित साथियों को आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी आपने इशूज रेज किए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके वो इशूज सॉल्व हो जाएं।

दूसरा जो हमारे 20 सदस्य हैं, जिनका वो बंद कर दिया गया अकांउट, उनके लिए मैं जानकारी दे दूँ, उनको सबको, अभी लास्ट वीक हमने उनके मेल कर दिया गया है एक फॉर्म, वो फॉर्म को भरके अपना फोटो डिटेल देके ऑफिस में जमा करा दें ताकि...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं डिटेल किसलिए देंगे विधायक, क्यों डिटेल देंगे?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः है, ठीक है कितने दिन में कर देंगे, कब तक कर देंगे, आ जाएगा। तो जो पहले से था, उसका क्या होगा?

माननीय अध्यक्षः परमिशन किसने करना है, मुझे समझ नहीं आया।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः नहीं ये बता रहे हैं, एनआईसी में उसका फोटोग्राफ वगैरह, वो सब जाता है।

माननीय अध्यक्षः वो ओलरेडी है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ऐसे नहीं चल पाएगा अध्यक्ष महोदय, ये ठीक नहीं है। इसको जब आपने आधे घंटे के अंदर काट दिया तो उसको आधा घंटे के अंदर आपको चालू कर देना चाहिए था। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने आधे घंटे के अंदर चालू नहीं किया। ये तो गलत तरीका है और ऊपर से अभी–भी दुबारा एमएलए अपना पूरा डिटेल भेजेगा, तब आप करेंगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये ठीक नहीं है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इसपे तो शो कॉज होना चाहिए इन लोगों को, इसको कल तक कराकर रिपोर्ट करें यहां पे।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं इसपे सहमत हूँ इस बात से, कि जब काटने में देर नहीं लगाई तो जोड़ने में देरी क्यों?

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड मैं यहां पे रोक रहा हूँ।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे आश्वासन दे रहा हूँ, कल दोपहर तक डायरेक्टर यहाँ पे पर्सनली रिपोर्ट भिजवाएंगी, की हर एक एमएलए का चालू हो गया है। इस तरह से नहीं चलेगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं इसमें माननीय मंत्री जी, मैं थोड़ा गुस्ताखी कर रहा हूँ इसमें बीच में, हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटिड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन वैल्फेयर, ये जितने भी ऑफिसेज हैं, समय लेकर उसकी चेयरमेन आप ही हैं शायद, आप जितने भी ऑफिसिज हैं, एमएलएज के यहां, आप डिपार्टमेंट से बात करके, तय करके, जो मंत्री जी ने अभी यहाँ जो डिसीजन दिए हैं, उनकी कॉपी लेकर जो कुछ सुविधाएं होनी हैं, उनके राउंड लेना शुरु करिए। पूरी की पूरी कमेटी के नौ के नौ लोग जाएंगे। इतना पेन्शन से दुखी हैं लोग... जिसकी पीड़ा है और इसको डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर, हैड को लेकर, अपने नौ के नौ सदस्य, आप राउंड पर जाइए, जैसे नाले के लिए किया था, करिए इस चीज को। हाँ, माननीय मंत्री जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्यो, आपके जो सवाल थे अलग–अलग उसके जवाब में कुछ ओर चीजें आपको अप्राइज करना चाहता हूँ। टोटल 1065 करोड़ का बजट था, ओल्ड ऐज पेन्शन का जिसमें से 1031.74 करोड़ बाँट दिया गया है, नंबर ऑफ बेनिफिसरीज... ये सारा मैंने आपको बताया, 4,36,907 उसमें से पीएमएफ पोर्टल पे 4,10,621 की, 94 परसेंट की पेन्शन जा रही है जिसमें से यूआईडी बेस्ड है, आधार कार्ड बेस्ड है, वो जा रही है। 3,32,439 को 76 परसेंट लोगों को और एकाउंट बेस्ड पर जा रही है। 78,182 को 17.8 परसेंट को, ईसीएस से 26,286 यानी 6 परसेंट ऐसे केसिज हैं जो पीएफएमएस जिसको नहीं ले पा रहा है। उसके कई कारण हैं। कुछ ऐसे बैंक हैं जो मर्ज हो गए तो उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है तो वो हम अभी आँगनवाड़ी वर्कर को घर–घर भेज के, बेनिफिसरीज के घर–घर भेज के उनके वो डॉक्यूमेंट कलैक्ट करवा रहे हैं ताकि उनकी पेन्शन सुचारु रुप से चलाई जा सके और एक चीज थी; वो पेन्शन बढ़के न आना, ये संख्या अब काफी कम रह गई है,

पेन्शन काफी मात्रा में बढ़के आ रही है। 75.5 परसेंट एनहांस रेट है अब, केवल 22 परसेंट हैं, जो ओल्ड रेट पर आ रहे हैं और ये एक संख्या लगातार घटती जा रही है। बढ़के आने वाली संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूँकि ये तो सच है कि केवाईसी में बैंक वाले भी कनफ्यूज रहे हैं टोटल। लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। लोगों की गलती नहीं है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी, ताकि इस समस्या का समाधान आवे और रिजर्व बैंक ने अब इनको कहा है कि आप बैंक वालों को बुला लो। मैंने भी कहा है, बहुत जल्दी हम बैंक्स के... सारे ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ एक मीटिंग कर रहे है ताकि बैंक के लोगों को वो बता सकें कि जो इस तरह के बैनिफिसरीज हैं, उसका किस तरह का आपको आधार सीडिंग करना है। तो हम खुद इसपे कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से इस समस्या को हम बैंक से बात करके सॉल्व कराएं।

माननीय अध्यक्षः इसमें मंत्री जी एनपीसीआई का जो बीच में एक पेंच फंसा दिया है। उससे बहुत दुःखी हैं। आधार मेरे बैंक में लिंक करा लिया। नहीं, एक सेकेंड, आधार पर बैंक ने मोहर लगा दी कि लिंक हो गया है, इस डेट में लिंक हो गया है। डिपार्टमेंट से जो विशेश रवि जी ने उठाया एनपीसीआई का मामला।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कारण जो है ना...

माननीय अध्यक्षः नहीं, एनसीपीआई बीच में से हटना चाहिए।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मैं बता रहा हूँ, इस पर हम रिव्यू कर लेते हैं। चूंकि अभी तक वजह... जो दिक्कत है वो 10/1/2017 को जो केबिनेट डिसीजन हुआ था कि जिनका आधार सीडिंग होगा, केवल बढ़कर

उनकी जाएगी। तो ये केबिनेट इस डिसीजन की वजह से हुआ है। इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या इसको विदड्रॉ किया जा सकता है कि जिसकी जा रही है, उसकी बढ़कर ही चली जाए आटोमेटिक। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद। माननीय उप मुख्य मंत्री जी। अभी मैंने कमेटी को दे दिया। सारे विषय कमेटी को दीजिएगा। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा इसको निर्णय लें।

... (व्यवधान)

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर माननीय उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज। प्लीज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी लगभग डेढ़ घंटा पूर्व माननीय उप मुख्य मंत्री जी कैग की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी थी और उस पर माननीय उप मुख्य मंत्री जी कुछ अपना वक्तव्य देना चाहते हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट पर बोलने के लिए इजाजत देने के लिए आपका आभार है और पेश करने के लिए भी, इजाजत देने के लिए। मैं इस सदन की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से सीएजी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बारीक नजर से दिल्ली सरकार के काम–काज पर न सिर्फ पिछले तीन साल के बल्कि पिछले कई मामलों में पिछले कई और साल के कुछ चुनिंदा विभागों पर बहुत पैनी नजर से बहुत बारीक नजर से उनका अध्ययन किया है, काम–काज का और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम जितनी चर्चा कर

रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था देखने की लेकिन ये थोड़ा–सा संयोग है कि काश! मैं उस वक्त सोच रहा था कि काश! सीएजी ने हमारे सोशल वैल्फेयर डिपार्टमेंट या पेंन्शन के काम का भी अध्ययन किया होता तो हमें और कई चीजें इनसाइड जो बहुत ग्रासरूट लेवल पर कहीं कुछ गड़बड़ियां हो जा रही हैं, डेलीब्रेटली या अनजाने में जैसे भी हो रही हैं, लेकिन उनका भी बहुत बारीकी से अध्ययन हो गया होता। लेकिन ये भी शायद सीएजी की सीमा है, कुछ सीमित विभागों का ही मेन पावर या रुटेशन है, उसका अध्ययन कर पाते हैं वो। पर मैं तो बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करुँगा, मैं लिखित रुप में उनको बात भी करुँगा क्योंकि पेंन्शन हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है कि इस वर्ष के ऑडिट में वो अगर हो सके तो पेंन्शन के पूरे मुद्दे को जरुर शामिल करें। क्योंकि उससे हमें... सदस्यों को भी सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। सीनियर अधिकारियों को भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जो सामान्यतः 24 घंटे भी अगर फाइलों पर बैठे रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे तो भी उसके बाद हो सकता है, नजर से छूटती हों। लेकिन उनकी बारीकी से काम करने के का एक तरीका है सीएजी का और उनको चीजों को लीड ट्रैल करके घुसने का एक तरीका है खामियों में। तो उससे अपने ही विभाग की और खामियाँ, अपनी फंक्शनिंग की खामियाँ पता चलेंगी और उसको सुधार करने में मदद मिलेगी। मैं ये भी एक नई परंपरा है कि वित्त मंत्री के रुप में सीएजी की रिपोर्ट को यहां पेश करते वक्त मैं उस पर अपना वक्तव्य भी दे रहा हूँ आमतौर पर सीएजी की रिपोर्ट चुपचाप पेश कर दी जाती है और लोग फिर कहीं बात होती है तो सीएजी की रिपोर्ट पे पैरा पर सफाई देते होते हैं। मैं यहाँ बाकायदा उस रिपोर्ट के कुछ... क्योंकि अभी मुझे थोड़ा समय मिला। मैंने सरसरी तौर से उस पर नजर डाली है, उसके कुछ मुद्दों को माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूँ, सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा आग्रह रहेगा... सभी

को रिपोर्ट मिली है? ये तीन पार्ट की रिपोर्ट है, इसको रख लें ताकि मैं कुछ उनकी तरफ ध्यान दिलाऊँगा। ये ऐसी चीजें है जिनसे सीएजी की बारीकी से, हमें भी अपनी बीमारी का भी पता चल रहा है कहाँ बीमारी है। नीचे अंदर के लेवल पर कहाँ बीमारी है। सिमटम्स तो सामने दिखते रहते हैं। लेकिन मेन कॉज बीमारी की क्या है, कई बार उसका पता चलता है। सीएजी ने जितनी बारीकी से एक–एक डाक्युमेंट को खंगाला है, उससे हमें अपने सिस्टम को समझने में मदद मिली है। उसके सिस्टम की जकड़न को पकड़ने में मदद मिली है कि सिस्टम कहाँ अंदर किस जगह जकड़ा हुआ है। जैसे एक वो होता है ना, ये जो हड्डी–वड्डी ठीक करते हैं डॉक्टर– आर्थोपेडिक्स वो बताते हैं, जब वो प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो कुछ लग जाए तो अभी आपको लगा था कि नहीं–नहीं आपके अंदर हड्डी के इस वाले कोने में यहां पे जकड़न है थोड़ी सी, ऐसी एक्सरसाइज कर लो। तो कई बार वो जकड़न पकड़ने में मदद मिलती है, मैं उसको इसी रुप में देख रहा हूँ। हमारा मानना है कि हम लोग पिछले तीन साल से जब से कोशिश कर रहे हैं हम लोग पीपल प्रो गवर्नमेंट के रुप में काम कर रहे हैं और हम लोगों की जरुरत और उनकी आवश्यकताएं जो भी हैं, उसके हिसाब से चाहे वो पेंन्शन बढ़ाने का मसला हो या आँगनवाड़ियों की सैलरी बढ़ाने का मसला हो, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाने का मसला, बिजली–पानी, हैल्थ, एजूकेशन इन सब पर काम करने का मसला हो। ये सब संविधान की प्रस्तावना से ड्रिविन है, संविधान की प्रस्तावना में आम आदमी की जिस तरह की जिंदगी का सपना लिखा गया है, बहुत खूबसूरत शब्दों में। ये सारा ताम–झाम, मैं कहूँ तो उसको सुनिश्चित करने के लिए है और हम सीएजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत बारीकी से इस चीज पर नजर रखकर हमें ध्यान दिलाया है कि कहाँ–कहाँ कुछ कमियाँ रह जा

रही हैं। उसकी ओर इशारा किया है। इसमें मैं समझता हूँ कि तीनों हिस्सों में... क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ सरसरी तौर पर नजर डाली है, पर कुछ इम्पोंर्टेंट चीजें हैं, सदन के समक्ष रखूँगा और जहाँ कुछ कमी होगी जहाँ सीएजी को और ज्यादा इन्फॉर्म करने की जरुरत है वहाँ सीएजी को भी इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ इस सदन में खड़े होकर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गलती है और अगर कहीं कुछ गलत किया है, वो चाहे अधिकारी से गलत हुआ है, मंत्री से गलत हुआ है पिछले तीन साल में गलत हुआ है, उससे पहले गलत हुआ है। फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सरकार करेगी वो चाहे मंत्री ने गलत किया है या अधिकारी ने गलत किया है, जूनियर अधिकारी, सीनियर अधिकारी ने जिससे भी गलत हुआ, जिससे भी गलत हुआ है, मंत्री की गलती होगी तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं उसके इस विचार के साथ कुछ मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ अगर सदस्यगण इनको रखेंगे अपने पास तो।

माननीय अध्यक्षः जरा मुझे भी दे दीजिए मुरुगन जी।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः पार्ट–1 इंग्लिश से मैं शुरु कर रहा हूँ वन, तीन हैं पार्ट–1, पार्ट–2, पार्ट–3। अभी मैं आ रहा हूँ पेज नंबर पर आ रहा हूँ। कहीं कुछ बहुत मैंने सरसरी तौर पर विजेन्द्र जी, जो चीजें अभी अंडरलाइन की हैं, मैं चाहूँगा कि उनको देख लें सदस्य। पूरा समय मिलेगा, पढ़ेंगे, जरुरत पड़ेगी तो इस पर चर्चा भी कर सकते हैं आगे जाकर। तो पेज नंबर पर मैं आ रहा हूँ। जी, मैं चाहता हूँ कि सदस्य जैसे पेज नंबर–22 है। इसमें वैसे कई ऐसे पाइंट्स हैं, पर पेज नंबर–22 एक इम्पोंर्टेंट है जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आर्टिकल 205 ऑफ कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पेज नंबर 5 पे 2.3.1 पैराग्राफ, पार्ट–1– ***Article 205 of Constitution of India provides that if any money has been spent on any***

service during a financial year in excess of the amount granted, एक रिपोर्ट दे दीजिए भाई, मेरे पास दो कापी हैं। इंगलिश में पार्ट–1 पेज–22 ये इम्पोंर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के प्वाइंट आफ व्यू से हम सभी...

माननीय अध्यक्षः अब सदस्य थोड़ा गंभीरता से लें प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हम सभी सदस्यों के ध्यानाकर्षण के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से बजट पास करके भेजते हैं। किसी चीज पर मान लीजिए 100 करोड़ बजट पास किया और किसी भी कारणवश गलती से आवश्यकता अनुसार मजबूरी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। अगर हमने वहाँ पर 105 करोड़ रुपये खर्च कर दिया सरकार में तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वापिस उसको विधानसभा में लेके आएगी, उसका पीएसी में भी जवाब देगी और साथ–साथ विधानसभा में लेके आएगी और उसको वापस उस 105 करोड़ को फिर विधानसभा से पास कराके ले जाएगी तब तक जब तक वो 105 करोड़ रेगुलर नहीं होगा। तब तक एक्स्ट्रा पाँच करोड़ खर्चा जो है, वो इररेगुलर माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सीएजी का, उसने हमें ध्यान दिलाया है कि किस तरह से 2006–07 से लेकर और 2015–16 तक, लगातार हर साल कुछ हेड्स में एक्सेस खर्च हुआ और अभी तक उसको रेगुलराइज नहीं कराया गया है। विधानसभा में लाकर के उसको रेगुलराइज नहीं कराया गया है। ये इम्पोंर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने कहा है हाऊऐवर अगर आप इस 2.3.1 का लास्ट लाइन देखें, ***"However, excess expenditure amounting 85.71 crore for the period 2006-07 to 2015-16 was to be regularized."*** इसके नीचे टेबल दी हुई है। टेबल में बताया गया है; 2006–07 में 9 करोड़ 12 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ। उसका अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हुआ

है, 10 साल बाद भी। ये तो आर्टिकल 205 का सीधा–सीधा उल्लंघन हो रहा है 2006–07 से लेकर अब तक। 2007–08 में साढ़े 11 करोड़ रुपये, 2008–09 में साढ़े 17 करोड़ रुपये, 2009–10 साढ़े पाँच करोड़ रुपये, 2010–11 में 4 करोड़ रुपये करीब, 2012–13 में सवा 27 करोड़ रुपये, 2013–14 में सवा 5 करोड़ रुपये, 2014–15 में 3.5 करोड़ रुपये और 2015–16 में 2 करोड़ 21... सवा 2 करोड़ रुपये तो ये एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये मैं सिर्फ आपके संज्ञान में में ला रहा हूँ। मेरी इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं है। क्योंकि माननीय सदस्य मतलब ये प्राधिकार अभी पीएसी के पास में है। पीएसी इसपे बैठेगी। पीएसी को जवाब देगी सरकार मैं, सरकार का हिस्सा होने के नाते सुनिश्चित करुँ कि सरकार तक जवाब पीएसी तक जवाब पहुँचे और सदन तक पहुँचे पर मैं एक कन्संर्ड फाइनेंस मिनिस्टर के रुप में शायद पहला देश में ऐसा वित्तमंत्री होऊँगा, जो अपनी ही सरकार के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसको बैठके। इसी तरह से... हाँ ये ऐसे बहुत सारे प्वाइंट्स हैं, पर कुछ प्वाइंट्स मैंने हाइलाइट किए हैं। मुझे लगा कि मैं सदन का ध्यान, सभी सदस्यों का दिला दूँ बाकी सब गंभीरता से अध्ययन करेंगे ही करेंगे। पीएसी के माननीय सदस्य और ज्यादा गंभीरता से इसका अध्ययन करेंगे।

पेज नम्बर 26 पे अगर आप देखें पैरा नम्बर 2.3.10. ***rush of expenditure.*** जीएफआर का रुल 56 ये कहता है कि पूरे फाइनेशियल इयर में जब जहाँ जैसे जरुरत पड़ती है, खर्चा किया जाएगा। अगर लास्ट मिनट पे ये खर्चा पुश किया जा रहा है, रशओवर किया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं कुछ गडबड़ी है। हमारी अपनी सरकार के कार्यकाल में 2017 में और मैं इसीलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ गलती होगी, हम उसको स्वीकारेंगे, जहाँ गलती होगी, सीएजी को इन्फार्म करेंगे कि उनके

आब्जर्वेशन में गलती है और जहाँ मंत्री अफसर की गलती होगी, वहाँ उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ***rule 56 of GFR provides: "The rush of expenditure particularly in the closing months of financial year is regarded as breach of financial propriety and should be avoided. contrary to this expenditure incurred by the department in the month of March, 2017 and last quarter of the financial year 2016-17 under 32 sub heads raised between 53.75% to 100% of the total expenditure as given.' Uska Apendix me diya hua hai. To 53 se 100 percent tak expenditure agar last hour me hua hai, to ye unhone observation diya hai,***

"The reasons for the disappropriately higher expenditure incurred in the last quarter are awaited from the govt.'.

ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट उसमें देखें, ये भी इंपोर्टेंट है। मैंने मार्क किया था यहाँ पढ़ने के लिए 2.3.11 एक रुल है, रूल–8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेन्शियल पॉवर रूल्स, ये कहता है कि उसमें एक हैड होता है लमसम, लमसम में अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज में जब लिखा जाता है जब 10 लाख से कम का खर्चा हो रहा हो। अगर 10 लाख से ऊपर का खर्चा है तो डिटेल देने कि जरुरत है। रुल 8 ऑफ डीएफआर 78। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है इसके 2.3.11 के तरह एक ओर लास्ट लाइन पढ़ेंगे, ***"In 367 cases lumpsum provision exceeded rupess 10 lakhs limit but no break of expenditure was given.'*** इसी तरह से उससे आगे(बी) इसी के कन्टीन्यूएशन में (बी) पैरा पढ़ें। लेकिन इसको पेज 27 पे पढ़ें, ***"In 74 cases, an amount of 2814 crores rupees was incorrectly shown in capital expenditure instead of revenue expenditure.'***

ये टेक्नीकल दिक्कत है। इसका हो सकता है कोई वजह हो। लेकिन यहाँ क्योंकि उन्होंने उसको वो किया है, फ्लैग किया है। एक ओर इंपोर्टेंट प्वाइंट है 29 पेज पर, पेज 29 इसी रिपोर्ट में रुल 212, 2.2 ऑफ जीएफआर के बारे में बात करती है। ये कहता है कि सरकार जब भी कोई पैसा किसी गारंटी इस्टिट्यूशन को देगी तो उससे एक साल के अन्दर अन्दर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेगी। ***"Rule 2 and2 of GFR stipulates that for the grants released during a year for specific purpose, utilization certificate should be obtained by the departmental officers from the guarantee within 12 months of the closer of the financial year, however in 3000. ye importent hai. In 3105 cases, utilization certificate for an aggregate amount of 7269 crore rupees in respect of the grant released upto March 2016 were not furnished by the guarantees as on 31st March 2017.***

इसका जो इसमें भी इसमें इंपोर्टेंट है कि ये भी कब से पेंडिंग है। 10–10 साल से पेंडिंग हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। सीएजी ने बहुत अच्छा प्वाइंट आउट किया है अध्यक्ष महोदय, कि दो साल से, 4 से 6 साल से, 6 से 8 साल से, 8 से 10 साल से और 10 साल से भी ऊपर से पेंडिंग हैं। हाँ, और करीब 2300 करोड़ रुपये की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 10 साल से ऊपर से पेंडिंग है।

इसी का अगला पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज पे, पेज 30 अगर आप देखें। ऑडिट, ऑडिट जो है, वो हमारी सरकारी व्यवस्था में एक इंर्पोटेंट फंक्शन है, ***"The audit of 10 bodies has been entrusted to the CAG under section1920 of the CAG Act, the status of entrustment of audit rendering the account to audit and issuance of separate audit report is indicated.***

Ab ye important hai. out of 10 bodies ya authorities, the annual account of only 5 bodies authorize upto year 2015-16 were received. 10 मे से मात्र 5 बॉडिज का ऑडिट किया गया था 2015–16 तक और अगर आप इसके नीचे की टेबल को देखें तो कई बॉडिज का ऑडिट जो है, कई कई साल पुराना, नहीं हुआ है। दिल्ली कल्याण समिति का 2014–15 और 2015–16 में नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ। नेता जी सुभाष चन्द्र इंस्टिट्यूट का 2015–16, दिल्ली जल बोर्ड का 2012–13 से ले के 2015–16 तक। दिल्ली बिल्डिंग वर्कर फण्ड का वर्कर वैल्फेयर बोर्ड का 2014–15, 2015–16। डूसिब का 2010–11 से 2015–16, उनका ऑडिट पेंडिंग है। इसको नेक्स्ट पैरा... और देखिए जो मैंने फ्लैग किया है, इस सदन में उल्लेख करने के लिए, पेज 30 पर ही 3.3 इसकी पहली लाइन इंपोर्टेंट है, ***"As on 31st march, 2017, 25 cases of theft, misappropriation, loss of material amounting to 23 lakh were pending for action, with the age profile.*** उसकी देखें, अगले टेबल पे है। 20–20 साल पुराने मामले हैं जिनमें एफआईआर नहीं की गई है अभी। कहीं न कहीं ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि हम 2015, 20–25 साल से कई मामलों में, 10 साल से कई मामलों में, 6 साल से, 4 साल से कुछ चीजों... मैंने इसीलिए कहा है, वो अन्दर का नब्ज, अन्दर की बीमारी क्या है, उसको पकड़ने में हमें काफी इंडिकेट कर रही है। रेंज इन ईयर 25 साल लिखा हुआ है 20 से 25 साल तक का। इसी में अगर देखें ये पेज 31 पर माने नेक्स्ट इसी उसमें 3.5 भी इंपोर्टेंट है अध्यक्ष महोदय। एक प्रैक्टिस होती है सरकारी ट्रेजरी से जब कोई पैसा लेता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई हम फंक्शन करा रहे हैं या कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसमें से हमने पैसा लिया ट्रेजरी से, एन्टीसिपेटिड 10 लाख रुपये तो उसको ये बोलते हैं एब्सट्रेक्ट

कंटिन्यूएंट मतलब ऐसे ही 10 लाख रुपये ले लिया। फिर उसके बाद जब वो पैसा खर्च हो जाता है, उससे कम हो या ज्यादा हो, तो उसके बाद में, समझने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल्ड काउन्टर साइन्ड कन्टिजेंट बिल डीसीसीसी बनता है उसका। तो ये रिपोर्ट बता रही है हमको। इसी 3.5 का अगर पैरा सैकॅड देखें, ***"Scrutiny of records showed that the total amount of DCC Bill received was 397 crores rupees. Yani ki 61 percent as against the amount of AC bills of 1129 crore leaving an outstanding balance of AC bill of 431*** और उसका पीरियड पूरा उन्होंने बताया है, नीचे की टेबल में कि 2011–12, 2012–13, 2013–14 से ले के 2016–17 तक लमसम पैसा जितना लिया गया, उसमें से अभी 61 परसेंट का ही डिटेल बिल दिया गया है उसका, बाकी का करीब 40 परसेंट, 39 परसेंट का डिटेल बिल तक सबमिट नहीं किया गया है। दैट इज वेरी इंपोर्टेंट स्पीकर सर, फॉर अस और क्योंकि... क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीएजी का अपना ऑब्जर्वेशन है। अगर इसी पैरा के कन्टिन्यूएशन में हम 31 पेज के नेक्स्ट यानी 32 पेज में, इसी पैरा के कन्टिन्यूएशन में पढ़ेंगे इसकी तीसरी लाइन, चौथी लाइन नेक्स्ट पेज पे 34 पे, पैरा सबसे टॉप में चौथी लाइन, ***"Due to non submission of DC bills by efficient by different departments, it could not be ensured that fund has been utilized for the purpose for which these have been drawn thus possibility of misappropriation of funds could not be ruled out and infact increases in the absence of DCC bills, this is important observation.' CAG ka observation hai.***

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से... मैं दूसरी रिपोर्ट, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने सरसरी तौर पर पढ़ते हुए कि मैं रिपोर्ट–2 चाहूँगा कि रिपोर्ट–2 में से भी सदस्यगण देख लें। मैंने कुछ फ्लैग आउट किए हैं इसमें। पहला

पेज नंबर–6 पर देखें एक बार, वैसे रिपोर्ट इंपोर्टेंट हैं, इसकी समरी... हरेक रिपोर्ट के शुरु में समरी है। समरी में शुरु के जो पाँच छः ग्रीन पेजेज हैं, इनको वो ओवर व्यू पेजेज बोल रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट की समरी के पेजेज हैं। यहाँ इन्होंने ट्रेड एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट के बारे में पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स के बारे में काफी कुछ ऑबजर्वेशन दी हैं और मैं डिटेल वाले उसमें जा रहा हूँ पार्ट में, पेज–6 पे अगर आप आयेंगे, ये हमारे एससी/एसटी डिपार्टमेंट की एक कॉर्पोरेशन है, नहीं, उसके बारे में नहीं ट्रेड एंड टैक्सेस। हाँ तो ऑडिट कमेटी, इसके बारे में पेज–6 पे अगर पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन देखेंगे, ***"However no audit committee was held by department of Tansport, State exercise in revenue.'***

गवर्नमेंट ने ऑडिट कमेटीज बनाई हुई हैं, लेकिन ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स ही नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, 1.6.3 में देखेंगे, ***"Following of audit report the Public Accounts Committee stipulates that after… Ye PAC ke members ki importence ka ho sakta hai, After presentation of the Report of the CAG of India in Assembly department shall initiate action on audit paragraphs and action taken notes, thereon should be submitted by the govt.within three months of the tabling of the report for consideration of the Committee.***

However, action taken notes on the reports were delayed in respect of the 25 paragraphs and 3 performance audits including in the report of the CAG of Union of India on the revenue sector of GNCTD for the years 31st March, 2012, 2013,2014,2015, 2016.'

रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पैराग्राफ्स के जवाब पीएसी के पास नहीं आया, प्लेस्ड बेफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली। वो नहीं आये हैं और कितने

पैराग्राफ ऐसे हैं, उसके नीचे उन्होंने टेबल में जिक्र किया हुआ है। आगे एक उल्लेखनीय चीज मुझे लगी। मुझे लगा सदन के समक्ष मैं उल्लेख कर दूँ इसका कि क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ। कई पीएसयूज का ऑडिट नहीं हुआ तो ये पेज नंबर–32 पे अगर हम देखें। ये टेबल के नीचे तीसरा पैरा लास्ट की लाइन्स हैं, इन द एबसेंस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एकाउण्टस एण्ड देअर सब्सक्वेंट ऑडिट इस पेज में जहां ये 2.2.1.1 है, उससे ठीक ऊपर की चार लाइनें देखें, ***"In the absence of finalization of accounts and their subsequent audit, it could not be ensured whether the investment and the expenditure incurred have been properly accounted for and the purpose of which the amount was invested was achieved or not thus govt.'s investment in such PSUs remain outside the control of state legislature.'*** ये इंपोर्टेंट इन्होंने इसको किया है। सेपरेट ऑडिट अकाउंट्स के लिए। इसी क्रम में अगर हम पेज–33 पे देखें, पैरा 2.1.11, ये पूरा पैराग्राफ इंपोर्टेंट है, ***"Delay in finalization of accounts may result in risk of fraud and leakage of public money apart from violation of provisions of relevant statutes'.***

In view of the above state of arrears of accounts the contribution of PSUs to the state GDP for the year could not be 2016-17 could not be ascertained and their contribution to the state exchequer was also not reported to the state legislature.' Ye important observation hai CAG ki.

Isi tarah se page no. 40, ye PSU's ke bare me bata rahe hain. Delhi Scheduled Caste, Schedulted Tribe, Other Backward Classes ke Minorities, Handicraft, Financial and Development Cooperation Ltd.

जो कॉरपोरेशन हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। कम्पनी आगे इसको कम्पनी रेफर कर रहा है, तो इसके हाई लाइट्स देखिये 2.2 के नीचे अगर हाई लाइट्स देखें, इसका, ***"The company neither conducted any survey for identification of targeted groups nor maintained any database of intended beneficiaries. The company has not been finalizing its financial statements on regular basis. Financial statements for the year 2004-05 and subsequent year have not been audited.'***

ये बीमारी है। इसी के नीचे दो पैराग्राफ और नीचे इसमें देखेंगे, ***"There were deficiencies in extending financial assistant with significant delays in disbursement of loans. Ye loans ke bare me, The system for follow up of the recovery from beneficiaries was unsatisfactory as the total recovery made during the year 2016-17 was only 11 percent.' Ye page 40 par hai. "The recovery process in as many as 3,530 cases out of 5,192 cases who has not been issued, No Objection Certificate was not initiated.' Initiate hi nahi hui hai usme.***

इसी तरह पेज–51 एक बार आ जायें। पेज–51 इंपोर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ एकदम टेबल के नीचे, इसी कम्पनी के बारे में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ***"The Apex Corporation together allocated 3,664 lakh for the benefit of SCèBC, handicap beneficiary during five years period 2012 to 2017. The company submitted the proposals 3,500 lakh out of which 3,370 lakh were sanctioned. The company however, could draw only 891 lakh. Yani ki 26 percent for disbursal of loans, non-drawal of sanction fund in case of BC and handicap beneficiaries was 95 and 88 per cent respectively.'*** यानी बीसीज के लिये, हैंडीकैप के लिए, सोशल

सेक्टर के लिए राजेन्द्र भाई अभी जो बता रहे थे, कहाँ वो चीजें फँस रही हैं और कितने सालों से लगातार फँसती आ रही है, उनपे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसकी ओर इंपोर्टेंट ध्यान सीएजी ने दिया है और इसको दुरुस्त करेंगे, तो ये पूरा पैराग्राफ उसके बारे में है। ***"Inability of company to fully draw the sanctioned amount for disbursing loan to all three categories of beneficiaries, despite their significant presence among Delhi population means, the company has effectively failed to perform its stated responsibilities the targeted group-wise audit findings are as under.'*** उसका फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और उन सब के लिए वो करके दिया है कि 459 ***number of SC beneficiary during the period 2012-17 were disbursed loan of this. The company however, did not do such privatization to adhere norms while disbursing loan to SC beneficiaries.***

तो ये पूरा आगे उसका बताया है इन्होंने कि कहाँ कहाँ माइनोरिटीज के लिए कहाँ कमी रह गयी। अगर देखें, 53 पेज पे। इसी में शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लासेज का, डिसएबल पॉपुलेशन का, माइनोरिटीज का लिखा हुआ है। माइनोरिटीज वाले में देखेंगे, दूसरी लाइन में, कम्पनी वाज सैंक्शंड 200 लाख रुपीज इनज ड्रयू ओनली 25 लाख रुपीज लोन। तो फंक्शनिंग पे बड़े सवाल सीएजी ने उठाये हैं। पेज–57 पे मैं चाहूँगा एक बार तव्वजो कि लोन इन्होंने काफी ऑबजर्वेशन दिये हैं कि लोन देने में एक तो दिया कम लोगों को, ऊपर से जिनको दिया भी, उनको देने में कैसी, किस तरह की दिक्कतें की गयी, लैक ऑफ ट्रॉंस्पेरेंट। पेज–57 पर, ***lack of transparent procedure while cancelling loan proposals under the scheme. Iska pointA dekhiye,A dekhiye ki In five cases, initially found suitable for disbursal of loan in the field of survey report conducted after receipt of application were later rejected on the para-meter's on which the***

***field survey report had confirmed. Field survey ne confirm kiya, usko reject kar diya, use agle din* In five cases applications were rejected on the ground of non-compliance of requirement which were already met by the applicant.** तो इस तरह के कई मामले, क्योंकि पूरी की पूरी कम्पनी का ऑडिट किया, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसी तरह की स्क्रूटनी हमारे पेन्शन विभाग की भी हो गयी होती तो... और पेन्शन विभाग के लाखों लोगों को स्क्रूटनी का, इसका फायदा मिलता। हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पर सीएजी तो सीएजी है। सीएजी की जितनी पैनी नजर होती है!

62 पेज पे देखें कम्पनी के फंक्शनिंग के बारे में पेज–62 2.2.7 का प्वाइंट (बी), 62 पेज पर कि दाउ द कम्पनी इज एंगेज्ड इन एक्सटेंडिंग फाइनेन्शियल एसिस्टेंट टु द बैनिफिशरीज सिंस 1983। ये देखने की जरुरत है कि ये गड़बड़ियाँ चल कहाँ से रही हैं और कब से चल रही हैं।

"It has not introduced any internal audit system to evaluated the level of competence with the existing rules and regulations'. 1983 se jo company kaam kar rahi hai, uska koi system hi nahi banaya unhone.

Iske Baad (d) the company has not been maintaining the record of receipts and disposals of the public grievances.

तो इन कमियों की तरफ सीएजी ने हमारा ध्यान दिलाया है और1983 से चलती चली आ रही हैं, ये कमियाँ। इतना क्लोज स्क्रूटनी मॉनिटरिंग, बारीकी से स्क्रूटनी! जैसा मैंने कहा कि चौबीस... तीसरी रिपोर्ट पर आऊँगा मैं। 24 घंटे भी अगर मिनिस्टर्स और सीनियर आफिसर्स को भी हम लगायें,

फाइल लेके बैठे रहें, इसलिए ये बहुत इंपोर्टेंट है और इसलिए ये सीएजी का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है देश के लिए, अध्यक्ष महोदय।

थर्ड रिपोर्ट में कुछ तीन चार पेजेज हैं, जिनको मैं चाहूँगा कि हम लोग देख लें बाकी तो ये समरी है, समरी का तो पूरा है ही शॉर्टेज ऑफ... अगर समरी को देखें तो इन्होंने आयुश में समरी का ओवरव्यू में पेज–87 ओवरव्यू में, इनिशियल ग्रीन पेजेज में कि ***shortage of cadre of Doctor, Pharmaceutical and Nurses were between 37 to 52 percent. Isi tarah se there were significant shortage of medical staff throughout the 2012-17 in Aayush dispensaries. out of 103 homeopathic dispensaries only 24 were having full compliment of staff to ensure proper patient care. To ye kami aur us kami ki history kya hai, usko samjhe bina usko thkeek karna mushkil hai. Islye maine jis note se shuru kiya tha ki CAG is one of the most important institutions and why it is important.***

क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव डाईरेक्शन से देखा जाए, पाजिटिव एंगल से देखा जाए तो सरकार को अपनी हिस्टोरिकल कमियाँ तक देखने के लिए वो मदद करती हैं।

ऐसे ही नेक्सट पेज पर देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी समरी है। डिले, इसी का एमसीडी वाला सैक्शन भी है। नाइन्थ, इसी में रिपोर्ट नम्बर 3 में पेज नं0 9 इनिशियली पेज नं0 9 रोमन नाईन ये ग्रीन पेजेज में रोड्स के बारे में। इस बार एक हजार करोड़ रुपया रखा है, हमने रोड्स पर खर्च करने के लिए अलग से, एमसीडी वाली रोड्स के लिए और बाकी सब पीडब्लूडी और अनऑथराइज कालोनी की कर ही रहें हैं बातचीत लेकिन इम्पार्टेन्ट है ये, ये कह रही है कि ***development in strengthening of Delhi***

roads network by Municipal Corporation of Delhi, a performance audit of roadwork executed by the MCD was conducted by a view of assessing whether construction and maintenance of road work plan with a long term prospective and executive in a transparent manner in accordance the with prescribed rules procedures in terms and conditions.

Iske next, iseeme point-1 par dekhein. Dot point par, multiple agencies were responsible for Delhi roads network, the Urban Development Department did not establish any mechanism to co-ordinate the efforts of these agencies to prepare a perspective plan, lack of which hindered effective planning and coordination in developing Delhi road network in a phase manner to cope up with the ever increasing population of vehicles in the city. Further there was no effective mechanism for citizen to address their grievances related to specific roads in the areas.

इसी को एमसीडी वाले को अगर हम क्योंकि ये तो ओवर व्यू में था पेज–43, मैं चाहूँगा हम देखें, 43 पेज पर क्योंकि एमसीडी का डिटेल उसमें हैं 43 में 2.8.1 पैराग्राफ जो कन्टीन्युएशन पैराग्राफ है, इसमें सेकेण्ड कि द एजेंसी वन कॉन्टेंडेड इन द कोर्ट। एक केस चल रहा है सड़क बनने के बारे में, उसके बारे मे... काम देने के बारे में। तो एमसीडी की फक्शनिंग पर भी इन्होंने सवाल उठाया और किस तरह से कहाँ। मैं बार–बार इस सदन में कहता रहा हूँ कि पैसा ज्यादा दे रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है। ये बता रही है रिपोर्ट, ***"The agency one contended in the court that price quoted by agency two was not workable and additional some***

would be recovered through the device of escalation etc. and there would be serious issue of quality. The court in March, 2011 took note of apprehension of agency one and in their orders directed MCD to appoint CRRI as an independent agency to monitor the work with the mandate inter-alia to ensure time line are met and the cost escalation is kept to bear minimum, with a view of maintenance transparency in the execution, hon'ble court directed that the concerned independent agency would place on website of MCD quarterly progress report of the work accordingly the eve awarded the work in August, 2011 to agency two at a contractual amount of 123 crores as of Oct., 2017, payment of 137 crores have been made to the contractor further scrutiny revealed the following.

Pahli line important hai isme next Paragraph kee ki despite court order the MCD did not engage CRRI as independent monitoring agency as a result work was executed without a vigilance.

Isee ko next challenge page no. 44 me isee ka continuation me point-two, Insufficient record on assurance of quality of work, reports, page no. 44 me point roman two reports of the mandatory quality test by the Divisional officer prescribed in the CPWD and more specifications and quality test report of 3rd party were not available with the division.

अब इसका जवाब भी दिया है साउथ एमसीडी ने। उन्होंने बताया अपना जस्टिफिकेशन अगले पैराग्राफ में लेकिन लास्ट में सीएजी कहता है कि 'बट सपोर्टिंग रिकॉर्डस वर नॉट एवेलेबल।'

Ab agar next page par dekhein 45 par point (b), Unsatisfied loading of cost of vehicle alongwith its running cost on work. Interesting hai!A condition was included in the general condition of contract not an SOQ, that contractor would provide a new vehicle of not less than 1800 CC for the use of department alongwith fuel, maintenance, driver etc. Contractor se vehicle manga gaya during the period of execution of project and Contractor se vehicle manga gaya aur usme condition lagai gai ki after completion of the project, the vehicle was to be transferred to MCD, this was not justified as it amounts to buying a car through the contractor to avoid the approval of the competent authority.

ये इम्पार्टेन्ट ऑब्जर्वेशन है। एमसीडी में गाड़ी खरीदी जा रही है पर कम्पीटेन्ट अथार्टी से अप्रूवल न लेना पड़े, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया गया कि तुम गाड़ी खरीद के दे दो। ये पहली ऐसा व्यवस्था होगी, द प्रौजेक्ट हैज बीन क्लोज्ड बट द वेहिकिल वर नॉट टेकन इन्टु स्टॉक ऑफ साउथ एमसीडी। प्रोजक्ट बन्द भी हो गया। कॉन्ट्रेक्ट में लिखा था, तुम वेहिकिल खरीदोगे और बाद में एमसीडी को दोगे। प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया और उसके बाद वीकल भी एमसीडी को नहीं मिला। इन्टरेस्टिंग है!

आगे अगर आप देखें पेज नं–48, इसको पढ़ना इन्टरेस्टिंग है। अपनी जानकारी के लिए भी। पेज नं0–48 में दूसरा ये प्वाइन्ट 5 अगर देखें रोमन 5, ***undue payment to contractor MCD ka hai. A payment of 45 lakh was made to the contractor for grade-separator work for using reinforcement bar of FE-500 in place of reinforcement bar of FE-415***

mentioned in contract, reasons for not using contractual items, approval of competent authority to use FE-500 in place of FE-415 and basis for working outprice different between these two were not on record. Payments for items not approved by competent authority amount to undue payment to contractor.

Isi ka next paragraph, Grid separator work was completed in August 2014 and the contractor was paid 47 lac for an item of SOQ for horticulture work comprising preparation of land providing of good earth manure supply of plants and trees and manpower, audit physically visited the site in June, 2017 and noticed that there was no sign of vegetation around the below, around or below the flyover instead three big office complexes were existing there. जिसका पेमेन्ट हो गया जिस काम का। वेजिटेशन का, मैन्योर का, ग्रीनरी का, सबका, जब आडिट ने उसका इन्सपेक्शन किया तो पता चला वहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई है।

Office of the Engineer, Executive Engineer PR-1 and PR-2 West Zone, South DMC and office of the Executive Enginner(Maintenance Division) in suchA situation, it was difficult to verify whether the work was previously executed… blah…blah…blah…

आगे तो इस तरह की कुछ चीजें और हैं मेरे नोटिस में जो आयी हैं, मैं और भी ध्यान से पढ़ूँगा इसको। पेज–54 पर देखिए, दिल्ली सरकार के पैसे जब जाते हैं तो उसका क्या सदुपयोग हुआ है, उसके बारे में पेज–54 पर लास्ट पैराग्राफ से ऊपर 2.2.8.10, ***"Unauthorised utilization of grant in aid, the GNCTD in 2007 approved a scheme for widening,***

improvement and strengthening and beautification of GT Road from eastern approach to ISBT Uttar Pradesh border.' Aapke yahan bhi hai Project 2,Division Shahdara, however unauthorizedly diverted the funds received under the scheme for construction of RCC drain from New Seelampur to Shiv Mandir including site lane from Shiv Mandir to road this and was awarded in Sept., 2012 at a contractual cost of two crore rupees, the stipulated date of completion of work was in May 2013, MCD paid one crore rupees to the contractor till November 13 and no progress of the work was recorded thereafter.' मतलब कहीं का पैसा था, कहीं लगाने के लिए कान्ट्रेक्ट पर दे दिया और वहाँ भी काम नहीं हुआ अभी। और फिर कहेंगे, पैसा कम देते हैं।

Page-61 main 2.2.8.18 18 No. paragraph series main, non recovery of 1.92 crore from contractor. Iska pera 2 padh lain, is point ka, "In Mundaka and Rampura RUBs, quantities of 26 items and 29 items with tender rates lower than justified rates were executed in lesser quanity than those mentioned in the schedule of the quantity of contract, audit team noticed that though payments of 34 crores rupees and 5.95 crores rupees were made to the contractor of respective work upto 2016 October and 2014 but recovery amounting 1.7 crore in point 2 crores respectively according to the above condition have not been made as on August, the project have neither been declared as complete not the final bill paid.'

इसी तरह से रोहिणी प्रोजेक्ट में हुआ। पैसा, तो इसका ऑडिट रिपोर्ट की भी नजर में है ये।

पेज–63, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा, पेज 63 में लास्ट पैराग्राफ है, रोमन 3 प्वाइन्ट में, ***payment for work having no evidence for their actual execution MCD ka hai ye, In five divisions of total amount of seven crores rupees… 7.19 crores rupees was shown… page-63 main last paragraph hai, In five divisions of MCD, a total amount of seven crore rupees was shown in cash books as payment for works done under the heads of LA roads on being asked about the approval of the competent authority for these works… ye interesting hai. Suniyega…Sir suniyega zara… These works, divisions intimated that the same was not available, no document like work order, bids or contract document, completion certificate etc, were made available to the audit by divisions in support of these payments except voucher. Khali voucher diye gaye.***

Further scrutiny of the vouchers revealed… ab yah aage maine islye kaha interesting… Further scrutiny of the vouchers revealed that out of seven crore rupees amount of 1.13 crore was shown incurred or contingent expenditure of divisions such as purchase of furniture, car, construction of office cabin etc. suno to, abhi to aage bhi to aage bhi to hai. To ye kis kaam ka paisa tha, kis kaam par kharch hua, bataya gaya coucher ke baad however, necessary…voucher me dikhya gays kuch aur kharch kar diya hai. Koi record maintain nahi hai. However necessary stock entries of the items were not found in official record of the division…

मतलब कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ऑफिस कैबिन बनवाये, उसका कोई ऑफिस रिकार्ड में कहीं किसी एंट्री में वहाँ पर उसमें भी नहीं है। उसका नेसेसरी स्टॉक एंट्रीज में एंट्री तक नहीं है तो यह कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कि 112 पेज भी देख लें चलते–चलते, दो पेज और हैं बस।

112 पेज पर ऊपर के पैरोग्राफ में केश इंसेंटिव्स टु... यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है। बहुत सारे हैं, नोट तो मैंने बहुत किए थे पर मुझे लगा कि सारे पढ़ना सम्भव नहीं है। अभी और भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। स्पोर्ट्स में, यह टॉप पैराग्राफ की मैं पांचवीं, छठी लाइन पढ़ रहा हूँ कि ***As on June 2017, 39 cheques amounting to rupees 9.6 lakh rupees for the year 213-14, and 15 cheques of 18 lakhs per year for the year 2014 were lying with the Directorate of Education as unclaimed by the sport persons.***

कभी कोई फंक्शन हुआ होगा; 2014–15, 2012–13 जब भी हुआ, उसमें अवार्ड दे दिया लेकिन खिलाड़ियों को दिया नहीं गया। उनके चैक्स बने बनाये पड़े हुए हैं। ***inability to deliver the cash awards to the selected outstanding players shows… on the part of DOE towards outstanding players sports persons as well as the cash incentives schemes itself.*** इसी पैराग्राफ के लास्ट में, रिप्लाई से भी वो संतुष्ट नहीं है।

एक लास्ट में इंट्रेस्टिंग और मैं पढ़ना चाहता था अध्यक्ष महोदय, 122–123 पेज पर है यह। यह फूड सप्लाइ डिपार्टमेंट का है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में राशन आया एफसीआई के गोडाउन से। हमने

सुना था बहुत सारे अलग–अलग स्कैम्स के बारे में, उसमें इस तरह की खबरें आती हैं। पेज नं– 122 पर, पैराग्राफ नं. 6, देखिये कि ***Test check of 207 vehicle used for transportation of SFA from godowns of FCI to FPS showed that the 10 vehicles were registered with other govt. departments, 42 were found not registered with Transport Department. ab suniye na. aage suniye to sahi, dherya se suniya… 8 vehicles which ferried 1589 quintal of SFA to FPS had registration number of buses, two wheelers, scooters, motor-cycles, and three wheelers.***

माननीय अध्यक्षः इस पर डेट, इयर नहीं मेन्शन है।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः जी सर।

माननीय अध्यक्षः डेट, ईयर इसमें नहीं मेन्शन है।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वो इसमें पूरी रिपोर्ट में है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः लेकिन मैं सिर्फ मेन्शन कर रहा हूँ, वो कभी भी हुआ हो, हमारी सरकार के समय में हुआ हो, हमसे पहले हुआ हो। मैटर यह है कि जब हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि एफपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एलजी साहब कहते हैं कि सबसे बढ़िया काम कर रहा है। ये किसके स्कूटर कान्ट्रेक्ट पर लगे हुए हैं, किसको लग रहा है एफपीएस सिस्टम ठीक, सीएजी को लग रहा है कि एफपीएस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीएजी कह रहा है कि नीचे डिपार्टमेंट में स्कूटर के नंबर, ट्रकों की जगह बसों के नंबर, थ्री व्हीलर के नंबर, स्कूटर

के नंबर लिखे जा रहे हैं और एलजी साहब कह रहे हैं कि साहब एफपीएस सिस्टम तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। मैंने अधिकारियों से पूछ लिया। यह जो डोरस्टेप डिलिवरी के नाम पर जिन–जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ना, उनको यह रिपोर्ट बताएगी, उसकी हकीकत एफपीएस की। ये स्कूटर किसके लगे हुए हैं किराये पर!

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दो छोटे–छोटे से प्वाइंट और रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा क्योंकि दो महत्वपूर्ण आज इश्यूज... सदन का समय आगे भी बढ़ाना पड़ा है, हम लोग ऐसे निकाल देते हैं कई बार। 123–पेज पर, प्वाइंट–नंबर 8, सबसे टॉप में, एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। हमने व्यवस्था की लेकिन क्योंकि एफपीएस पूरी की पूरी फूड सप्लाई सिस्टम... एलजी साहब के हिसाब से, कुछ अधिकारियों के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है लेकिन सीएजी ने बताया कि कैसे बढ़िया काम कर रहा है। एसएमएस एलर्टस आर सैंट टु द कार्ड होल्डर्स ह्वेन एसएफए आर डिस्पैच्ड फ्रॉम एफसीआई गोडाउनन्स। एफसीआई के गोडाउन से निकलने के बाद कार्ड होल्डर के पास एसएमएस जाता है। सीएजी पाता है,

Two thousand four hundred fifty three cases the mobile number of the beneficiaries actually pertain to FPS license holders and who were not beneficiaries on NFS. Scheme indicating that sms were not always being sent to the real beneficiaries.'

दुकानदारों को बेच दिया जब कि कार्ड होल्डर को जाना चाहिए था। इसी तरह से लास्ट में, एक और हम कहते हैं जी, इंस्पेक्शन... जिन

अधिकारियों के बेस पर एलजी साहब कह रहे हैं, जिन अधिकारियों की पर्सनल इनपुट्स पर एलजी साहब कह रहे हैं कि साहब, एफपीएस स्कीम बहुत शानदार काम कर रही है। उन अधिकारियों का रिपोर्ट लेने का तरीका और एलजी साहब को बताने का जो भी तरीका रहा हो लेकिन हम पूछते हैं, हम तो फील्ड में जाते हैं तो हमें तो दिखता नहीं है। हमें तो यह प्रॉब्लम दिखती है, जब हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन लाओ तो वो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम बेकार की बात कर रहे हो।

प्वाइंट नंबर 10, इसी पेज पर 123 पर, प्वाइंट नंबर 10 की लास्ट लाइन लिख लीजिए। बेसिकली क्या इंस्पेक्शन करना होता है असिस्टेंट कमिश्नर को, इनको 'ऑडिट डिड नॉट फाइंड एविडेंस।' इससे पहले पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ देता हूँ मैं, ***"As per clause 11 control order dated 20è3è2015 the state govt. shall ensure regular inspections of FPS not less than once in three months by the designated authority. Department accordingly instructed in June 2015 that area inspector, Asstt. Commissioner and Jt. Commissioner would conduct 10,7,5 and 2 inspections per months respectively. Though, department claim to have carried out the inspections audit did not find evidence of such inspections in the form of records. There is no provision in the e-PDS, NFS to record the inspection of details.'***

हवा में चल रहा है! तो हवा में राशन बंट रहा है। आप राशन घर में पहुँचवाने की बात करो तो बोलो, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों कर रहे हो? बेकार की बात कर रहे हो।

तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए यह सदन के समक्ष रखी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट टु एवरी इंस्टीट्यूशन अण्डर

कॉस्टिट्यूशन सीएजी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरी सरकार के फंक्शनिंग को, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों और उससे भी पिछले कुछ वर्षों में उठाया है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी स्क्रूटनी की। हम आगे चाहेंगे कि इसी तरह से सीएजी सरकार का मार्गदर्शन करता रहे, उसके काम करने में जो भी कमियाँ हों, उसकी और उल्लेख करता रहे और हम जहाँ तक सम्भव होगा, उनको ठीक करेंगे। नहीं ठीक हो रही होंगी जो आदमी गलती करेगा, उसको पनिश करेंगे। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनको पीएसी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को भेजा जाता है लेकिन अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई क्योंकि जो बात उप मुख्यमंत्री जी ने....

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, सीएजी की रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं होती।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः यह पीएसी को जाएगी। पीएसी इसमें अपनी फाइंडिंग्स देगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उप मुख्य मंत्री जी ने जो सीएजी रिपोर्ट पर संज्ञान यहाँ पर विधान सभा के इस सदन में सदस्यों के समक्ष रखा है, इससे पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के पास यह चली जाएगी

अब यह भी कॉपी, इससे पहले वाली भी चली गई है लेकिन पीएसी ने एक बार भी इस ऑडिट की जो रिपोर्ट है, इसका क्या संज्ञान लेकर के उस पर क्या कार्रवाई की, वो सदन के समक्ष नहीं आया है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब करेंगे। ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः यह हमारा कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट आना और उस पर एक उस पर संज्ञान लेना और फिर वो खत्म हो जाए बात चूँकि जब आडिट रिपोर्ट बनती है सीएजी की तो ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं है। हर ऑडिट पैरा जब भी तैयार होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, उसको मौका दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये ऑडिट ऑब्जेक्शन हैं, ये कमियां हैं। इस पर आप बताइए आपको क्या कहना है, उसके बाद वो रिप्लाई करता है। उसके बाद जब सेटिस्फाईड हो जाता है, ऑडिट डिपार्टमेंट सीएजी उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट भेजता है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये फाइनल रिपोर्ट आई है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं तो ये जानना चाहता हूँ... मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, उनको और ये इस पर पीएसी ने सदन का कब जो है एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं करा, मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं करा है। अगर उप मुख्य मंत्री जी, वित मंत्री हैं, वो इस बात का संज्ञान लें क्योंकि जो जो चीज आपके ध्यान में आई हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन इस पर अगली कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना।

माननीय अध्यक्षः वो होगी, अभी करेंगे, अभी करेंगे उसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर अगली कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये एक डाक्यूमेंट बनकर रह जाता है। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो.

माननीय अध्यक्षः मैं इस सदन को आश्वासन दे रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो पीएसी को यहां बाउंड किया जाए कि वो टाइम टु टाइम इस पूरे मामले पर अभी तक कि जितनी रिपोर्ट्स हैं, उस पर कोई कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, भारत सरकार से तो आई है। अब आपके जिम्मे है सारा काम करना।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ भारती जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, एक सेकेंड सोमनाथ जी बैठिये। विजेन्द्र जी, आप इसको प्रवचन कहें, मैं पहले... जहाँ तक मुझे संज्ञान में पहले पाँच साल भी मैं इस सदन का सदस्य रहा हूँ... किस ढ़ंग से कैग की रिपोर्ट पर मंत्री द्वारा स्वयं टिप्पणियाँ करना।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पीएसी की एक भी मीटिंग नहीं हो रही है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, आपने अपनी बात कह ली।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पूरे साल में कितनी मीटिंग हुईं।

माननीय अध्यक्षः आपने अपनी बात कह ली। अब आप हर बात को ट्विस्ट कर दें। आप बोलने ही नहीं देना चाहते। आपको चोट होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप पर चोट पड़ती है तो आप परेशान होते हैं, बैठिये आप, बैठिये अब। पीएसी की मीटिंग एक नहीं हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप फिर परेशान हो गए, सच्चाई सामने आती है तो आप परेशान हो जाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः छोड़िए, सोमनाथ भारती जी कुछ कहना चाहते हैं।

Shri Somnath Bharti: ***With the due permission and I want to attract the attention of the House because it has never happened before. I want to thank from the core of my heart Hon'ble Manish ji, Hon'ble Finance Minister for bringing out anomalies and irregularities of his own govt. It has never ever happened in the history. Let us all thank Hon'ble Finance Minister with this because each and every meticulous understanding of the governance in the way he has gone through the entire report. It is brought out exact details of what all wrong have happened. This is worth appreciation. I want to bring on record.***

मनीष जी, आपने जो बात आज सदन पटल पर रखी है और जिस तरह से वो एमसीडी के अंदर हॉर्टिकल्चर में वो बगीचा बन गया और वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी थी मतलब ये हद ही हो गई। इस बात का एप्रिसिएशन करते विजेन्द्र गुप्ता जी तो वहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। मतलब आज की तारीख के अंदर...

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः देखिये आप से आशा नहीं है।

माननीय अध्यक्षः अभी लेंगे एक्शन लेंगे, चिन्ता मत करिए।

Jh lkeukFk Hkkjrh% आपसे आशा नहीं है। ***Hon'ble Speaker sir,***

now the way Hon'ble Finance Minister brought out details, I think the further action would be to demand action against all those erring offiers.

जिन जिन अधिकारियों ने गलती की है। जिन जिन अधिकारियों के अधीन वो डिपार्टमेंट्स आता है, जहाँ करप्शन हुआ है, उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत जरुरी है और ये ऊपर से आज जो लालू कांड दिख रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि वो ट्रक्स जिसके अंदर जाना था राशन को...

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, लंबा न करिए आपने बहुत रख लिया है। दो लाइन आपने बोला था।

श्री सोमनाथ भारतीः वो ट्रक जिसमें राशन लाना था, वो स्कूटर के नंबर निकल रहे हैं, बस के नंबर निकल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये डॉयरेक्ट होम डिलीवरी का अपोजिशन हुआ क्यों? डॉयरेक्ट होम डिलीवरी का अपोजिशन इसीलिए हुआ क्योंकि इस तरह से जिन अधिकारियों के पेट भर रहे हैं, उनको एलजी महोदय प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं इन शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ मनीष जी का कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स की खामियाँ लेकर आए और हम लोगों की आंखें खोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, चाय ब्रेक नहीं कर रहे हैं। चाय ब्रेक कर रहे हैं क्या? पाँच बज गये हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, कह रहे हैं, इतनी देर तो हम स्कूल में भी नहीं बैठे। स्कूल के बिगड़े हुए बच्चे हैं। नहीं, सिरसा जी तो बैठे हैं। सिरसा जी तो खूब देर बैठे हैं स्कूल में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वैसे आज मैं अपनी ओर से एक बात कह रहा हूँ कि आज इस सदन में बैठने की सार्थकता सिद्ध हो गई है। इस सदन को कैसे कार्यवाही करनी चाहिए। अब पीएसी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पर अपनी ताकत झोंक दे। मुझे लगता है कि इससे अधिक हमारा चुनकर के आने का जनता के साथ इससे अधिक हम न्याय नहीं कर सकेंगे। इसको पीएसी कमेटी बहुत सार्थकता से ले और मैं भी अपनी ओर से मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो तो मैं कह ही रहा हूँ। आप तो दूसरे एंगल में कहते हैं। अरे भई, जब उठे, जब सवेरा हो गया। आज कम से कम बात तो आई।

श्री जगदीप सिंहः सर, एक छोटा सा आग्रह था आपसे कि जिस तरीके से पहली बारी ये ऐसा हुआ है तो इस पर एक स्टेण्डिंग ऑविएशन बनना चाहिए, टेबल थपथपाते हुए सारे विधायकों की तरफ से।

(सभी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर टेबल थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की।)

माननीय अध्यक्षः चाय आधा घंटा, आधा घंटा तो चाहिए। आधा घंटा चाय के लिए...

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए चायकाल हेतु स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 5.43 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

सुश्री अलका लाम्बाः हमारे साथी मनोज जो कोंडली से विधायक है 17 केसेज इन के ऊपर किये हुए थे। दस में तो चार्ज शीट ही पुलिस दाखिल नहीं कर पाई और जिन सात में की, उन सात में उन सात के सात केसों से पटियाला कोर्ट ने आज हमारे भाई हमारे साथी विधायक जी को रिहा कर दिया, बहुत–बहुत मुबारक।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम 54 के अन्तर्गत सुश्री राखी बिड़ला माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को एडमिट किया और मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर सबसे जो निचला तबका है, वह बहुत ही दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज वो अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए न जाने कितनी मेहनत, कितनी यातनाओं से उसे गुजरना पड़ता है। ये लोग कोई और नहीं हैं, ये दिल्ली के वो लोग हैं जो दिल्ली के आप हम और बहुत सारे लाखों लोगों की सफाई व्यवस्था को उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का जिम्मा उठाते हैं। ये हैं दिल्ली के हमारे सफाई कर्मचारी जो कि एमसीडी के अन्तर्गत कार्य करते

हैं। अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं, जो सुबह साढ़े पाँच बजे छः बजे अपने छोटे–छोटे बच्चों को सोते हुए अंधेरे में निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके, स्वच्छता मिल सके। उनका जो स्वास्थ्य है, वो सुनिश्चित हो सके। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो दिल्ली के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं, दिल्ली में स्वच्छता को सुनिश्चित करते हैं, आज वो लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। ये लोग सुबह पाँच बजे–छः बजे निकलते हैं और शाम तक ऐसी–ऐसी जगहों पर अपनी सेवाएं देते हैं जहाँ पर आप और हम हमारे जैसे लोग दो मिनट के रास्ते पर मुँह ढ़ककर रुमाल से उस रास्ते से गुजरने की भी हिम्मत नहीं रखते। नाक पर रुमाल होता है लेकिन फिर भी हम वहाँ से नहीं गुजर सकते। ऐसे स्थानों पर ये लोग बिना किसी सेफ्टी मास्क के, बिना किसी ड्रेस के, बिना किसी और साजो–सामान के अपनी सेवाएं देते हैं, उन स्थानों को ये साफ करते हैं। आज ये लोग अध्यक्ष जी, सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले 20 मार्च से दिल्ली के पूरे के पूरे एमसीडी के अन्तर्गत काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी भाई पाँच लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये पाँच लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल का आज 15वाँ दिन है लेकिन न तो केन्द्र सरकार, और न ही एमसीडी का इनकी ओर ध्यान नहीं गया है। ये लोग लगातार मेयर के भी संपर्क में हैं, कमिश्नर्स के भी संपर्क में हैं और खुद होम मिनिस्टर से भी ये मिल कर आए लेकिन किसी ने भी इनकी बात को और इनकी स्थिति की ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा।

अध्यक्ष जी, 15 दिन तो इनके अनशन को हो ही गये हैं साथ ही साथ दिल्ली में भी 15 दिनों से सफाई व्यवस्था का काम बिल्कुल ठप्प पड़ा

है। चाहे आपकी विधान सभा हो, मेरी विधान सभा हो या साथी सदस्यों की विधान सभा हो, पूरी दिल्ली आज कूड़ा–कूड़ा हो चुकी है। लेकिन किसी की भी, एमसीडी में बैठे हुए अधिकारियों के कानों पर जूँ नहीं रेंग रही।

अध्यक्ष जी, ये बहुत दुःख का विषय है कि जो निचला तबका समाज का आपकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए अपना स्वास्थ्य जोखिम में डालता है, उसका ऊपर से जो सेफ्टी पैकेज जाता है, जो उसकी ड्रैसेज आती हैं, वो घपले के तहत, भ्रष्टाचार के तहत बीजेपी, सीएजी में बैठी एमसीडी खा जाती है लेकिन वो फिर भी इन सब चीजों को नजर अंदाज करते हुए अपना काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता।

अध्यक्ष जी, 1998 से लेकर आज 2018 हो गया, पूरे 20 साल हो गये। अध्यक्ष जी, 20 साल पहले जो एक पीढ़ी ने जवान रहे लोग चाहे वो महिला थी, चाहे वो पुरुष थे, जब वो कच्चे तौर पर एमसीडी में भर्ती हुए थे तो उन्हें आस थी, उन्हें उम्मीद थी, इस बात की आशा थी कि एमसीडी में बैठी हुई सरकार कभी न कभी तो हम लोगों को रेग्युलर करेगी, कभी न कभी तो हम लोगों की जो उम्मीद है, उस पर ये लोग खरे उतरेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, आज बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 1 अप्रैल, 1998 से लेकर 1 अप्रैल, 2018 तक सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे, झूठे इरादों के साथ इन लोगों को ठगा गया, इन लोगों को गुमराह किया गया और आज जब वो पीढ़ी एक बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है और उनके बच्चे भी आज जवान होने के बाद दर–दर बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं तो आखिरकार आज इन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी।

अध्यक्ष जी, ये लोग बहुत बड़ी माँग नहीं कर रहे, पूरा एक जो लॉ है कि कुछ साल तक अगर एक पर्टिकुलर स्थान पर आपका काम करते

हैं तो आपको रेग्युलराइज किया जाएगा। आप लोगों को मिनिमम वेजिज दी जायेगी। लेकिन एमसीडी के अन्दर ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, जब ये लोग काम करने के लिए उतरते हैं, सफाई कर्मचारी तो आपने देखा होगा, कोई जो है, सुरक्षा मास्क नहीं होता, कोई ड्रेसिज नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये लगे रहते हैं अपने काम को लेके इन्हें उम्मीद होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, इस साल नहीं तो अगले साल हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार और हमारी ओर ध्यान देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ फोटोज अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये 2 अक्तूबर 2015 की फोटो है। नई दिल्ली का पंचकुईंयाँ मंदिर वाल्मीकि मंदिर यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान मिशन की जो है, शुरुआत करी थी। इस शुरुआत में आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल क्लीन है। इस फोटो में साफ दिख रहा है, रोड बिल्कुल क्लीन है लेकिन प्रधानमंत्री साहब मास्क पहने हुए हैं। उनके बराबर में जो सिक्योरिटी है, उन्होंने मास्क पहने हैं, दस्ताने पहने हैं, साफ सड़क है, नई झाडुएं हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं और सिर्फ सफाई करने का कि हम स्वच्छ अभियान लाना चाहते हैं। उसके उलट ये है, दिल्ली का असली सफाई कर्मचारी जो गट्टर के अंदर घुस रहा है, कोई मास्क नहीं है, कोई सेफ्टी उसके पास नहीं है। घुस रहा है सफाई कर रहा है। अपने क्षेत्र की जनता की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रमाण दे रहा है।

अध्यक्ष जी, कितना फर्क है राजनीतिक लोगों और एक मजदूर के अंदर, लेकिन फिर भी इस मजदूर की नहीं सुनाई देती, इन राजनीतिक लोगों की सुनाई देती है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं, ये केन्द्र के कानून मंत्री हैं, रवि शंकर प्रसाद जी और इनके बराबर में फोटो है, 'सास भी कभी बहू थी' की कलाकार जो कि आजकल मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी की। इन्हें

भी आप देखिए, सफाई करने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। पीछे बिल्कुल सैनिटाइजर की बोटल रखी हुई है कि बिल्कुल अभी वहाँ से निकलेंगे, हाथ धोएंगे, कीटाणु मारेंगे और फिर बस, हो गयी, फोटो खिंचवा ली। अध्यक्ष जी, ऐसे देश नहीं चलने वाला और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो है। ये फोटो देखिए इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है नाले के अंदर सफाई कर्मचारी के साथ खड़े हो कर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करा रहा है। ये तीन प्रमाण मैंने आपके सामने रखे, एक उस आदमी का जो ईमानदारी से भरे हुए नाले को साफ कर रहा है और बता रहा है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का दुख है, जिस स्थिति में वो काम करते हैं, वो उस स्थिति को महसूस करते हुए उनकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कर रहा है और ये बीजेपी के लोग जोकि केन्द्र में भी बैठे हैं और बीजेपी में भी पिछले तीन बार से लगातार काबिज हैं, इनको देखिए आप। इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं दिखता।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह अत्याचार, ये अन्याय अब और नहीं चल सकता क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले लगातार कई वर्षों से जब से दिल्ली सरकार अपने अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अब तक एमसीडी को लगातार जो उनको पिछले कई दशकों में पैसे मिलते आए हैं, उससे बढ़ाकर ही दिया है। अगर आप वर्ष 2018–2019 की बात करें तो इस बार हमने अपने पूरे बजट का लगभग 13 प्रतिशत 6903 करोड़ रुपये जो है, वो एमसीडी को दिया। वर्ष अगर हम 17–18 की बात करें तो भी हमने अपने पूरे बजट का नौ प्रतिशत 8–8 परसेंट जो है, हमने एमसीडी को दिया है। इसके अलावा 2015–16 की बात करें तो 2015–16 के अंदर भी हम लोगों ने अपने बजट में 5908 करोड़ रुपये एमसीडी के

लिए अलग से निकाल कर रखे। 2016–17 में भी 6929 करोड़ रुपये हमने एमसीडी को दिए। इसी प्रकार से इस वर्ष भी हमने इसको सबसे ज्यादा बढ़ाकर एमसीडी के हिस्से में लेकर आए लेकिन ये अध्यक्ष जी, ये पैसा जाता कहां है? इस पैसे का उपयोग कहाँ होता है क्योंकि एमसीडी में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, कर्मचारियों को रेग्युलर नहीं किया जा रहा, कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार हैं, लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष जी, इस का जो पैसे का जो दिल्ली सरकार पैसा देती है, इन लोगों को एमसीडी में कर्मचारियों के उत्थान के लिए, एमसीडी में लोगों के विकास कार्य के लिए, उसका ये उल्टा करते है, अध्यक्ष जी। बीजेपी करती है, बीजेपी के मेयर इस पैसे से बड़े बड़े होटल्स के अंदर पार्टी करते हैं। सिविक सेंटर में जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, एसी है, पूरा ग्रेनाइट का जो फर्श है, उसका पूरा का पूरा खर्चा जो दिल्ली सरकार जो एमसीडी को पैकेज देती है कि कर्मचारियों को तनख्वाह दें, ये उसके उलट जो अपने सिविक सेंटर की साजो–सामान, उसकी सफाई व्यवस्था पर लगाते हैं। इतना ही नहीं 1998 में जो पहली बार पार्षद बने होंगे अध्यक्ष जी, उनके पास साइकल भी नहीं होगी लेकिन पार्षद बनने के पाँच साल के अंदर उनके पास लग्जरी कारें, बड़े बड़े मकान आए लेकिन 1998 से लेकर 2018 तक एक सफाई कर्मचारी के पास ठीक से दो वक्त की रोटी भी नहीं आ पाई, ये बहुत दुःखद है! उसके उलट हमारी आम आदमी पार्टी क्या करती है सफाई कर्मचारियों के लिए, इनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का निर्माण करती है और सरकारी स्कूलों की बेहतर व्यवस्था करती है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भीम योजना का निर्माण किया, उसको लांच किया ताकि सफाई कर्मचारी का बच्चा भी बड़ा होकर डाक्टर बने, वकील बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने। ये सोच का फर्क है। अध्यक्ष जी, आप अगर किसी तबके को उठाना

चाहोगे तो वो जरुर आगे बढ़ेगा लेकिन अगर आपने सोच अगर आपकी कुंठित मानसिकता है कि इस दबे हुए, कुचले हुए समाज को, इन कर्मचारियों को अगर आपको दबा कर ही रखना है तो आप के पास यही जो है, काम धंधे होंगे कि आप उनको सेलेरी न दें, उन्हें पक्का न करें, उनको तरह तरह से ह्रास करें जोकि लगातार बीजेपी शासित एमसीडी करती आई है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी, पिछले कई सालों के अंदर एमसीडी में सफाई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर कई बार जो है, मृत्यु का उनको सामना करना पड़ा; मौत का शिकार हुए। पिछले हफ्ते भी बाहरी दिल्ली में एमसीडी के अंदर एक सफाई कर्मचारी जब मशीन पर ट्रेनिंग दे रहा था तो मशीन पे ट्रेनिंग देते हुए उसकी मशीन में फसकर मौत हो गयी। लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं लेनी चाही, लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब त्रिलोकपुरी विधान सभा में और आपकी कोण्डली विधान सभा के अंदर पिछले वर्ष सीवर की सफाई करते हुए जब सात सफाई कर्मचारी मारे गए तो न सिर्फ उन लोगों को इतिहास में पहली बार 10–10 लाख रुपये का मुआवजा दिल्ली सरकार से मिला बल्कि उनके दुःख में शरीक होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज कल्याण मंत्री और स्वयं मैं, हम लोग उनके दुःख की घड़ी में शरीक भी हुए, आर्थिक रूप से उनकी मदद करी और उनके परिवार वालों को नौकरी भी दी। अध्यक्ष जी, वो लोग रेग्युलर कर्मचारी नहीं थे, वो लोग मजदूर, लेबर चौक से लाये हुए लोग थे लेकिन एक सोच देखिए, एक हृदय में अपनापन देखिए, एक सहानुभूति देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की, कि चौक पर लाई हुई लेबर जिसका दिल्ली के सरकार में नाम तक नहीं था लेकिन उस के परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, उनके घर जाकर 10–10 लाख रुपये का चेक देना और परिवार को नौकरी देना, ये बहुत बड़ी बात है! यही दर्शाती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए, दिल्ली में आखिरी तबके के जो लोग हैं, दबे

कुचले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए किस प्रकार से काम करा और इसी प्रकार लगातार तीन बार आज बारहवाँ साल शुरु हो जायेगा बीजेपी का इन्होंनें सफाई कर्मचारियों को आज भीख मांगने के लिए सड़को पर मजबूर कर दिया उतरने के लिए और आज सारा का सारा सफाई कर्मचारी लगभग 40 से 45 हजार की संख्या में पूरी निगम के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, नार्थ एमसीडी के अंदर हमारे 27 हजार सफाई कर्मचारी हैं, साऊथ एमसीडी के अंदर 21 हजार कर्मचारी हैं और ईस्ट एमसीडी के साथ हमारे 15 हजार कर्मचारी हैं। टोटल मिलाकर 63 हजार सफाई कर्मचारी आज दिल्ली की सड़कों पर हैं। अध्यक्ष जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों के अंदर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 15वाँ दिन आज भूख हड़ताल का है, भगवान न करे उनमें से किसी भी एक अनशनकारी को कुछ हो जाता है तो ये 63 हजार लोग अगर सड़क पर उतरते हैं तो अध्यक्ष जी, वो मंजर महसूस करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महसूस करिए कि दिल्ली के लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन क्या होगी, कैसे करेंगे! अध्यक्ष जी, सिर्फ दिल्ली का ये हाल नहीं है, आज आप देश में कहीं पर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप नजरें फिराकर देखेंगें तो आज इस देश का किसान सड़कों पर है। इस देश के स्टूडेंटस सड़कों पर हैं, देश की महिलाएं सड़कों पर हैं, देश के दलित सड़कों पर हैं, देश के वकील सड़कों पर हैं, देश के तमाम लोग सड़कों पर हैं और सिर्फ किसलिये हो रहा है? क्योंकि जो केन्द्र में हमारी सरकार बैठी है, वो निहायत ही निकम्मी, निहायत ही लापरवाह और निहायत ही गैर जिम्मेदार सरकार है। मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से ये कहना कि ऐसी निकम्मी सरकार को जो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सैन्टर में बैठी है, उसे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, महिलाएं

सड़कों पर हैं, बेटियाँ सड़कों पर हैं, पुलिस कर्मी, सैनिक, दलित, सफाई कर्मचारी पूरा का पूरा देश ही तो सड़कों पर है लेकिन इनको विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं मिलती। अध्यक्ष जी, ये बहुत दुःख का विषय है और मैं चाहती हूँ...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए राखी जी, कन्क्लूड करिए।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, ये कन्क्लूड करने का विषय नहीं है। आप सोचिए इसकी गंभीरता। इसकी गंभीरता को आप सोचिए कि आज देश का, दिल्ली का सफाई कर्मचारी सड़कों पर है 15 दिनों से, आप बता दो आपकी विधानसभाओं में सफाई हुई है क्या? जनता के बीच में जाते हैं, ये जनता कहती है झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, झाड़ू लगाने वाला आयेगा कहां से? उसके घर में दो वक्त की रोटी तो है नहीं, वो कैसे जाकर सफाई करेगा! लेकिन हाँ, बीजेपी के काउंसलर जो पिछले साल बने थे, आज उनके घर में ऑडियो और मर्सिडीज खड़ी है लेकिन सफाई कर्मचारी जो निगम के अंतर्गत आता है, उसके घर में दो वक्त की रोटी नहीं है। अध्यक्ष जी, आप मुझे पाँच मिनट ज्यादा दे देंगे तो उनका ही भला होगा, मेरा कोई अपना भला नहीं होगा। आप सदन को एक दिन और बढा सकते हैं लेकिन ये मुददा बहुत गंभीर है। 63 हजार सफाई कर्मचारियों के साथ–साथ उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मुददा है। उनको सोचिए जो पाँच आंदोलनकारी 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं। अगर उनको किसी को कुछ हो गया तो उनके परिवारों को कौन देखेगा? कौन उनके परिवारों की जिम्मेदारी लेगा? तो अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर मुददा है। अध्यक्ष जी, अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि इन सफाई कर्मचारियों की माँग क्या है और इनकी माँग का समाधान निकलेगा कहाँ से? ये बहुत बड़ा मुददा है। तो अध्यक्ष जी, इन सफाई कर्मचारियों की कोई बहुत बड़ी माँग नहीं है। ये

कोई चाँद–सितारे, हीरे–मोती नहीं माँग रहे बीजेपी से और एमसीडी के लोगों से। ये सिर्फ इतना माँग रहे हैं कि ये 01/04/1998 से लेकर 01/04/2018 तक जो बीस साल पहले लोग लगे थे निगम में, सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे, मस्टर रोल पर लगे थे, उनको बीस साल के बाद अब पक्का कर दिया जाये। इनकी सिर्फ और सिर्फ पहली एक गुहार ये है। दूसरे ये लोग कहते हैं कि 2003–04 के अंदर जो लोग रेगुलर हुए थे, 14 से 15 साल आज होने को आ गये, इन लोगों का बैक लॉग एरियर नहीं मिला, सिर्फ ये एमसीडी से इतना चाहते हैं कि इन लोगों का एरियर मिल जाये और कुछ नहीं चाहते और एरियर का पैसा बहुत ज्यादा नहीं है; किसी कर्मचारी का डेढ़ लाख रुपये बनता है, किसी कर्मचारी का दो लाख रुपये बनता है। ये पूरा मिलाकर नार्थ एमसीडी का और ईस्ट एमसीडी का पूरा मिलाकर एरियर जो है, वो महज सात करोड़ रुपये है, कोई बहुत भारी भरकम रकम नहीं है। इससे ज्यादा सात सौ करोड़ रुपये है। इससे ज्यादा तो पिछले तीस सालों के अंदर हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने अपने कपड़ों और विदेश मंत्री पर इससे ज्यादा इससे कई गुणा ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिये इनके पास 700 करोड़ रुपये नहीं हैं। बहुत दुःख का विषय है अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री दिन में चार चार बार कपड़े बदलते हैं, हर दूसरे महीने विदेश की यात्रा पर जाते हैं और स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान का नारा तभी साकार हो पायेगा जब आप अपने सफाई कर्मचारी की दो वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाओगे। जब तक आपका सफाई कर्मचारी स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आपका सफाई कर्मचारी मजबूत अंदर से नहीं होगा तब तक वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पायेगा। यही कारण है कि हर बार मानसून के अंदर डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और न जाने कितनी जानलेवा बीमारियाँ फैलती हैं। क्योंकि एमसीडी भी सो रही है और

केन्द्र की सरकार भी सो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी तीसरी माँग है कि मैडिकल हेल्थ कार्ड मिल जाये क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर काम करते हैं अध्यक्ष जी, जहाँ पर आप और हमारे जैसे लोग एक सैकण्ड तक खड़े नहीं हो सकते लेकिन ये लोग वहाँ पर घंटो घंटो बिना किसी सेफ्टी के बिना, किसी मास्क के वहाँ सफाई करते हैं ऐसे में सिर्फ इनकी एक गुहार है कि हमारे पास पैसा नहीं है अगर हमारे को अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, लंग्स खराब होते हैं, हार्ट फेल होता है, किडनी खराब होती है तो हमें ऐसा मैडिकल हेल्थ कैशकार्ड दें कि हम किसी भी अस्पताल में जायें तो तुरंत प्रभाव से बिना किसी पैसे के झंझट के, बिना पैसे की चिंता के हमारा तुरंत प्रभाव से बेहतर से बेहतर ईलाज हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी, आपने भी देखा है, आप इस सदन के 1993 से सदस्य हैं, आप हम से बेहतर समझते हैं; पिछले 20 सालों के अंदर दिल्ली की आबादी आग की तरह बढ़ी है। दिल्ली में आबादी का जो मैं कहूँगी, इतना तीव्र गति से बढ़ना और उसी कड़ी में पिछले 20 सालों से.. दस सालों से सफाई कर्मचारियों की भर्ती न होना और ये सफाई कर्मचारी जो नौकरी कर रहे थे, उनकी मौत होना, इस सब को मिलायें तो हजारों की संख्या में आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है। दिल्ली में हम स्वच्छ भारत अभियान का नारा दे रहे हैं लेकिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। जब तक हम नये सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे तो हम स्वच्छ भारत अभियान का स्वच्छ दिल्ली के सपने को कैसे साकार करेंगे!

तो अध्यक्ष जी, बस इन लोगों की ये माँग है कि हम लोग जो हैं, तुरंत प्रभाव से एमसीडी नई भार्तियों को खोले, तीनों एमसीडी के अंदर, नार्थ ईस्ट साउथ के अंदर और तीनों एमसीडी को तुरंत प्रभाव से एक किया जाये, बस ये माँगें हैं।

अब मुझे ये नहीं पता अध्यक्ष जी, माँगें हेल्थ कार्ड की और ये भर्तियों की, ये एमसीडी को एक करने की माँग कहाँ से पूरी होगी। मुझे ये नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे से पता है कि जो डीडीए है, जिसका मालिक दिल्ली का एलजी है, केन्द्र सरकार के अधीन डीडीए आती है और उसके चेयरमेन हमारे एलजी महोदय हैं, उस डीडीए के पास 21 हजार करोड़ का एक फण्ड है, वो फण्ड 21 हजार करोड़ का जो डीडीए के पास है, वो दिल्ली की जमीनों को बेचकर, दिल्ली में फलैट्स को बनाकर अलग–अलग तरीके से जो 21 हजार करोड़ का फण्ड इकटठा किया गया, उस फण्ड का नाम है यूडी फण्ड। इस फण्ड पर अध्यक्ष जी, कहीं से कहीं तक किसी और का अधिकार नहीं है। इस फण्ड पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों का अधिकार है। ये 21 हजार करोड़ का जो फण्ड है, इसको पता नहीं क्यों, माननीय एलीजी साहब ने सोचा मेरे बाप का माल है, मेरे बाप का फण्ड है और उठाकर इसकी एफडी करा दी! अब इसकी एफडी करा दी, इसकी एफडी 21 हजार करोड़ के फण्ड की एफडी का जो ब्याज है, वो हर साल दो से ढ़ाई हजार करोड़ रुपया आता है। अध्यक्ष जी, कोई छोटी कीमत नहीं है अगर दिल्ली के एलजी महोदय चाहें तो तुरंत प्रभाव से दो तीन साल का सिर्फ और सिर्फ ब्याज, हम मूल नहीं माँग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि जो दो से ढ़ाई हजार करोड़ का ब्याज आता है, जो 21 हजार का एफडी कराया हुआ है आपने दिल्ली के फण्ड का, उसका जो दो से ढ़ाई हजार करोड़ रुपये का ब्याज आता है, अगर दो से तीन साल लगातार सिर्फ और सिर्फ उस ब्याज को वो दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के नाम कर दें तो अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, इन सभी सफाई कर्मचारियों से पक्के होने की माँग है, इसको भी पूरा किया जा सकता है, इनको बेहतर से बेहतर हेल्थ सर्विसिज दी जा सकती है, इनके एरियर्स

की भी माँग पूरी हो सकती है और जो इनकी छुटपुट जो समस्याएं हैं, उनको भी पूरा किया जा सकता है।

अब एलजी किसके अंतर्गत आते हैं, एलजी किसकी नुमाइंदगी करते हैं, एलजी किसकी जी हजूरी करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब एमसीडी में भी बीजेपी, एलजी भी पपेट की तरह, कठपुतली की तरह काम करते हैं बीजेपी के हाथों और केन्द्र में भी बीजेपी की सरकार...

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए राखी जी प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः अगर बीजेपी चाहे अध्यक्ष जी, तो ये हमारे जो 15 दिन से पाँच सफाई कर्मचारी सिविक सेंटर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनकी माँगें भी मानी जा सकती हैं और उनकी ये भूख हड़ताल खत्म भी हो सकती है अध्यक्ष जी।

बस दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करुंगी अध्यक्ष जी। वर्ष 2001 से लेकर आज 2016 तक, मतलब पिछले दो सालों तक पहले एमपी की सेलरी हुआ करती थी 10,000, फिर सांसदों ने अपनी सेलरी बढ़ाकर कर दी 16,000, फिर 2010 में कर दी इसे 50,000 और 2016 के अंदर कर दी 1,00,000 और अभी पिछले दिनों इनकी सेलरी बढ़कर फिर 3,00,000 रुपये हुई।

अध्यक्ष जी, अगर एमपी जिनकी संसद के अंदर कैन्टीन में भी सब्सिडी मिलती है, 1700 करोड़–17000 करोड़, आँकड़ा मुझे ढंग से याद नहीं है, इनकी केन्टीन में भी सब्सिडी मिलती है। इनको घर फ्री मिलता है, इनको गाड़ियाँ फ्री मिलता हैं, इनको मोटी–मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, ऐयर टिकट इनको फ्री मिलता है, सारी सुख सुविधा मिलने के बावजूद अगर हमारे सांसदों को तनख्वाह बढ़ाने की जरुरत है तो अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ,

क्या सफाई कर्मचारी का अधिकार नहीं है कि उसकी तनख्वाह भी बढ़े और उन्हें पक्का भी किया जाए?

अध्यक्ष जी, बस मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गम्भीर मुद्दा है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं और शहरी विकास मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से इन तीनों को बस ये संदेश देना चाहती हूँ कि एमसीडी का और केंद्र सरकार का निकम्मा और नक्कारापन किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो दलित समाज के प्रति हो उनका निकम्मा और नक्कारापन, चाहे वो बेटियों की सुरक्षा के प्रति, चाहे हमारे छात्रों के प्रति हो, हमारे किसानों के प्रति हो या आज हमारे सफाई कर्मचारियों के प्रति हो, हम लोगों को दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी से और केंद्र में बैठी एमसीडी की भाजपा सरकार से कत्तई उम्मीद नहीं है। अगर आज उम्मीद है, अगर कहीं आज आशा की किरण दिखाई दे रही है तो वो है, बस दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार से दिखाई दे रही है और मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष जब सात सफाई कर्मचारी सीवर में डूबकर मौत का शिकार हुए थे, उनके घरवालों के प्रति अपनी सांत्वना, अपना अपनापन और अपनी जो है, पीड़ा को दर्शाया था, उसी प्रकार से आज जो ये हजारों सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं, उनके प्रति जरुर ये कुछ न कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ जो है, रास्ता निकालेंगे ताकि उनकी हड़ताल भी खत्म हो सके और इनकी माँगों को कहीं न कहीं एक निश्चित तौर पर ज्यादा नहीं तो थोड़े तरीके से माना जाए और उनके अधिकार उन तक पहुँचाए जा सकें।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी। देखिए 8–9 वक्ता हैं। अगर हम थोड़ा–थोड़ा इसको... बिंदु आ गए हैं, राखी जी ने बहुत अच्छा रखा है।

श्री सोमनाथ भारतीः राखी ने सारा कवर कर लिया है।

माननीय अध्यक्षः हाँ, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। राखी ने बहुत डिटेल में इस मुद्दे को सदन के सामने रखा है और करीब–करीब सारे मुद्दे उन्होंने कवर कर लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अंदर कोई भी चुनाव हो, चाहे वो चुनाव स्टेट का हो, चाहे वो चुनाव म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो चुनाव पंचायत को हो, हर चुनाव में पोस्टर ब्वॉय के रुप में तो प्रधानमंत्री जी आए है क्योंकि हर वक्त क्यों वोट दे दें? क्योंकि मोदी जी को लाना है। कहाँ लाना है मोदी जी को? म्युनिसिपैलिटी में भी लेकर आना है तो म्युनिसिपैलिटी तक में भाजपा ने वोट माँगे मोदी जी के नाम पर तो क्या एमसीडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अकाउंटबिलिटी क्या मोदी जी की नहीं बनती है? जिस तरह से आज एमसीडी के अंदर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, मुझे याद है कि एमसीडी के चुनाव के पहले जितने सारे हड़ताल हो रहे थे, उसको भाजपा के लोगों ने मिसडायरेक्ट करने का प्रयास किया। कई बार माननीय मुख्य मंत्री घर के बाहर भी उन्होंने ये स्ट्राइक करने का प्रयास किया। कई बार माननीय मनीष जी के घर के आगे उन्होंने करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार कम से कम ये स्ट्राइक स्टाइक वेल टारगेटेड है। इस बार उनका स्ट्राइक टू द प्वाइंट है कि भई एमसीडी

के अंदर बैठे काउंसलर, एमसीडी के अंदर बैठी भाजपा, ये उसकी फेल्योर है, इस बात का इस बार जग में उजागर हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि चुनाव के अंदर, एमसीडी चुनाव में मनोज तिवारी जी ने बार–बार कहा कि अगर दिल्ली सरकार पैसे नहीं देगी तो हम सेंटर से पैसे लेकर आएंगे और आज हमने जब माननीय मनीष जी कैग का रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें ये भी देखा हमने कि किस तरह से एमसीडी के अंदर पैसों का एक तरह से मिस–डायरेक्शन हुआ, पैसों का मिसयूज हुआ, ऐब्यूज हुआ। जो पैसे सेलरी में जाने थे, वो कहाँ गए, हमने देखा। किस तरह से गाड़ियाँ खरीदी गई, किस तरह से बंगले खरीदे गए और उसका आज तक एकाउन्टबिल्टी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो स्ट्राइक हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के अंदर सैनिटेशन वर्कर का स्ट्राइक है और वो किस कारण है, महीनों से उनको सेलरी नहीं मिली है। मामल हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट के अंदर इनको झाड़ पड़ी लेकिन किस तरह से ऑडिटस के अंदर जो रिपोर्टस आए, उस रिपोर्टस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उस पैसों का जो मिस–डायरेकशन और मिस्यूज हुआ, ऐब्यूज हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके ऊपर गहरी चिंता है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एमसीडी के अंदर, एमसीडी का स्पेशली जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं या जो डेंगू ब्रीडिंग कंट्रोल के वर्कर्स हैं, उनके पास कोई प्रॉपर सेफ गार्ड मेकनिजम नहीं है। उनके पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर ब्रूम्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर कॉस्टयूम नहीं है। आज किस हालत में उनको काम करना पड़ रहा है! इसके बावजूद कि करीब करीब इस पर 7,000

करोड़ रुपया उनको मिला है लेकिन पैसा जाता कहाँ है, किस ब्लैक होल में पैसा जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुःख की बात है कि जिन पैसो को सेलरी के रुप में दिया जाना चाहिए था, उन पैसों का मिस्यूज, वो जो 'नई ऊर्जा नई उड़ान' के नाम पर जो काउंसलर्स आए थे, जैसा राखी ने कहा कि उनके घर में आज मर्सिडीज पहुँच गया, उनके घर में आज बड़ी–बड़ी गाड़ियाँ पहुंच गई और इस बात को संज्ञान में लेने वाला काई नहीं है। आज अगर हमारे पास एसीबी होता, अगर आज हमारे पास ऐंटी करप्शन ब्रांच होता तो उनमें से कई काउंसलर जेल में होते, अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये दुर्भाग्य हम सबको झेलना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारे पास कोई भी इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी नहीं है।

क्षेत्र के अंदर जो गंदगी पनप रही है, जो दिल्ली के अंदर गंदगी पनप रही है, चारों तरफ मलेरिया और हैजा का एक माहौल बन रहा है, उसके अकाउंटबिल्टी किसके प्रति है? अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए, चूँकि इसी दिल्ली में वो भी रहते हैं और इसी दिल्ली के अंदर एमसीडी तक में उनके नाम से वोट लिया गया तो उनको चाहिए कि भई, इसका संज्ञान तुरंत लें और जिस तरह से राखी ने अपनी बातें रखी हैं, उन सारे मुद्दों के ऊपर एक प्रॉपर मीटिंग करके जो कुछ भी बन पड़ सकता है, उनसे करें।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, एमसीडी पर बोलने से पहले मैं आपका ध्यान कल एक बहुत बड़ी घटना हुई इस देश में और वो घटना हुई दलितों का एक आंदोलन के रुप में क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को बदलने के लिए एक कानून निकाला 20 मार्च को और उसके बाद देश के सभी दलितों ने बीजेपी शासित केंद्र की सरकार से गुजारिश की, उनके नुमांइदों से कहा कि भई, इसको न बदला जाए क्योंकि ये हमारे मान सम्मान के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। हमें छुआछूत से दूर रखने के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। हमें आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है और जैसा मैंने कल कहा, इसमें जब डेटा देखा गया कि उसमें सिर्फ 2.4 परसेंट लोगों को कन्विक्ट किया गया, जिनमें से हॉफ ऑफ द केसेज वर विदड्रान पद द मिड वेज। तो आज पूरे देश में दलित बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं और ये आज का अखबार है जिसमें साफ–साफ लिखा है कि कल एक दलित वर्ग, जो दबा कुचला वर्ग है, उसके 14 लोगों को मार दिया गया है। तो अध्यक्ष जी, ये 14 लोगों को मार नहीं दिया गया, उन दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनको मारकर, उनको दबाया गया और 14 लोगों की जो हत्या हुई है, ये उन राज्यों में हुई है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी बयान देते हैं कि हम आज ये एट्रोसिटी एक्ट को बदलने के लिए अब हमने रिव्यू पेटीशन लगाई है। तब से क्या बीजेपी के लोग सो रहे थे! जब तक मौतें नहीं होती, जब तक दलितों को मारा नहीं जाता तब तक इनकी आँखें नहीं खुलती और पूरा देश देख रहा है ये बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ की भी पूरी बू आ रही है। तो अध्यक्ष जी, मैं और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, बहुत आहत हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन–जिन लोगों ने जिन–जिन अधिकारियों ने दलित समाज के लोगों पे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट कर

रहे थे, उनपे गोली चलाई, उनकी हत्या की, उनके ऊपर कार्रवाई हो और मोदी सरकार और जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में और मध्यप्रदेश में जहाँ भी लोगों की हत्या हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई करे, उन डीसीपीज को, उन एसीपीज को, उन पुलिस वालों को सस्पैंड करे जिन ने उन लोगों की हत्या की है।

माननीय अध्यक्षः अजय जी, कन्क्लूड करिए प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः तो मैं... हम सभी बड़े ही दुखी हैं कि दलितों पे इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। उसको अपनी बात तक रखनी की, उसको अपनी बात तक रखने का समय नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे भारत वर्ष में करीबन 35 करोड़ से ज्यादा दलित रहते हैं और वो लोगों की सेवा करते हैं उनको मारा जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाह रहा था, अध्यक्ष जी आज जो हम मुद्दा डिस्कस करें एमसीडी का, हमारी साथी बहन राखी ने बहुत कुछ बताया और जो लोग एमसीडी की बीजेपी की शासित सरकार से त्रस्त होके जो अनशन पर बैठे हैं, वो भी सब दलित हैं तो आप देखिये एक तरफ बीजेपी दलितों को मार रही है और दूसरी तरफ उनको भूख–हड़ताल पे आज 15 दिन हो गये हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रही जबकि बीजेपी एमसीडी की शासित सरकार है।

आज से कुछ दिन पहले जब चुनाव चल रहे थे, एमसीडी के चुनाव हो रहे थे तो माननीय मोदी जी के नाम पर वोट माँगा गया। हमारे एक यहाँ के दिल्ली के सांसद हैं, मनोज तिवारी जी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम दिल्ली को, एमसीडी को केन्द्र सरकार से पैसा लाके देंगे। जब एमसीडी के लोग भूखे मर रहे हैं, एमसीडी का कर्मचारी भूखा मर रहा है रोड पे, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। तो वो अब क्यों केन्द्र

से पैसा लाकर उनकी भूख को नहीं मिटाते हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी हक की बात कर रहे हैं। जो सबेरे छः बजे उठके... अध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं ऐसे नहीं, अजय दत्त जी, आप अपनी बात को जो बात है, वो रख ली आपने, अब समय इससे ज्यादा और नहीं दिया जा सकता। अभी वक्ता छः हैं।

श्री अजय दत्तः जो लोग सुबह उठके पूरे समाज की सफाई करता है, उनका मैला उठाता है, उनका कूड़ा उठाता है और उन लोगों को खाने तक के लाले हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश को चलाने वाली सरकार का, इस एमसीडी सरकार का और अध्यक्ष जी हम बात करते हैं अपनी सरकार की, 2017 में हमारी सरकार ने आज से पहले कितनी भी सरकार आयीं, उनसे सबसे ज्यादा बजट दिया। करीबन साढ़े पाँच करोड़ के आसपास का बजट दिया और सॉरी... सात हजार करोड़ का बजट दिया और उसके बाद इन्होंने बीच में हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार ने 42 सौ करोड़ रुपये और दिवाली के समय में जो स्ट्राइक हुई थी, उसका बोनस दिया। उसके बाद इस साल भी हमारी सरकार ने 13 परसेंट टोटल बजट का दिया।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, एक मिनट आपके लिए, नहीं, एक मिनट है इसमें कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, जो ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनकी माँगें क्या हैं? इनकी माँगें ये हैं कि हमने जो 20 साल तक एमसीडी में सेवा की है और ये सपना था कि मैं दस हजार रुपये या आठ हजार रुपये की नौकरी 1998 में शुरु की और उसके बाद आज 20 साल हो गये, सिर्फ

इस सपने में कि कभी मुझे पक्का कर लिया जायेगा, उसकी माँग है कि उनको पूरा किया जाये। माँग ये है कि जो उनका सात हजार करोड़ रुपये का... 63 हजार कर्मचारियों का सिर्फ सात हजार करोड़ रुपये का जो एरियर है, 20 साल से नहीं मिला, उसको दिया जाये। तो दूसरी माँग ये है। तीसरी माँग है कि अगर हम इतना गंदे–मैले का काम करते हैं, अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें कैशलेस कार्ड दिया जाये जिससे कि हम हॉस्पिटल में जाके अपने स्वास्थ्य को दिखा सकें। तो ये तीनों माँगें बहुत जायज हैं, अध्यक्ष जी। और ये तो उनका अधिकार भी है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। उनका अधिकार है कि उनको पैसे मिलें। उनका अधिकार है कि उनको स्वास्थ्य मिले। तो मैं बीजेपी शासित सरकार, केन्द्र सरकार जो एमसीडी में सरकार बैठी है जिन्हें हम निकम्मा सरकार के नाम से जानते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो वादा किया है, उसे पूरा करो नहीं तो ये लोग आज रोड पे आये हैं और कल जब ये रोड से तुम्हारे घर तक पहुँचेगे जब तुम्हें पता चलेगा कि जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता तो उसकी दशा क्या होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो बार–बार लगातार सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं, अगर कोई सफाई कर्मचारी पक्का भी नहीं है और उसकी किसी वजह से मौत हुई है काम करते वक्त, उसको भी दस–दस लाख रुपये दिये हैं। ऐसे मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी गुज़ारिश है कि इनकी और ध्यान दिया जाये और मेरी मुख्यमंत्री साहब से ये भी गुज़ारिश है कि अगर हम इन सफाई कर्मचारियों को जो भी भला कर सकते हैं, करें क्योंकि पूरा देश और मुझे लगता है आज दलित समाज और पूरे देश के अल्पसंख्यक वर्ग सिर्फ एक ही पार्टी से उम्मीद रखते हैं; आम आदमी पार्टी।

तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य भी पूरा करना चाहूँगा, धन्यवाद। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने मेरे को इस बहुत ही संगीन मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सफाई कर्मचारी जैसे कि हमारी बहन ने अभी बताया, निश्चित तौर पर हमारे जीवन के एक अंग हैं और उनकी दशा जो है, हम सब से छुपी नहीं है। कार्पोरेशन में किस की सरकार है, दिल्ली में किस की, केन्द्र में किस की सरकार है, ये सब अलग विषय हो सकते हैं लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो कि गरीब परिवार से आता है, मजबूरियों में हमारी गंदगी उठाता है और उसमें भी वो अपने परिवार में खुश रहना चाहता है। वो इसमें भी करके खुश है कि ठीक है, मेरा एक रोज़गार, मेरे परिवार, मैं अपने बच्चों को आगे लेके चलूँ, इनका जीवन अच्छा हो और समाज के हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि उनके इस दर्द को हम समझें। कल जो घटनाक्रम की मेरे भाई ने चर्चा की, ये सब उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं क्योंकि दलित परिवार जो हैं, गरीब परिवार, पिछड़े, उन लोगों को हमेशा छूत–अछूत के नाम से बहुत उनके ऊपर ज्यादतियाँ हुईं। अध्यक्ष जी, मेरे पास जो रूप है जो परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया, उसके बाद जिस रूप को मैंने धारण किया, वो गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने दिया। हम शुरु से ये मानते आये हैं, हमारे गुरुओं ने हमें बताया और गुरु गोविन्द सिह साहब महाराज ने प्रथा को शुरु किया कि ये दलित जो है, गरीब जो है, पिछड़ा जो है, मजबूर जो है। वो मजबूर ना रहे, उसके ऊपर अत्याचार न हो। अध्यक्ष जी, आप सुनकर बहुत हैरान होंगे, गुरु गोविन्द सिंह जी ने जब हमें ये अमृत की दात दी। गुरु गोविन्द सिंह जी ने जब हमें ये सिख सजाया, उस वक्त जो सबसे बड़ा विरोध हुआ, वो बाहरी राजाओं से हुआ था और क्यों हुआ, जब उन्होंने न्यौता भेजा सबको कि मैं ये एक समागम करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें

सम्हूलियत करें। तो संदेश क्या आता है, चिठ्ठी क्या आती है, हम इसमें सम्हूलियत नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जिन लोगों के साथ तुम्हें नीचे बिठाकर हमें खाना खिलाना चाहते हो, जिन लोगों के साथ हमें बिठाना चाहते हो, वो दलित हैं। उन लोगों के साथ हम बैठकर कभी अपनी रोटी नहीं साँझी करते, हमने तो कभी उनके साथ पानी का कुआँ नहीं साँझा किया और तुम हमें उनके साथ बिठाना चाहते हो! लेकिन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के नवें पादशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जब दिल्ली की इस धरती पर उनका बलिदान होता है, उनकी शाहदत होती है और जो उनका सिर लेके जाता है, उनका धड़ का संस्कार होता है रकाबगंज साहब लख्खीशाह बंजारा हॉल है... लख्खीशाह था उनका गाँव और ये रकाबगंज गाँव का नाम था। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक ही मिनट में... ये बात इसलिए बतानी जरुरी थी कि जब कोई छोटी जाति का दलित परिवार से गुरु साहब के पास अपना गुरु साहब के पिताजी का सीस लेके जाता है तो उसके मन में शायद ये था कि मैं एक पिछड़ी जाति से हूँ, ***xxx***[2] से हूँ, दलित हूँ, शायद गुरु मेरे को पता नहीं कैसे पुकारेंगे। गुरु साहब ने उसको अपने गले से लगाया। ***xxx***

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो उसी की ही बात कर रहा हूँ। मैंने तो ऐसी बात कही ही नहीं है।

माननीय अध्यक्षः रवि जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। मैं करैक्ट कर रहा हूँ। आप ***xxx*** कहिए, दलित कह लीजिए।

---

2. ***XXX*** चिन्हित शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो उसकी भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि उसकी भावना है ये।

माननीय अध्यक्षः दलित कह लीजिए, दलित।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं दलित... उसकी भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि उसको लगा। मैं उसकी भावना व्यक्त कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विशेष रवि जी, उनकी भावना को समझिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो उसकी भावना व्यक्त कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, आप बैठिए प्लीज। आप बैठ जाइए एक बार, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं तो उसकी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। ये कोई बात है, कोई विषय है!

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ***xxx*** इस बात का मतलब है कोई।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सिर्फ ये लड़ाई लड़ने का एक बहाना.. .. लड़ लें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगर तुम ये भी लड़ाई लड़ने आए हो तो लड़ो, बताओ।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठिए, ये ***xxx*** जो कहा गया है, ये शब्द निकाल दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी मैंने तो ये कहा कि उसको ये लगा, मैं दलित वर्ड कहता हूँ, उसको ये लगा कि शायद गुरु मेरे को नहीं स्वीकार करेगा, मेरी भावना क्या है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पर गुरु ने क्या किया, उसको गले से लगाया और बोला रंग रेटा, गुरु का बेटा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बंदना जी, हाँ वो...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये अध्यक्ष जी, मोदी जी की बात करेंगे, राष्ट्रपति जी की बात करेंगे, ये सबकी बात करेंगे और हम तो ये बताना चाहते हैं, ये बताओ ये क्या कोई विषय है अध्यक्ष जी! हम कभी–कभी अगर चुपचाप बैठना चाहते हैं तो हमें बैठने भी नहीं देना चाहते।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, इनको ही कर लेने दो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, ये गलत हो रहा है शब्द हटा दिया गुरु गोविन्द सिंह जी की क्या भावना थी दलित समाज के प्रति, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं और उसको भी हम चैलेंज करेंगे तो उचित नहीं है। हाँ, शब्द मैंने निकाल दिया कार्यवाही में से, शब्द मैंने कार्यवाही में से निकाल दिया। सौरभ जी, प्लीज, बैठ जाइए अब अजय दत्त जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, गुरु की भावना व्यक्त कर रहा हूँ, मेरी कहाँ है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं कर रहा हूँ। भई राखी जी, अरे! वो निकाल तो दिया कार्रवाही से, नितिन जी।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः माफी तुम माँगो जो गुरु गोविन्द सिंह को ***xxx***[3] बता रहे हो, माफी तुम माँगो जो गुरु गोविन्द सिंह जी की वाणी को ***xxx*** बता रहे हो, माफी तुम्हें माँगनी होगी जो गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** बता रहे हो, तुम गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** बताते हो, तुम गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** बताओगे, तुम गुरु साहब की बात को ***xxx*** बताओगे। तुम ***xxx*** हो यहां पे।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, आप बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तुम सारा दिन नाम जपते हो, मुझे हक है अपने गुरु की बात करने का और मैं फख्र से अपने गुरु की बात करूँगा,

---

3. ***XXX*** चिह्नित शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

कौन मुझे अपने गुरु की बात करने से रोक सकता है? कोई मुझे अपने गुरु की बात करने से नहीं रोक सकता। कोई मुझे नहीं रोक सकता अपने गुरु की बात करने से, कमाल हो गई है! हम अपने गुरुओं की बात इस विधान सभा में नहीं कर सकते तो किसकी बात करेंगे हम यहां पे आ के! ये इनकी सोच है, इस मानसिकता से ये चले हैं, ये मानसिकता है इनके पास! हम अपने गुरुओं की बात नहीं कर सकते हैं इस विधान सभा में आके, बताओ, ये बात है! कहते हैं ***xxx*** है, गुरुओं की बात करना इस विधान सभा में ***xxx*** मैंने क्या ऐसा कहा, केवल और केवल सियासी मुद्दा! बात को बनाना है।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, आप मुझसे... उधर नहीं, आप मुझसे बात करो।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप एक बात को आपको बर्दाश्त नहीं सच बोलना। ये ***xxx*** बताएंगे, ये ***xxx*** बताएंगे इसको! क्या ***xxx*** बताएंगे इस चीज को?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः और ये बात सुनने को, अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः आप बैठेंगे, बोलने देंगे, तभी तो बात होगी। रोकिए उनको।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आज ये नौबत आ गई, हम ***xxx*** हैं, हम अपने गुरुओं की बात यहाँ नहीं कर सकते, हमारे गुरु गोविन्द

सिंह जी... अगर नाम लेंगे तो इतना दर्द सबको खड़ा हो जाएगा, ये मैं कल्पना नहीं कर सकता! ऐसी कल्पना मैं नहीं कर सकता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठिए प्लीज, अवतार जी, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अगर हम गुरु साहेबानों की बात करेंगे, हम गुरु साहेबानों के बलिदान की बात करेंगे और ये सब लोग इनको दर्द शुरु हो जाएगा, क्या ऐसी कल्पना की जा सकती है कभी। ये हमारे चुने हुए नुमाइंदों से, दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदों से ऐसी कल्पना की जा सकती है कभी, जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने बलिदान दिया गुरुओं की.

माननीय अध्यक्षः बैठिए, आप बैठिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कहाँ बात करेंगे हम? गुरुओं की बात नहीं कर सकते यहाँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए, भई ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो नहीं चल पाएगा, आप सब लोग खड़े हो जाएंगे, सौरभ जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, अगर गुरु साहिबानों का ये तिरष्कार करेंगे। गुरु साहिबानों का ये तिरष्कार बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद नहीं करता कि गुरु साहिबानों का इस तरह से तिरष्कार किया जाए। हम गुरु गोविन्द सिंह जी की बात करना चाहें और गुरु गोविन्द सिंह जी की बात आपने खुद माना अभी कि गुरु गोविन्द सिंह जी की बात करने पर किसी को कोई ऐतराज हो सकता है!

माननीय अध्यक्षः अच्छा मुझे कुछ, दो मिनट चुप, दो मिनट, अवतार जी, अवतार जी, बैठिए मैं।

श्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, आप इनसे बोलिए, माफी माँगें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः माफी ये माँगे जिन्होंने गुरु गोविन्द सिंह जी की... ***xxx*** कहा है ना, ***xxx*** इनको माफी माँगनी पड़ेगी जो गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** बताएंगे, जो गुरु गोविन्द सिंह जी को ***xxx*** बोलेंगे, उनको माफी माँगने की जरुरत है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अरे भइया! मैंने बोला ही कुछ नहीं है, क्या बोला है मैंने?

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे)

माननीय अध्यक्षः मनोज जी, इधर आ जाइए, मनोज जी इधर बुलाइए, रवि जी, रवि जी, आप इधर आइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इधर चलिए, उनके पास मत जाइए, नहीं उधर मत जाइए आप, इधर बात करिए, ये कौन सा तरीका है, वहाँ क्यों जाकर बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये माफी माँगे जिन्होंने गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** कहा है। और मैं बड़े जोश से कहना चाहता हूँ जो गुरु गोविन्द सिंह जी को ***xxx*** कहते हैं, इस ***xxx*** का इनको जवाब देना पड़ेगा, आज गुरु गोविन्द सिंह जी की बात को ***xxx*** कहा जाता है और ये गुरु गोविन्द सिंह जी की बात करने पे, ये हश्र कर रहे हैं, गुरु गोविन्द सिंह जी की बात करने पे।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी जारी...)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई जरनैल जी, जरनैल जी, प्लीज आप बैठिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जायें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठ जाइए, बैठिए आराम से। नहीं, कुछ नहीं, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बैठिए।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने नारेबाजी)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 4 अप्रैल, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।